खण्ड-456, अंक-4
गुरुवार, 3 अग्रहायण, शक संवत् 1927
(24 नवम्बर, 2005 ई0)

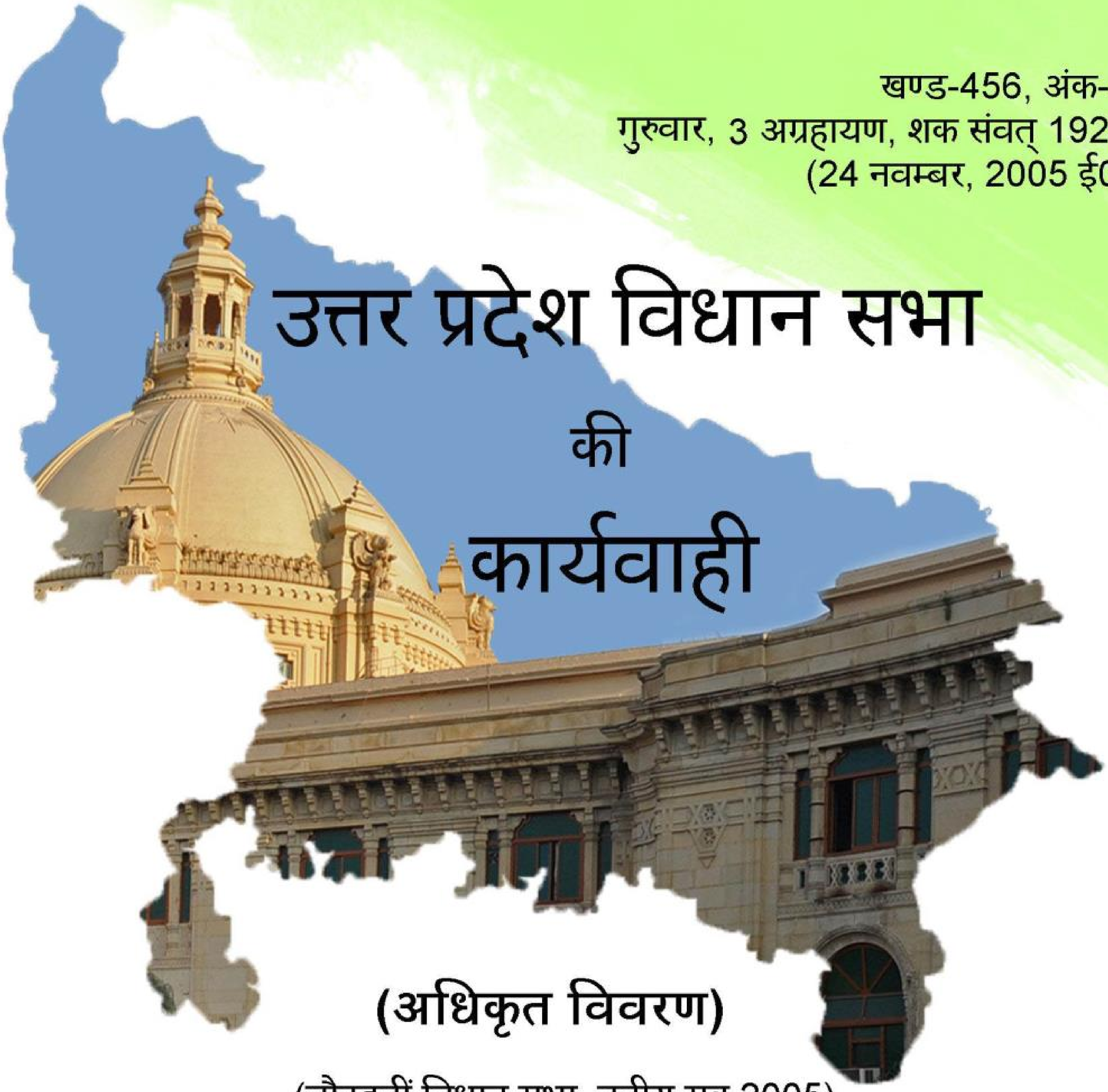

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 456 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रश्नोत्तर	1
प्रश्नकाल में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न न आने तथा विधान भवन के समक्ष उ0 प्र0 सीनियर बेसिक शिक्षा संघ के अध्यापकों द्वारा वेतन विसंगति दूर करने हेतु धरना दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1-64
आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-35 का भ्रामक उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	64-65
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	65
जनपद आगरा स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थापित बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	66
गोरखपुर जनपद अन्तर्गत क्षतिग्रस्त दसवतपुर पुल के स्थान पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
जुलाई, 1984 से बालकों एवं जनवरी, 1988 से बालिकाओं के अशासकीय असहायिक जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66-67
चन्दौली के चकिया कोतवाली अन्तर्गत ग्राम शाहपुर में दिनांक 5-11-2005 को हुए गोलीकाण्ड की जांच कराकर दोषियों को दण्डित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
आजमगढ़ के ग्राम जिन्दपुर के प्रधान की दिनांक 14-11-2005 को की गई हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं आश्रितों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद कुशीनगर के आदिलनगर क्षेत्रान्तर्गत तमकुही राज बैरियर पर हो रही राजस्व चोरी की जांच कराकर दोषी कर्मियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
लखनऊ के उदयगंज रोड से कूड़ाघर हटाकर हैदर कैनाल के पुराने स्थान पर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	69
प्रदेश के ग्राम सभाओं के वादों की पैरवी के लिये तैनात आर0 पी0 एल0 को प्रतिमाह पांच हजार रूपया मानदेय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	69
हरदोई के बिलग्राम में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	69-70

विषय	पृष्ठ-संख्या
आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत अविद्युत गांवों को विद्युतीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	70
प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों को दशमोत्तर कक्षा से ऊपर छात्रवृत्ति न मिलने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	70-72
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	72-73
श्री ईश्वरी प्रसाद मौर्य पीलीभीत के परिवाद संख्या-965-2002 (पीलीभीत) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन तथा विशेष प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	73
विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 (दि0 18 जुलाई, 2005 से 8 अगस्त, 2005 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	73
दिनांक 11 फरवरी, 2005 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति विधान सभा द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर ...	73-74
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	74-75
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित)..	75-92
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	92-109
"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गरीब किसानों की फसलों को दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट करने की पुष्टि होने पर उन्हें हानि का मुआवजा ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर उन्हें दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाय।" सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा (जारी) ...	110
"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में सुचारु पेय जलापूर्ति बनाये रखने हेतु जल संस्थान, वाराणसी के भदेनी रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन तथा भेलूपुर क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन को कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु एक 5 एम0वी0ए0 ट्रांसफारमर अलग से स्थापित कर अनवरत विद्युत आपूर्ति की जाये" सम्बन्धी संकल्प (संकल्प वापस)	110-112
"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में खेती की पैदावार को आधुनिकतम तकनीक से बढ़ाने हेतु कारगर एवं नई प्रोत्साहन नीतियां अपनाई जायें तथा कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान कराया जाये" सम्बन्धी संकल्प का स्थगन	112

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2005-2006 की 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' में सदस्यता के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशन करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	112-113
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	113-114
जनपद गोरखपुर तथा उसके आस-पास फैल रही नई बीमारी काकसेकी-बी इन्सेफ्लाइटिस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	114-118
बिहार के जहानाबाद के नक्सलियों का वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में प्रवेश कर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	118-119
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-'आई' एवं 'जे' के आवासीय भू-खण्डों को आवंटित भू-स्वामियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अक्षयवर लाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	119-121
जनपद फतेहपुर के ग्राम भदोकीपुर में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत भदोकीपुर वाया करनपुर मार्ग को डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	121
प्रदेश के कृषि विविधीकरण योजना (यू0पी0 डास्प) के तहत जनपद जौनपुर में निर्मित मार्गों के रख-रखाव के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	121-122
नत्थी	123-124

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-294

अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0 — बागपत
अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री — बरेली
अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री — हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलेबाबू, श्री — पीलीभीत
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रशदी मिर्जा, श्री — बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री — आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्त कबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
आलम बदी, श्री — आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
आशीष यादव, श्री — बदायूं
इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री — मऊ
कमलेश कुमार, श्री — गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
काशीराम, श्री — रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
कैलाश, श्री — गाजीपुर

कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुज़फ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र, बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफुलेनगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेन्द्र चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन

बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार श्री	बरेली
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौधरी, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफुलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेश प्रताप सिह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर

राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव,श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना'', श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतागढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव ''ललई'', श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा

श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग,श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेश कुमार. खन्ना,श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :-सिंचाई मंत्री श्री मुन्ना सिह चौहान तथा औद्योगिक विकास मंत्री श्री ख्वाजा हलीम भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश की निजी क्षेत्र व सहकारी चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन की योजना

*1-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है के प्रदेश की कितनी निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है ? क्या निजी क्षेत्र की चीनी मिलों तथा सहकारी चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिये जाने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

वर्तमान में प्रदेश की 10 निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 घोषित की गयी है, जिसमें चीनी मिल की स्थापना व स्थापित चीनी मिलों की क्षमता विस्तार के अतिरिक्त चीनी मिलों द्वारा सह-उद्योग यथा-शीरे से एथनाल, एल्कोहल अथवा खोई सह-विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना सम्मिलित है। सरकारी क्षेत्र की किसी भी चीनी मिल द्वारा वर्तमान में विद्युत उत्पादन नहीं किया जा रहा है और न ही विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहन दिये जाने हेतु कोई योजना बनाई गयी है। वर्तमान में वित्तीय संसाधनों के अभाव में सहकारी क्षेत्र में इस हेतु कोई योजना बनाए जाने की कोई सम्भावना नहीं है।

डा0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में जो निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं जो विद्युत उत्पादन कर रही है वह कौन-कौन सी हैं और उनसे कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, वर्तमान में प्रदेश की 10 चीनी मिलें देवबन्द, खतौली, ऊन, मलकपुर, बुन्दकी, मीरगंज, अजवापुर, हैदरगढ़, रोजागांव और बलरामपुर द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। देवबन्द द्वारा 22.50 मेगावाट, खतौली द्वारा 23.00 मेगावाट, ऊन 1.80 मेगावाट, मलकपुर 9.00 से 9.50 मेगावाट, बुन्दकी 6.00 मेगावाट, मीरगंज 17.00 मेगावाट, अजवापुर 10.50 मेगावाट, हैदरगढ़ 20.25 मेगावाट, रोजागांव 15.00 मेगावाट और बलरामपुर में 10.55 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है।

डा0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आज विद्युत बहुत ही अनिवार्य अंग हो गया है और मैं समझता हूं कि जहां तक निजी क्षेत्र की चीनी मिलें विद्युत उत्पादन कर सकती है तो सहकारी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन से वंचित क्यों रखा जा रहा है ? दूसरा, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 बनायी गयी है उसमें कितने करोड़ का प्राविजन किया गया है निवेश का और उसके पूंजीनिवेश की समय सीमा क्या है ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, वैसे तो आपको पूरी जानकारी है।

श्री हुकुम सिंह (बैठे हुए)-

किसको, अध्यक्ष जी को ?

श्री शिव पाल सिंह यादव-

इसकी अध्यक्ष जी को, सभी को और आपको तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान है और ज्ञान के साथ-साथ जो आपने चीनी मिलें चलायी थीं उसका आप सबको पता है। तो मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में निजी क्षेत्र में जो चीनी मिलें लगी हैं वह विद्युत उत्पादन कर रही हैं लेकिन सहकारी मिलों में यह हाल है कि वह इस योग्य नहीं हैं जो विद्युत उत्पादन कर सकें। लेकिन किसी तरीके से सरकार ने पूरी कोशिश की है, चाहे निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हों, चाहे सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हों। पूरा का पूरा भुगतान किया जा चुका है और उनकी क्षमता भी बढ़ाई गई है। इस समय संसाधनों की कमी को देखते हुए सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें इस योग्य नहीं हैं कि वह विद्युत उत्पाद न कर सकें, यह स्थिति है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य डा0 अजय कुमार के प्रश्न के उत्तर में बताया कि 10 चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस विद्युत उत्पादन से क्या उस क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को भी विद्युत उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर कराया जा रहा है तो किस दर से ? आपने यह भी बताया कि सहकारी चीनी मिलों की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिये वह को-जनरेशन नहीं कर पा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि कई चीनी मिलें ऐसी हैं, जो सक्षम हैं और लाभ में भी हैं। जैसे निजी क्षेत्र में सुविधा दी गई है, उसी प्रकार जो सरकार की चीनी मिलें है, सरकार उनको भी सुविधा देकर को-जनरेशन के प्लान्ट लगवायेगी जिससे वहां के लोगों को उसका लाभ मिल सके ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय गौर साहब, आपका जो प्रश्न है कि जो विद्युत उत्पादन हो रहा है, उससे किन क्षेत्रों को सप्लाई हो रही है, यह बड़ा ही व्यापक है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह बात माननीय मंत्री जी कहते तो ठीक रहता, आप क्यों कह रहे हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हो गये हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि जो 10 चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, उससे उस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आप तो खुद मंत्री रहे हैं। उस बिजली को कारपोरेशन खरीद रहा होगा, अब कारपोरेशन उस बिजली को कहां दे रहा है, यह कहां से आ पायेगा ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, सहकारी चीनी मिलें सरकार की चीनी मिलें हैं। जो लाभ में हैं, क्या सरकार उनमें विद्युत उत्पादन के लिये विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब जानना चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी जिससे विद्युत उत्पादन हो सके।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, अभी सहकारी चीनी मिलों की ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी हम परीक्षण करा लेंगे। अगर वह इस स्थिति में हैं तो उन्हें पूरा प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मिलें विद्युत उत्पाद कर रही हैं, वह जितना मेगावाट उत्पादन करती हैं, उससे उन मिलों का संचालन हो जाता है और अगर बिजली उससे बचती है तो वह किसी को सप्लाई करते हैं या नहीं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, जो 10 मिलें विद्युत उत्पादन कर रही हैं, वह पूरा-पूरा अपना संचालन करती हैं और जो विद्युत बच रही है, वह पूरी सप्लाई की जा रही है।

नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में संशोधन एवं नई स्थापित होने वाली चीनी मिल को विशेष छूट देने पर विचार

*2-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में संशोधन करते हुए 500 करोड़ एवं 350 करोड़ रुपये के निवेश के प्रतिबन्ध को समाप्त करके प्रत्येक नई स्थापित होने वाली चीनी मिल को विशेष प्रोत्साहन/छूट देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चीनी उद्योग के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश से नई चीनी मिलों की स्थापना के साथ-साथ वर्तमान में स्थापित चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण एवं सह उद्योग यथा-शीरे से एथनाल/एल्कोहल व खोई से सह-विद्युत उत्पादन इकाइयों की स्थापना है। सम्प्रति इस नीति में किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न करने से पूर्व मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। यह हमारा नीतिगत प्रश्न था, इसे अल्पसूचित में न ले करके तारांकित में ले लिया गया है, इस पर मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मेरा प्रश्न यह है, जैसी भावना अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में व्यक्त की थी, उन्हीं भावनाओं को देखते हुए मेरा प्रश्न है। चीनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नीति बनायी गयी है और मैं भी चाहूंगा कि चीनी उद्योगों को प्रोत्साहन मिले लेकिन मान्यवर, मेरा कहना है कि यह प्रोत्साहन हर-एक

उद्योग को मिले। जो भी नयी चीनी मिल लगाये उसे प्रोत्साहन का पात्र माना जाए। जब कि सरकार ने अपनी नीति में कहा है कि जो उद्योगपति साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए का या पांच सौ करोड़ रुपए का निवेश करेगा, केवल वही प्रोत्साहन का पात्र होगा। इसका सीधा अर्थ यह है की कोई एक आदमी चीनी मिल लगाने के लिए आयेगा ही नहीं। इस प्रकार से यह तो हतोत्साहित करने की बात हुई, इस प्रकार से तो आपने एक-एक चीनी मिल लगाने वाले को प्रतिबन्धित कर दिया है। मेरा कहना केवल इतना है कि अगर प्रोत्साहन देना है तो जो व्यक्ति 125 से 130 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, उसको प्रोत्साहन न देने का कारण क्या है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, जो नीति बनायी गयी थी, वर्ष 2004 के अन्तर्गत उसमें लगभग 3,500 करोड़ या 30 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और वर्ष 2005-2006 तथा 2006-2007 में भी निवेश होने की सम्भावना है। जब सरकार ने प्रोत्साहन दिया तो नयी 09 चीनी मिलें इस वर्ष लग चुकी हैं और चालू हालत में हैं। इसके अतिरिक्त 07 चीनी मिलें अगले साल और लगेंगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना यह है कि एक चीनी मिल 01 अरब 25 करोड़ या 30 करोड़ में लग जाती है, अगर एक आदमी इतना निवेश करे तो उसे प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं मिलेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, नीति यह है कि जो 350 करोड़ और 350 करोड़ से ऊपर निवेश करेगा, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि वह 350 करोड़ रूपया निवेश करेगा तो उसको सुविधाएं देंगे और पांच साल की छूट देंगे, तो 500 करोड़ रुपए से ऊपर लगायेगा, उसे 10 साल की छूट देंगे। इस नीति से फायदा भी है। अगर छोटे-छोटे निवेश वाले लोग चीनी मिलें लगायेंगे तो वह चीनी मिलें चलेंगी ही नहीं और अगर चीनी मिलें नहीं चलेंगी तो किसान परेशान होगा, जैसे कि आपके समय में हुआ है। हमारे समय में सभी चीनी मिलें चल रही हैं और सभी का भुगतान भी हो रहा है, इसलिए हमने जो वर्ष 2004 में नीति लागू की है वह सफल नीति है। इसलिए 350 करोड़ से ऊपर और 500 करोड़ से ऊपर जो निवेश करेगा, उनको हमारी नीति के अनुसार प्रोत्साहन दिया जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस नीति के विषय में मैं तर्क नहीं करना चाहता हूं, किन कारणों से इस नीति को बनाया गया है, इसे तो सारा जग जानता है। एक बात आपने कही कि बड़ी क्षमता की इकाइयां लग रही हैं, इसलिए वह व्यावहारिक हैं। एक इकाई का नाम क्या बता पायेंगें मुझको, जो 70 टन से ज्यादा क्षमता की इकाई आपकी नई प्रोत्साहन नीति के बाद में लगी हो, अगर नहीं लगी है,अगर वह भी 70 टन की लग रही है तो कृपा करके यह बता दीजिये कि चीनी मिल लगाने में 125 करोड़ से 130 करोड़ रूपये की लागत आती है तब फिर वह क्षमता वाली बात क्यों ? जब दोनों की क्षमता बराबर है तो कहां नुकसान में चली जायेंगी ? खाली इतना है कि बड़ी पूंजी वाले हैं उनके इकाई लगाने के बाद में यहां का सारा चीनी उद्योग चौपट हो जायेगा। जब एक मिल को एक वर्ष में 57 करोड़ का लाभ होने वाला है और 70 टन की क्षमता वाली चीनी मिल लगी है और जब एक

वर्ष में 57 करोड़ रुपये का लाभ अतिरिक्त होगा, तो जो 9 आइटम्स की छूट दिये है उससे इस प्रदेश के खजाने से 57 करोड़ रुपया जाने वाला है। चीनी मिलें चाहे सहकारिता के क्षेत्र में लगी हों, चाहे कारपोरेशन की मिल हों या निजी क्षेत्र में लगी हो वे इकाइयां तीन-साल चार-साल में बन्द हो जायेंगी और नहीं होंगी तो इन तीन घरानों की मिलें। इन तीन घरानों के आधार पर सारे चीनी उद्योग को यहां से बेचना चाह रहे हैं। प्रदेश का करोड़ों किसान केवल तीन घरानों पर आधारित हो जायेगा। यह इतना भयावह चित्र भविष्य का है उसके बारे में चाहूंगा माननीय सदस्यगण से कि मैं कहां खड़ा हूं, कहां आप बैठे हैं, इस बात को छोड़ दें। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि थोड़ा सा चिन्तन कर लें कि अगर एक घराने की मिलों को लाभ इतना हो जायेगा तो बाकी 105 चीनी मिलें लगी हैं वह बन्द हो जायेगी या नहीं और अगर वह बन्द हो जायेगी तो किसान निश्चित रूप से घिर करके रह जायेगा तीन घरानों पर। उस पर न आपका नियंत्रण रहेगा न किसी और का और किसानों का शोषण हो जायेगा। उस छूट के बाद में जो छूट आपने दी है, 57 करोड़ की और लगभग 75 करोड़ की, इन दोनों क्षेत्र में आ करके इस छूट को देने के बाद में वर्तमान में जो इकाइयां लगी हुई हैं क्या सरकार ने इस बात का आकलन कराया कि ये इकाई उनकी तुलना में खड़ी रह पायेंगी, अगर इसका आकलन कराया है, तो वह क्या है ?

श्री शिवपाल सिह यादव-

अध्यक्ष जी, वैसे तो पूरे प्रदेश की चीनी मिलें इस समय चल रही हैं और किसानों को लाभ भी हो रहा है और पूरा भुगतान भी हो रहा है। जब नीति बनी है तो नीति में परिवर्तन भी हुये हैं और परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है मैं परीक्षण करा लूंगा। लेकिन किसी भी चीनी मिल को बन्द नहीं होने देंगे। हम चीनी मिलों को प्रोत्साहन देंगे और सभी चीनी मिलें चलेंगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक ओर चीनी प्रोत्साहन नीति बनाई गयी और दूसरी ओर जो वर्तमान में चीनी मिलें हैं उसके सेण्टर प्राईवेट लोगों को दिये जा रहे हैं। शाहजहांपुर में पुवायां सहकारी चीनी मिल है उसके 16 केन्द्र प्राईवेट में दे दिये गये। जो एक्जिस्टिंग चीनी मिलें हैं, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि क्या चीनी प्रोत्साहन नीति में यह शामिल है कि जो सहकारी चीनी मिलें हैं उसके सेण्टर बांट दिये जायं ? यह कौन सी नीति है ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई सवाल नहीं है। गन्ना क्रय केन्द्र कहां से इस प्रश्न से सम्बन्धित है। हुकुम सिंह जी को पूंछने दीजिए, वह अच्छा सवाल पूछ रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो वर्तमान चीनी मिलें हैं उसमें काश्तकारों की हकतलफी न हो, काश्तकार गन्ना डालें, निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को सेन्टर नहीं दिया जाना चाहिए। यह पूरे प्रदेश का सवाल है। हमारे यहां 3 चीनी मिलें हैं दो सहकारी क्षेत्र की और एक निजी क्षेत्र की। सहकारी चीनी मिल के 16 सेण्टर प्राईवेट लोगों को दे दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वह क्षेत्र जहां गन्ने की पैदावार को देखते हुए चीनी मिल चलाई जा सकती है उनके केन्द्र क्या मंत्री जी वापस लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए अलग से प्रश्न कर लीजिए। या नियम 52 में सूचना दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रोत्साहन की जगह इससे हतोत्साहन हो रहा है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हम परीक्षण करा लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं आपने कहा कि नई नीति बनाई है उससे प्रोत्साहन मिला है तो क्या आपको जानकारी है कि 24 अगस्त, 2004 को नीति पास हुई है मेरा प्रश्न यह है कि जहां फाइनेंसियल मामले होते हैं, वहां पूर्वगामी प्रभाव से नीति कभी लागू नहीं की जाती है तो 24 अगस्त को नीति की घोषणा हुई और 1 अप्रैल के पूर्वगामी प्रभाव से उस नीति को लागू कर रहे हैं तो एक अप्रैल और 24 अगस्त के बीच जिन्होंने अपने उद्योग लगाए पूंजीनिवेश किया उन्होंने बिना नीति की जानकारी के पूंजीनिवेश किया तो क्या किसी मोटिव के साथ किसी कारण से ऐसा किया गया है कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए पूर्वगामी प्रभाव से नीति को लागू किया गया ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो आपने कहा कि इस नीति को लागू करने के बाद यह उद्योग लगे हैं तो वर्ष 1998 से लेकर 2004 तक इस प्रदेश में कितनी नई चीनी मिलें लगी हैं जिनको प्रोत्साहन नहीं मिला है ? हमारे पास सूची है इस समय में 10 चीनी मिलें इस प्रदेश में लगी हैं जब कोई प्रोत्साहन नहीं था तो एक ओर तो कुछ चीनी मिलें प्रोत्साहन से वंचित रहीं जो वंचित रहीं वह कम्पटीशन में खड़ी नहीं हो पायेंगी और वह बन्द हो जायेंगी। आपने परीक्षण की बात कही है मैं चाहता हूं कि आप सदन को आश्वस्त कर दें कि सारी नीति का परीक्षण कर लेंगे और जो सही होगा उसके अनुसार दुबारा निर्णय लेंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी जो बात हुकुम सिंह जी ने कही है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 1998 से 2003 के बीच चीनी मिलों की क्या हालत थी किसान बुरी तरह से परेशान था कितना उसका उत्पीड़न हो रहा था उसको गन्ने का मूल्य सही नहीं मिल पा रहा था इस समय चीनी का उत्पादन भी बढ़ा है और गन्ने का मूल्य किसान को पूरा मिल चुका है जो आपकी आशंका है वह अनुचित है यह कभी नहीं हो सकता है। हम लोग सोचते हैं कि किसानों को लाभ मिले किसानों का भुगतान समय से हो वह हो रहा है हमने अपनी नीति में 350 करोड़ रुपए की न्यूनतम सीमा इसलिए की ताकि एक से अधिक चीनी मिल एक कम्पनी लगाए और अधिक से अधिक पूंजीनिवेश हमारे प्रदेश में हो इसलिए हमने यह किया है इससे किसानों को लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें हमें और अवसर दें। मेरा प्रश्न मंत्री जी से उत्तर से सम्बन्धित है। इन्होंने कहा है कि हमने इसलिए प्रोत्साहन दिया है कि एक कम्पनी एक से अधिक चीनी मिल लगाए। चार कम्पनी चार मिलें लगाती हैं या एक कम्पनी तीन चीनी मिलें लगाती हैं, इसमें क्या

अन्तर रहा ? पूंजीनिवेश होना चाहिए। उस निवेश को तीन लोग करें या एक करे। एक करेगा तो मोनोपोली होगी। मोनोपोली के खिलाफ सभी गये हैं। आप कह रहे हैं इसीलिए हमने कहा है। एक परिवार, एक कम्पनी एक चीनी मिल यहां लगाये और उनको सुविधा मिले। अगर वह दो लगाता है, तीन लगाता है, चार लगाता है तो उसमें आपको हानि क्या है ? दोनों को समान करने में क्या दिक्कत है ? मैंने इसीलिये कहा था कि इसका परीक्षण करा लें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वही तो हमारी नीति है कि अधिक से अधिक लोग पूंजी निवेश करें। हुकुम सिंह जी अगर लगाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। हम इनको प्रोत्साहन देंगे चीनी मिल लगाने के लिए। ये एक और चीनी मिल लगा लें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जो भी प्रोत्साहन हम दे सकते हैं देंगे।

(श्री हुकुम सिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप इसको क्यों नहीं नियम-52 में दे देते ?

श्री हुकुम सिंह-

मैं लिखकर दे देता हूं आप चर्चा स्वीकार कर लीजिए। आपका निर्देश हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपका आखिरी प्रश्न यह था कि नीति का परीक्षण करेंगे ? उन्होंने कह दिया कि नहीं। तो आपके प्रश्न का उत्तर आ गया, अब क्या बाकी रह गया। देखिये अब आप बैठ जायं। समय इसमें चला जायेगा। आप दीजिये हम देख लेंगे चर्चा के लिये। आप भेजिए तो।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप वहां पर बैठकर गुस्सा क्यों करते हैं ? मुसकुराया करिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

एक लांफिंग गैस सिलेण्डर रख लीजिए। थोड़ी-थोड़ी देर में सूंघ लिया कीजिए।

वर्तमान गन्ना पेराई सत्र में गन्ना मूल्य बढ़ाये जाने की मांग

*3-श्री संजीव दरियाबादी (अनुपस्थित)-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में मानसून के अति विलम्ब से आने से गन्ना की फसल पर बड़े पैमाने पर बुरा प्रभाव पड़ने के कारण गन्ना किसानों को आर्थिक हानि से बचाने के लिये आगामी गन्ना पेराई सत्र में गन्ना मूल्य बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मानसून के अति विलम्ब से आने से गन्ना की फसल पर बड़े पैमाने पर बुरा प्रभाव पड़ने की कोई सूचना जनपद स्तर से प्राप्त नहीं है। फसल सामान्य है।

वर्तमान पेराई सीजन के लिए गन्ना मूल्य के निर्धारण का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु समय सीमा का निर्धारण

*4-श्री लालजी वर्मा (अनुपस्थित)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो वह समय सीमा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

यथासम्भव माननीय सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर।

प्रश्न नहीं उठता।

छोटे किसानों को सब्जी उत्पादन हेतु सब्सीडी दिये जाने की मांग

*5-श्री राम करन आर्य-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साग-सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? क्या छोटे किसानों को सब्जी उत्पादन हेतु सब्सीडी देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी हां ।

विभाग द्वारा साग-सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना, जिला योजना अन्तर्गत शाकभाजी एवं मसाला विकास योजना, राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन की योजना संचालित है।

जी हां ।

उपरिलिखित योजनाओं के अन्तर्गत सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिये रोजगार सृजन हेतु संकर टमाटर, संकर प्याज एवं संकर भिंडी की खेती, शाकभाजी की खेती, मचान बनाकर कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती, शाकभाजी प्रदर्शन एवं संकर सब्जी बीज उत्पादन के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत छोटे किसानों को सब्जी उत्पादन हेतु अनुदान देने की व्यवस्था है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रश्न न करने पर)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, एक प्रश्न करना है। क्या प्रदेश में इतने बीज उपलब्ध है जितने किसानों को आवश्यक हैं ? माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

किस सब्जी के बीज के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री लाल जी टण्डन-

जिन सब्जियों के बारे में इन्होंने अभी बताया और जो दलहन और तिलहन है उसके बीज क्या यहां उपलब्ध हैं, जितने यहां आवश्यक हैं ? मेरा स्पष्ट प्रश्न है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

बीज तो उपलब्ध हैं ही। बीज से बनने वाली सब्जी भी उपलब्ध हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल अभी नियम-56 में यह आगे है।

श्री लालजी टण्डन-

मैं जो पूछ रहा हूं माननीय मंत्री जी उसे हल्के से न लिया करें। वे सब्जी उनके घर में होंगी। जो कद्दू और टमाटर वे कह रहे हैं, घर में होंगे लेकिन मान्यवर प्रदेश में केवल 20 प्रतिशत ही बीज उपलब्ध हैं। तो यह सबको बीज कहां से उपलब्ध करा देंगे ? बीजों की उपलब्धता के लिये कौन सी योजना बना रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने इसको बड़ी संजीदगी से लिया है। हमारे और आपके घरों के दरम्यान सिर्फ एक दिवार है। कद्दू के नाम से सबसे ज्यादा खुशी माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी को थी। उन्होंने कद्दू के बारे में कहा है, प्रोसीडिंग में होगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि हमारे और नेता प्रतिपक्ष के बीच में एक दीवार का अन्तर है। तो दोनों दीवार के एक तरफ खड़े होकर बातचीत कर लें। इसको दोनों के बीच में छोड़ दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मुझे मालूम है और आपको मालूम है कि दीवार के इस पार कितने टमाटर हैं और दीवार के उस पार कितने कद्दू हैं। मान्यवर, इस योजना में अगर कोई कमी है तो हम देखेंगे। 1999 की यह योजना है। इस पर इस साल पैसा थोड़ा मिला और काम शुरू हो रहा है। इसमें 33 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। जो कमजोर किसान हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिये यह योजना है। इसका शुभारम्भ हो रहा है अगर नतीजे अच्छे होंगे तो आगे लागू किया जायगा।

अग्निकाण्ड प्रभावितों को राहत देने की नीति की जानकारी

*6-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आग से मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों एवं जानवरों के मालिकों को क्षतिपूर्ति देने की शासन की कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री इकबाल महमूद)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दैवी आपदा से घटित अग्निकाण्ड प्रभावितों को राहत देने की व्यवस्था है न कि क्षतिपूर्ति।

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है तो यह उत्तर निश्चित ही गम्भीरता को न समझते हुये दिया गया है। श्रीमन्, हम सब लोग अधिकांश गांव के रहने वाले हैं। गांव के गरीब झोपड़ियों में रहते हैं। जहां वह रहते हैं वहा जानवर भी रहते हैं। जब वह अप्रैल और मई के महीने में गेहूं कटाई के लिये चले जाते हैं और उस समय यदि बस्ती में आग लग जाती है तो बस्ती जलकर राख हो जाती है। उसमें बंधे जानवर मर जाते हैं। घर के दरवाजे पर छप्पर न पड़ा होने के कारण पशु झोपड़ियों में बांध कर जाते हैं। आग लगने पर उनकी गाय भैंस जलकर मर जाती हैं।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

माननीय सदस्य प्रश्न पूछें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी शान्त रहें। माननीय राम इकबाल जी, आपका प्रश्न जो है उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है कि भारत सरकार की जो नीति है दैवी आपदा की, उसी के तहत वह दे रहे हैं। आप सुझाव दे दीजिये।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, थोड़ा संवेदनशील हो जायं। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 बहुत हैं, जिनमें आपका भी है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, 10, 15 हजार की गाय-भैंस जल जाती है, घर जल जाता है तो 2 हजार की राहत मिलती है। गरीब से गरीब की अगर 4 बकरियां जल गयीं तो 2 हजार की वह हो गयीं। मान्यवर, यदि जानवर मरते हैं तो जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले नागरिक हैं जिनकी झोपड़ी में जानवर मर जाते हैं, उनकी कीमत के बराबर सरकार राहत देने की कृपा करेगी ?

श्री इकबाल महमूद-

दैवी आपदा से सम्बन्धित कोई आपदा आती है उसमें भारत सरकार के दिशा निर्देश मिलते हैं उसके आधार पर राहत देते हैं जानवर की कोई क्षति हो जाए इसमें देने का कोई प्राविधान नहीं है।

वर्तमान पेराई सीजन के लिये सरकार द्वारा गन्ना मूल्य के निर्धारण की मांग

*7-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य निर्धारण की कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्तमान पेराई सीजन के लिये सरकार ने कितना गन्ना मूल्य निर्धारित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश सरकार गन्ना कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए गन्ने के उत्पादन लागत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य का स्तर, सम्भावित लेवी चीनी मूल्य, मुक्त चीनी के अनुमानित बाजार भाव पर चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य देने की अनुमानित क्षमता व चीनी परता आदि घटकों के आधार पर परामर्शित गन्ना मूल्य का स्तर निर्धारित करती है।

वर्तमान पेराई सीजन के लिए गन्ना मूल्य के निर्धारण का प्रकरण विचाराधीन है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, पेराई सीजन को लगभग दो महीना हो गया है। पिछले अक्टूबर से पेराई सीजन चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे किसान जो गन्ना ले जा रहे हैं उनको गन्ना मूल्य की पर्ची देने का प्राविधान है गन्ना मूल्य में पर्ची में लिखा जाता है, तो उस पर्ची में कितना गन्ना मूल्य लिखा जा रहा है यह बता दें ? यह सरकार ढाई साल से सत्ता में है तो पिछले ढाई साल में सरकार ने गन्ना मूल्य क्या निर्धारित किया यह बता दें ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

गन्ना मूल्य के निर्धारण के लिए विचार चल रहा है कल मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है।

श्री अध्यक्ष-

कल सदन में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सोच विचार कर इसको करेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

पिछले गन्ना मूल्य के बारे में बता दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

105/- 95/- रु0 पिछले साल था इसको बढ़ाकर 107/- 112/- रु0 कर दिया गया। यह सबसे मंहगा हुआ है। अब मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

सदन में हम उत्तर जानने के लिए आते हैं पिछले दो पेराई सीजन में गन्ना मूल्य सरकार ने क्या निर्धारण किया ? 2003-2004 का इन्होंने नहीं बताया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2004-05 में गन्ना मूल्य क्या था ? यह किसानों की हितैषी सरकार अपने को कहती है। तो यह बतायें किसान गन्ना ले जा रहा है उसकी पर्ची पर कितना गन्ना मूल्य लिखाया जा रहा है। पिछले पेराई सत्र में 2003-04 में कितना गन्ना मूल्य निर्धारित हुआ यह बता दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

100/- 95/- रु0 था, 2003-04 में 100/- 95/- रु0 था। 2004-05 में 112/- 107/- था। आपके जामाने में 95/- 90/- रु0 था।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

95/- 100/- रु0 गन्ना मूल्य बताया गया। 2004 में एक रुपया गन्ना मूल्य की वृद्धि नहीं हुई है हम चैलेन्ज के साथ यह कह रहे हैं।

श्री नरेश अग्रवाल-

हम चैलेन्ज कर रहे हैं आपने 74/- रु0 दिया। इस समय गन्ना किसान को 125/- रु0 मिल रहा है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मंत्री जी ने कहा कि विचार हो रहा है गन्ना मूल्य को तय किया जाएगा। मान्यवर, जब सीजन चलता है उसके पहले सरकार को गन्ना मूल्य निर्धारित करना चाहिए। डेढ़ दो महीने हो गये सरकार गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं कर रही है। सरकार गन्ना मूल्य निर्धारित करे डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। किसानों को मंहगाई झेलनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्ष 2001-2002 में 100 रुपये प्रति कुन्तल गन्ने का मूल्य था।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2001-02 में भाजपा सरकार में 100 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य था। मंत्री जी बता दें कि सही मूल्य क्या था ?

महिला कल्याण एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, 2002-2003 का जरूर बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, यह आपका काम नहीं है। माननीय राजेन्द्र सिंह जी आप बैठिये।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि हाउस का एक डेकोरम मेनटेन होना चाहिए। सदन की गरिमा बनाने के लिए आपको पूरा अधिकार प्राप्त है। मान्यवर, में कह रहा था कि वर्ष 2001-02 में 100 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य था। उस समय चीनी 1200-1300 रुपये प्रति कुन्तल बिक रही थी तो उस समय 1 और 13 का गन्ना मूल्य और चीनी मूल्य का अनुपात था। इस समय चीनी 1800-1900 रुपये प्रति कुन्तल बिक रही है, यदि यह सरकार गन्ना किसानों की हितैषी है तो क्या 1 और 13 के अनुपात से यह सरकार 140 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य घोषित करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, इसका परीक्षण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब बात आ गई है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति और आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं। प्रश्न की प्रथम पंक्ति आप देख लें, स्पष्ट रूप से प्रश्न किया गया है कि क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य निर्धारण की कोई नीति बनायी है ? मान्यवर, इस सरकार ने चीनी उद्योग की तो नीति बना दी मिल मालिकों की तो नीति है। मिल मालिकों की नीति तो बना दी और उनको प्रदेश के खजाने से एक वर्ष में 53-53 करोड़ रुपये देने जा

रही है, लेकिन गन्ना किसानों के लिए मूल्य निर्धारण की नीति क्यों नहीं बनाई ? जहां आप एक ओर चीनी उद्योग की नीति बना रहे हैं तो गन्ना किसानों के मूल्य निर्धारण की नीति क्यों नहीं बनायी ? आप जो निर्णय करने जा रहे हैं, चीनी की बढ़ी हुई कीमतों को भी ध्यान में रखकर करें। जैसा प्रश्न किया गया है, क्या गन्ना किसानों को 150 रुपये प्रति कुन्तल की दर से गन्ने का मूल्य दिलाने की कृपा करेंगे ? मैं नीति की बात कर रहा हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इस पर विचार हो रहा है और आप को पता ही है कि भारत सरकार द्वारा शुगरकेन, 1966 की धारा 3 व 23 के अधीन प्रति वर्ष चीनी परते से सम्बन्धित प्राविधान है। मान्यवर, उन्हीं बिन्दुओं पर विचार करके गन्ने की उत्पादन लागत, किसानों की अन्य फसलों से होने वाली आय, उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी की उपलब्धता, गन्ना उत्पादित चीनी का मूल्य आदि इन सब बातों पर विचार हो रहा है और विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

लेकिन यह कब होगा ? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है। तो फिर आपने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय द्वारा आपको दिये गये अधिकार का प्रयोग 2 महीनों में क्यों नहीं किया ? मान्यवर, किसानों का शोषण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

जब स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका परीक्षण हो रहा है। उसके बाद गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाएगा तो पता चल जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सरकार चीनी मिल मालिकों से मिलकर किसानों का शोषण कर रही है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इतने गम्भीर प्रश्न का उत्तर भी सही से सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हम इस मुद्दे पर सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(नेता विरोधी दल सहित भाजपा के सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।)

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में सूखा प्रभावितों के लिये राहत देने की योजना

*8-श्री हरि प्रताप सिंह (अनुपस्थित)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों से पड़े सूखे के फलस्वरूप किसानों को राहत देने के लिये कोई योजना बनाई गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हां। वर्ष 2003-04 में सूखे का प्रभाव नहीं था। वर्ष 2004-05 में सूखा प्रभावितों के लिए योजना बनाई गई थी।

शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2004 तथा 03 मार्च, 2005 द्वारा।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में मार्ग लेपन हेतु धन अवमुक्त किये जाने की मांग

1-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद बलिया में नगरा कि0मी0 7 से डिहवा में रामनाथ के टोले तक की सड़क के लेपन हेतु कितना धन वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 में अवमुक्त किया गया है ? क्या अवमुक्त धन से सड़क का लेपन कार्य करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग के लेपन हेतु वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में कोई धन अवमुक्त नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित संसाधनों के कारण।

जिला शाहजहांपुर, ग्राम सराय ताल्लुके छिदौना में चकबन्दी कार्य

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सराय ताल्लुके छिदौना, ब्लाक भावल खेड़ा, ग्राम-सप्त्यारा (ददरोल) तहसील-सदर, जिला शाहजहांपुर में चकबन्दी कराये जाने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर जिला चकबन्दी अधिकारी द्वारा गजट कराने हेतु 6 माह पूर्व पत्रावली इलाहाबाद भेजी गई थी ? यदि हां, तो अब तक चकबन्दी कार्य प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ? उक्त चकबन्दी कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। ग्राम सराय ताल्लुके छिदौना परगना व तहसील व जिला शाहजहांपुर को चकबन्दी प्रक्रिया में शामिल करने हेतु विज्ञप्ति संख्या-6083/जी0-168/59 दिनांक 9 सितम्बर, 1998 को जारी की जा चुकी है।

ग्राम सप्त्यारा तहसील सदर में द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

उक्त ग्राम सराय ताल्लुके छिदौना में चकबन्दी प्रारम्भ न किये जाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोर कार्रवाई किये जाने तथा शीघ्र चकबन्दी कराने हेतु निर्देश चकबन्दी आयुक्त को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली की तहसील डलमऊ के ग्राम कटघर में कृषि भूमि का पट्टा किये जाने में हुई अनियमितता की जांच

3-श्री बीजू पटनायक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली की तहसील डलमऊ के ग्राम कटघर में कृषि भूमि का पट्टा किये जाने में हुई अनियमितता की जांच जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा वर्ष

2003 में की गई थी ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो दोषी राजस्व कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रायबरेली की तहसील-डलमऊ में ग्राम घुरवारा स्थित गांधी इण्टर कालेज के प्रबन्धन द्वारा ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा हटवाये जाने की मांग

4-श्री बीजू पटनायक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की तहसील-डलमऊ में ग्राम घुरवारा स्थित गांधी इण्टर कालेज के प्रबन्धन द्वारा ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनधिकृत कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

उक्त के सम्बन्ध में बेदखली का बाद सक्षम न्यायालय में योजित किया जा चुका है। निर्णयोपरान्त विधिक रूप से अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बाराबंकी, ग्राम मानपुर, थाना जैदपुर में श्री जगत नारायण सिंह की पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा हटाने विषयक पत्र

5-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री जगत नारायण सिंह, निवासी ग्राम-मानपुर, परगना-प्रतापगंज, थाना-जैदपुर, बाराबंकी की पैतृक जमीन पर उक्त गांव के ही निवासी श्री चन्द्र प्रकाश सिंह आदि द्वारा जबरन अवैध रूप से कब्जा करने विषयक माह फरवरी, 2005 में दिये गये पत्र पर राजस्व मंत्री का आदेश संख्या-261-वी0आई0पी0/05, दिनांक 22 फरवरी, 2005 जांच करके कब्जा दिलाने हेतु जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आदेश के अनुपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

संदर्भित पत्र पर मा0 राजस्व मंत्री जी द्वारा जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिये गये थे परन्तु प्रश्न में उल्लिखित कब्जा दिलाने के कोई आदेश नही किये गये थे।

जिलाधिकारी, बाराबंकी की आख्यानुसार ग्राम के आधार वर्ष खतौनी के खाता संख्या-31 में चन्द्र प्रकाश पुत्र विश्वनाथ व जगत नारायण सिंह पुत्र शुभकरन सिंह निवसी ग्राम के नाम सं0भू0 संयुक्त रूप से पूर्व सन् 1360 फ0 से अंकित है। आपसी समझौता दिनांक 22-6-75 के अनुसार श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र विश्वनाथ वर्तमान समय में स्थल पर काबिज हैं। भूमि विवादित होने के कारण चकबन्दी अधिकारी वाद संख्या-1337/तारीख फैसला 7-3-2005 द्वारा भूमि को क्रय विक्रय व बन्धक करने से रोकने का आदेश पारित किया गया है, जो अभिलेखों में अंकित है। चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम

में अभी धारा-10 पूर्ण किया गया है। चक निर्माण होने तथा धारा-23 (पुष्टीकृत) होने के पश्चात् सीमांकन/कब्जा परिवर्तन के समय नियमानुसार कब्जा दिलाने की कार्यवाही करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़, तहसील पट्टी की कतिपय ग्राम सभाओं में उप जिलाधिकारी पट्टी द्वारा नियम विरुद्ध किये गये निर्णयों की जांच किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

6-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा रायपुर, पूरे बंशीधर, सरोली, रामपुर बेला ग्राम सभाओं की ग्राम समाज की भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, पट्टी द्वारा नियम विरुद्ध किये गये दिनांक 1-1-2004 से अब तक के निर्णयों की जांच किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र-क-1/233618, दिनांक 16-6-2005, ख-3/271441, दिनांक 21-6-2005, ख-3/271442, दिनांक 21-6-2005 एवं क-1/233616, दिनांक 20-6-2005 तथा ख-3/271424, दिनांक 1-7-05 मुख्य सचिव, उ0प्र0 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

पत्र संख्या-क-1/233618, दिनांक 16-06-05 ख-3/271441, दिनांक 21-6-2005 प्राप्त हुआ है। अन्य पत्र प्राप्त नहीं पाया जाता।

जाँचोपरान्त कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-महोली के अन्तर्गत मितौली रोड के ठखिया तिराहे से चतुरैया गांव तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करवाने की मांग

7-श्री रामहेत भारती-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-महोली के अन्तर्गत मितौली रोड के ठखिया तिराहे से चतुरैया गांव तक मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित लेपन स्तर के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत मण्डी परिषद् द्वारा कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-9-2005 उन्हें प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी परिषद् से स्वयं के द्वारा निर्मित मार्गों पर ही मरम्मत का कार्य कराया जाता है और प्रश्नगत मार्ग मण्डी परिषद् से निर्मित नहीं है।

जनपद गोण्डा में बभनान से खोड़ारे जाने वाली प्रमुख सड़क के दोनों ओर अवैध निर्माण को हटाये जाने की मांग

8-कुँ0 आर0पी0एन0 सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गोण्डा में बभनान से खोड़ारे जाने वाली प्रमुख सड़क के दोनों ओर अवैध निर्माण करा लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त सड़क के दोनों ओर बने अवैध निर्माण को हटाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

अनधिकृत निर्माण हटाने हेतु सार्वजनिक भूगृहादि अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में 110 वाद दायर किये गये थे जिसमें से 31 में निर्णय प्राप्त हो गया था, जिसके विरुद्ध 20 मामलों में अवैध कब्जेदारों द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गयी है। 11 के अवैध कब्जे हटाये जा चुके हैं तथा शेष 79 मामलों में अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही मा0 न्यायालय के निर्णयोपरान्त की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम झंझरा पाण्डेय, परगना व तहसील बारा, जनपद इलाहाबाद की खतौनी के गाटा संख्या 145, 233/2, 333/2 में दर्ज तालाब की जानकारी

9-श्री उदयभान करवरिया-

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बारा जनपद-इलाहाबाद के शंकरगढ़ विकास खण्ड अन्तर्गत झंझरा पाण्डेय में स्थित तालाब संख्या 145, 233/2, 333/2 को 1359 फसली की खतौनी में जगदीश प्रसाद सिंह व विक्रमादित्य सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह एवं नाथू पुत्र शिवनन्दन दर्ज करा दिया गया है जबकि इसके पूर्व के फसली अभिलेखों में यह तालाब के रूप में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या प्रकरण की जांचोपरान्त मुख्य राजस्व अधिकारी ने अपने पत्रांक-667 दिनांक 17 जून, 2005 के द्वारा उप जिलाधिकारी, मेजा को इसे तालाब के रूप में दर्ज करने हेतु संदर्भित किया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम झंझरा पाण्डेय, परगना व तहसील बारा, इलाहाबाद की सन् फसली 1359 की खतौनी के गाटा सं0-145 पर राम आधार पुत्र लालमन सा0देह का नाम दर्ज है तथा गाटा सं0-235/2 जो प्रश्न में 233/2 तथा 333 जो प्रश्न में 333/2 अंकित है, पर जगदीश प्रसाद सिंह व विक्रमादित्य सिंह पुत्र नाथू का नाम न दर्ज होकर नाथू पुत्र शिवनन्दन का नाम दर्ज है जबकि इसके पूर्व के फसली अभिलेखों तथा बाद में फसली अभिलेखों में उक्त गाटे तालाब के ही खाते में अंकित है।

जी हां।

उप जिलाधिकारी मेजा के न्यायालय में वाद सं0-254/82 वर्ष 2003 जगदीश प्रसाद आदि बनाम राज्य सरकार अन्तर्गत धारा 229 बी ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधि0 1950 के अन्तर्गत विचाराधीन है

और बहस हेतु अग्रिम तिथि 19-11-05 नियत है। वाद का निस्तारण कराकर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महाराजगंज में आर0आई0डी0एफ0-7 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची

10-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद- महराजगंज में आर0आई0डी0एफ0-7 में क्रमांक 33, 34, 35 के मार्ग स्वीकृति के सापेक्ष कम दूरी अथवा बिना निर्मित कराये धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो इन मार्गों के नाम, स्वीकृत लम्बाई, वास्तविक निर्मित लम्बाई क्या है ? क्या सरकार स्वीकृत लम्बाई तक मार्ग पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आर0आई0डी0एफ-7 के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 27 नवम्बर, 2001 द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची के क्रमांक 33, 34 व 35 पर जनपद महराजगंज में कोई कार्य स्वीकृत नहीं है, अपितु 33, 34 व 35 पर जनपद बरेली के कार्य स्वीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

11-श्री उदयभान करवरिया-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद-गोरखपुर में बासगांव से कुसमौल मार्ग के निर्माण हेतु मुख्य मंत्री की घोषणा पर कार्यवाही की मांग

12-श्री सदल प्रसाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर में बासगांव से कुसमौल मार्ग के निर्माण हेतु मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 18-05-05 को घोषणा की गई थी ? क्या उसको पूरा करने के लिये स्वीकृति जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा।

ग्राम चांदपार तप्पा महसिन पर उनवल, तह0 खजनी में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत भू-अभिलेख के सम्बन्ध में जांच आख्या

13-श्री सदल प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-07-05, जो चकबन्दी आयुक्त को सम्बोधित था, तथा जिसमें ग्राम-चांदपार तप्पा महसिन, पर उनवल, तहसील खजनी में वर्ष 1969-70 चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत भू-अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी गयी जिससे ज्ञात हुआ कि तत्कालीन लेखपाल श्री राम भगौल गौड़ द्वारा सन् 1976 से पूर्व ग्राम के अभिलेख गायब करा दिये गये थे। श्री गौड़ की दिनांक 19-4-2004 को मृत्यु हो चुकी है। ग्राम के अनुपलब्ध अभिलेख तैयार किये जा रहे हैं। शासन स्तर से जांच के निर्देश चकबन्दी आयुक्त को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम-कनईल इस्तेमाली तथा कुशम्हा में खसरा, खतौनी एवं भू-अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में पत्र

14-श्री सदल प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-08-05, जो चकबन्दी आयुक्त को सन्दर्भित था, तथा जो ग्राम-कनईल इस्तेमाली तथा कुशम्हा में खसरा, खतौनी एवं अन्य भू-अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

अभिलेखीय आधार पर पत्र दिनांक 11-8-2005 चकबन्दी निदेशालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-जौनपुर में वर्ष 2005 में सूखे से प्रभावित ग्राम

15-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर में वर्ष 2005 में हुई कम वर्षा से सूखे से कितने ग्राम प्रभावित हुए हैं ? क्या सरकार इसका आकलन कराकर कृषकों को राहत राशि देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद जौनपुर में सामान्य वर्षा हुई। सूखे की स्थिति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-15-क के प्राविधानों का सरकारी गजट में प्रकाशन

16-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-157-क के प्राविधानों के अनुसार अनूसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को अन्य जातियों के लोगों द्वारा क्रय किये जाने पर प्रतिबन्ध है परन्तु विधिक जानकारी न होने के कारण अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि को अन्य जातियों के लोगों एवं सहकारी आवास समितियों द्वारा क्रय किया जा रहा है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि को अन्य जातियों के लोगों द्वारा क्रय किये जाने

पर लगे हुए प्रतिबन्ध की जानकारी जनता को देने हेतु समाचार पत्रों में इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

इस सम्बन्ध में धारा 157-क के प्राविधान स्वतः स्पष्ट हैं।

प्रचलित अधिनियम/कानून का अनुपालन सभी संबंधित के लिए बाध्यकारी है।

सुसंगत प्राविधान पूर्व में सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया वि0 स0 क्षेत्र चिलकहर के रसड़ा/बलिया मार्ग से संवरा से गोपालपुर होते हुये चिन्तामनपुर जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

17-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद-बलिया के रसड़ा बलिया मार्ग से संवरा से गोपालपुर होते हुए चिन्तामनपुर जाने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया रसड़ा मार्ग से औदी जाने वाला क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

18-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रसड़ा बलिया मार्ग से औदी जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलिया वि0स0 क्षेत्र चिलकहर जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

19-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद-बलिया के नगरा मड़वार मार्ग से कुरेजी चिलकहर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ तह0 बख्शी का तालाब परगना महोना के ग्राम नवीकोट की गाटा संख्या-56 पर अवैध कब्जे से बनी मिल को हटाये जाने सम्बन्धी पत्र

20-श्री कौशल किशोर-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-लखनऊ तहसील बख्शी का तालाब परगना महोना के ग्राम नवीकोट की गाटा संख्या 56 रकवा 455 है0 पर अवैध कब्जे से बनी मिल को हटाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2005 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

ग्राम नवीकोट नन्दना परगना महोना, तहसील बख्शी का तालाब, लखनऊ में गाटा संख्या-56/0.455 हे0 खाता सं0-419, खतौनी वर्ष 1411 फसली से 1416 फसली में सुशील कुमार अग्रवाल पुत्र रामनाथ गोयल निवासी रेलवे क्रासिंग, शहर लखनऊ व अशोक कुमार जैन पुत्र देव कुमार जैन, निवासी मौसमगंज, डालीगंज, लखनऊ के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। इस खसरा संख्या का खातेदारों के मध्य किसी भी न्यायालय द्वारा कोई विभाजन नहीं हुआ है। उक्त खसरा संख्या के 1/2 भाग पर दक्षिण की ओर सुशील कुमार पुत्र रामनाथ गोयल द्वारा राईस मिल का निर्माण कराया गया है तथा 1/2 भाग पर उत्तर की ओर अशोक कुमार जैन की भूमि पर चारदीवार बनी है। निर्माण के समय खाते में दर्ज दोनों खातेदारों के मध्य विवाद होने पर जाँच एवं परीक्षण के उपरान्त धारा-145 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही हो चुकी है, जिसका वाद उप जिलाधिकारी, बख्शी का तालाब के न्यायालय में विचाराधीन है। याची सुशील कुमार द्वारा रिट सं0-2745/04 मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसमें शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ काकोरी मार्ग से बरावन कलां जाने वाली सड़क को चौड़ा किये जाने सम्बन्धी जानकारी

21-श्री कौशल किशोर-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-लखनऊ काकोरी मार्ग से बरावन कलां जाने वाली सड़क को चौड़ा किये जाने विषयक श्री शिव सिंह चक तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 की सूचना पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नियम-51 के अन्तर्गत तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर दिये गये उत्तर के क्रम में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

कृषकों को अनुदान के रूप में प्रोत्साहन राशि दिये जाने की जानकारी

22-डा0 अजय कुमार-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषकों को स्प्रिंकलर सिंचाई विधियों को अपनाये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो वह प्रोत्साहन राशि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

जी हां। केन्द्र पुरोनिधानित आइसोपाम योजना के अन्तर्गत तिलहन, दलहन, आयलपाम तथा मक्का के कृषकों को अनुदान के रूप में प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्राविधान है।

भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि अलग-अलग श्रेणी के कृषकों के लिये निम्नानुसार तय की गयी है :--

1-सामान्य कृषकों को स्प्रिंकलर सेट के मूल्य का 33% अधिकतम रु0 10,000/- प्रति सेट जो भी कम हो।

2-लघु सीमान्त/अनु0 जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला कृषकों को स्प्रिंकलर सेट के मूल्य का 50% अधिकतम रु0 15,000/- प्रति सेट जो भी कम हो।

3-प्रत्येक 210 मी0 लम्बाई के एच0डी0पी0ई0 पाइप हेतु सामान्य कृषकों को मूल्य का 33% या अधिकतम रु0 10,000/- जो भी कम हो।

4-लघु सीमान्त/अनु0 जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला कृषकों को एच0डी0पी0ई0 पाइप के मूल्य का 50% अधिकतम रु0 15,000/- जो भी कम हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लोहिया ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत गांवों के चयन करने का लक्ष्य

23-डा0 अजय कुमार-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में लोहिया ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष 2005-06 में समुचित विकास हेतु कितने गांवों को चयनित करने का लक्ष्य है और इन ग्रामों पर अनुमानित कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बागपत के अन्तर्गत कौन-कौन गांव इस योजना में चयनित किये गये हैं ? क्या उक्त जनपद के ग्राम बाजिदपुर, हेवा व लूम्बा ग्रामों को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

500 ग्रामों के चयन करने का लक्ष्य है इन ग्रामों पर रु0 50.00 करोड़ की धनराशि व्यय होने का अनुमान है।

जनपद बागपत, क्षेत्रान्तर्गत लुहारी, फकरपुर, डौला, हैवा, इंदरीशपुर, बिलोचपुरा, बाजिदपुर व लूम्ब ग्राम लोहिया ग्राम योजना में चयनित किये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पंचायत हरिहरपुर, तहसील व जिला लखनऊ में महिला प्रधान श्रीमती मीना कनौजिया द्वारा नाजायज पट्टे को निरस्त किये जाने विषयक कार्यवाही

24-श्री राम प्रसाद चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000 से 2005 में ग्राम पंचायत हरिहरपुर तहसील व जिला लखनऊ में वर्तमान महिला प्रधान श्रीमती मीना कनौजिया द्वारा किये गये कतिपय पट्टे अपर जिलाधिकारी, प्रशासन लखनऊ द्वारा निरीक्षण करके निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त नाजायज किये गये पट्टे के आवंटन में लिप्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

दोषी लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा राजस्व निरीक्षक को चेतावनी निर्गत कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायम हरिहरपुर, विकास क्षेत्र सरोजनीनगर, तह0 जिला लखनऊ की प्रधान श्रीमती मीना कनौजिया द्वारा अपात्र व्यक्तियों को किये गये पट्टों का आवंटन निरस्त किये जाने की मांग

25-श्री राम प्रसाद चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत हरिहरपुर, विकास क्षेत्र सरोजनी नगर, तहसील व जिला-लखनऊ की प्रधान श्रीमती मीना कनौजिया द्वारा वर्ष 2000 से 2005 तक किन-किन भूमिहीनों को भूमि का आवंटन किया गया है ? क्या सरकार द्वारा उनमें से अपात्र व्यक्तियों को किये गये पट्टों के आवंटन निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रधान श्रीमती मीना कनौजिया द्वारा वर्ष 2000 से 2005 तक कुल 16 भूमिहीनों को आवंटन किया गया है।

जी हां, 9 अपात्र व्यक्तियों के पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया वि0 स0 क्षेत्र चिलकहर के इन्दपुर-गढ़मलपुर नहर पटरी से रत्सी होते हुए पकड़ी तक मार्ग की विशेष मरम्मत की मांग

26-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद-बलिया के इन्दपुर-गढ़मलपुर नहर पटरी से रत्सी होते पकड़ी तक मार्ग की विशेष मरम्मत हेतु धन आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्रामीण श्रेणी के प्रश्नगत मार्ग के विशेष मरम्मत हेतु रु0 12.96 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

कार्य मार्च, 2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया, वि0स0 क्षेत्र चिलकहर में मल्लन हरसेनपुर से तिपरा हैदरपुर जाने वाली सड़क की मरम्मत की स्वीकृति

27-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद-बलिया में मल्लन हरसेनपुर से तिपरा हैदरपुर जाने वाली सड़क की मरम्मत कराने की कोई योजना शासन के विचारार्धीन है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मरम्मत की स्वीकृति हो गयी है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कराकर 3/2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप जिलाधिकारी, पट्टी, प्रतापगढ़ के विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि में गड़बड़ी किये जाने सम्बन्धी जांच

28-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क-1/233618 दिनांक 16-6-05 एवं ख-3/271441 दिनांक 21-6-05 जो उप जिलाधिकारी, पट्टी प्रतापगढ़ के विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि में व्यापक गड़बड़ी किये जाने की जांच कराये जाने हेतु मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जांचोपरान्त कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड धनीपुर, ग्राम सिल्लापुर के समीप काली नदी पर पुल बनवाये जाने की मांग

29-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के विकास खण्ड धनीपुर के ग्राम सिल्लापुर के समीप काली नदी पर पुल न होने के कारण सैकड़ों गांव के लोगों को 20 किमी0 की दूरी तय करके जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी पर पुल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

काली नदी पर प्रस्तावित पुल के स्थल से लगभग 10 कि0मी0 अपस्ट्रीम में "अलीगढ़-रामघाट मार्ग" पर तथा 10 कि0मी0 डाउनस्ट्रीम में "नानो-दादो मार्ग" पर पक्का पुल उपलब्ध है। प्रस्तावित पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 में डास्प योजना प्रथम फेज में चयनित जनपद एवं विकास खण्डों की सूची

30-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डास्प योजना प्रथम फेज में किन-किन जनपदों में लागू की गई है तथा उन जनपदों के किस-किस वि0खं0 को चयनित किया गया है ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प) प्रथम फेज में उत्तर प्रदेश के 32 जनपदों के 157 विकास खण्डों में लागू की गयी है, जनपदों एवं विकास खण्डों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 123 पर)

31-श्री सदल प्रसाद-

[1ले सोमवार अता0 प्र0 सं0-137 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर क्षेत्र सुल्तानपुर के अन्तर्गत गोमती नदी के दक्षिण छोर पर रेलवे पुल से गोलाघाट होते हुए सीता कुण्ड घाट तक बन्धा व सड़क बनाने से सम्बन्धित योजना

32-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-51 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत योजना का आगणन शासन को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कब तक धन अवमुक्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य स्थलीय स्थिति के अनुसार कराया जाना सम्भव नहीं है।

सुल्तानपुर में बिसानी पूरे राल्ही के पुरवा से नहर के पुल तक सड़क के निर्माण की मांग

33-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-45 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत परियोजनाओं को इस वर्ष वित्तीय स्वीकृति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) से विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति परियोजनाओं की तुलनात्मक उपयोगिता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार।

पूर्वान्चल विकास निधि से स्वीकृत परियोजनाओं हेतु अवशेष धनराशि की मांग

34-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम गुरुवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-50 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर से मांगी गई सूचना प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या अवशेष धनराशि को अवमुक्त किये जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद के पत्र दिनांक 19-11-05 के साथ सूचना प्राप्त हुई है, जो अधूरी है। मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद को पूर्ण सूचना/पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद स्थित शास्त्री पुल एवं फाफामऊ पुल पर टोल टैक्स समाप्त करने की मांग

35-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद स्थित शास्त्री पुल एवं फाफामऊ पुल से निर्माण लागत से दुगुना टोल टैक्स वसूला जा चुका है ? क्या यह सत्य है कि उक्त दोनों पुलों पर टोल टैक्स समाप्त करने की घोषणा सरकार द्वारा दिनांक 28-7-2005 को सदन में की गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पुलों से टोल टैक्स समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या टोल टैक्स समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-7-05 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, लगभग दोगुनी धनराशि अवश्य वसूल की जा चुकी है परन्तु पथकर वसूली के लिये सेतु की निर्माण लागत के साथ नियमानुसार ब्याज एवं अनुरक्षण व्यय को भी वसूल किया जाना है।

जी नहीं, प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार ब्याज एवं अनुरक्षण व्यय सहित पुल की लागत की वसूली पूर्ण होने पर ही सेतु का टोल टैक्स से मुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों सेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित हैं अतः इन पर पथकर वसूली को समाप्त करने का अन्तिम निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है।

जी हां, उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समैन) के स्वीकृत पद

36-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समैन) के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरुद्ध कितने कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

लोक निर्माण विभाग में मानचित्रकार के कुल 319 पद स्वीकृत है। उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल 417 मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समैन) तैनात हैं तथा रिक्तियों की संख्या शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ-हरदोई रोड स्थित दुबग्गा से बरावन कलां तक सड़क के चौड़ीकरण हेतु कार्यवाही

37-श्री कौशल किशोर-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-लखनऊ- हरदोई रोड स्थित दुबग्गा से बरावन कलां तक सड़क के चौड़ीकरण हेतु श्री कौशल किशोर तत्कालीन श्रम राज्य मंत्री के पत्र संख्या 2426/रा0म0श्रम/लखनऊ दिनांक 9-6-2004 पर प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा धन आगणन कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। पत्र पर दिये गये आदेशों के अनुपालन की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद जौनपुर में विद्युत केन्द्र निर्माण हेतु कास्तकारों की अधिग्रहीत भूमि पर कास्तकारों को दिये गये मुआवजे का विवरण

38-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, जौनपुर को विद्युत विभाग, जौनपुर से दिनांक 31-3-89 को रु0 5,00,480.00 दिनांक 23-3-99 को रु0 5,56,150.90, दिनांक 30-3-2000 को रु0 16,10,587.87 इस प्रकार कुल रु0 26,67,238.77 बढ़ी हुई प्रतिकर की धनराशि प्राप्त हुई है जो 220 के0वी0 विद्युत केन्द्र जौनपुर के निर्माण हेतु ग्राम मुरादगंज में अधिग्रहीत भूमि के कास्तकारों को वितरित करना था ? क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि बढ़ी हुई प्रतिकर की धनराशि कितने कास्तकारों को दी गई तथा कितने को दिया जाना शेष है ? उनका नाम, प्रतिकर की धनराशि का विवरण क्या है

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां। जिलाधिकारी, वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, बढ़ी हुई प्रतिकर की धनराशि का अन्तरिम भुगतान 19 कास्तकारों को किया जा चुका है। 06 कास्तकारों जिनके नाम क्रमशः सर्वश्री राम सुभग, मजीद, बलवन्ता, महगू, रविन्द्र नाथ एवं शंकर हैं, का प्रतिकर की बढ़ी धनराशि के

सम्बन्ध में, वाद/अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। जिसके कारण इन कास्तकारों को देय प्रतिकर की धनराशि का अभी निर्धारण एवं भुगतान नहीं हुआ है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के (उत्तर प्रदेश स्टेट रोड प्रोजेक्ट) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की मांग

39-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी का मार्ग बेला-पट्टी-दखवा जो विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तर प्रदेश स्टेट रोड प्रोजेक्ट-2 के द्वितीय चरण के 32 वृहद् रख-रखाव के कार्यों के पैकेजेज में शामिल हैं, का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

निर्माण कार्य अप्रैल/मई, 2006 से प्रारम्भ कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के ग्राम बधवा बाजार एवं सलाहपुर में अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

40-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम बंधवा बाजार एवं सलाहपुर में वर्ष 1985 से अब तक कुल कितने लोगों ने ग्राम समाज की भूमि तालाब, चारागाह, मरघट, रिजर्व लैण्ड पर अवैध ढंग से स्थायी निर्माण तथा प्रतिबन्धित तालाब आदि पर कब्जा कर लिया है ? उक्त अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-10-2004 मा0 राजस्व मंत्री जी को जांच कराने हेतु उनके निर्देशों सहित प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम बंधवा बाजार, ग्राम सभा सलाहपुर एवं मझौली की गाटा संख्या-990/ 0.349 हे0 नवीन परती व 985/0.770 हे0 व 327/1.473 हे0 तालाब के खाते की भूमि पर अवैध ढंग से स्थायी निर्माण है।

जी हां।

गाटा संख्या 327 ग्राम मझौली के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकार गाटा संख्या-985 ग्राम सलाहपुर के सम्बन्ध में भी वाद दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है तथा गाटा संख्या 990 में अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में ज0 वि0 अ0 की धारा 122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित हुआ कि भू0रा0अ0 की धारा 123 के अन्तर्गत अधिकार परिपारित हो चुके हैं तथा नोटिस 49क वापस लिया गया। गाटा सं0 990 ऊसर खाते में अंकित है जिस पर तीन व्यक्तियों के मकान बने होने के कारण ज0वि0 अ0 की धारा 122 बी के अन्तर्गत वाद तहसीलदार न्यायालय में संस्थित किया गया है। जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, ग्राम अमरेढ़ी तहसील तिलहर के कृषकों को सूखा राहत देने सम्बन्धी पत्र

41-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुन्ना सिंह तोमर तथा अन्य निवासीगण ग्राम अमरेढ़ी तहसील-तिलहर जनपद-शाहजहांपुर के कृषकों को सूखा राहत देने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-130089/ 05, दिनांक 3-8-05 प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व एवं आपदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को जांच के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच की ग्राम सभा जगदीशपुर के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि के किये गये पट्टे की जांच

42-श्री राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच की ग्राम सभा जगदीशपुर के ग्राम प्रधान द्वारा वर्ष 2000 से 30 अगस्त, 2005 तक ग्राम समाज की भूमि के कितने पट्टे किये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पट्टे बिना ग्राम सभा की कमेटी के प्रस्ताव व बिना उच्च अधिकारियों के अनुमोदन से किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इन फर्जी पट्टों को निरस्त कर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच की ग्राम सभा जगदीशपुर तहसील चौरीचौरा में वर्ष 2002-2003 में 51 व्यक्तियों में 0.235 हे0 आवासीय भूमि का तथा वर्ष 2004-2005 में 60 व्यक्तियों में 0.463 हे0 भूमि का आवासीय पट्टा हुआ है। कुल 111 व्यक्तियों में 0.698 हे0 भूमि का आवासीय पट्टा 30 अगस्त, 2005 तक किया गया है।

जी नहीं उक्त सभी आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी की स्वीकृति के फलस्वरूप किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के सा0 मिरदादपुर के गाटा संख्या 121, 142 एवं 125 पर अवैध कब्जे पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश

43-श्री राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सा0 मिरदादपुर के गाटा संख्या 121, 142 रकबा 125 पर राम अवध सतिराम फलचन्द आदि लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है जिसे खाली कराने हेतु उप जिलाधिकारी, सदर, गाजीपुर के पत्र संख्या मेमों/आ0लि0/2003, 5 दिसम्बर, 2003 द्वारा नायब तहसीलदार सिटी को आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

उप जिलाधिकारी, सदर, गाजीपुर के पत्र सं0-मेमो/अ0लि0/2003, दिनांक 15 दिसम्बर, 2003 द्वारा उक्त आदेश दिये गये थे।

जी नहीं।

सिविल जज सीनियर डिवीजन, गाजीपुर द्वारा दीवानी वाद संख्या-465 वर्ष 1997 मुन्नी आदि बनाम हरी यादव आदि में पारित आदेश दिनांक 21-10-1997 द्वारा उभयपक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उपरोक्त अन्तरिम आदेश के परिप्रेक्ष्य में उप जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्र दिनांक 15-12-2003 में दिये गये आदेश का अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के निवासी उमरा के श्री कोलई (अनु0 जाति) द्वारा कथित विक्रय भूमि का प्रकरण

44-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कोलई आदि अनुसूचित जाति निवासी उमरा पो0 दियावां तहसील पट्टी, प्रतापगढ़ द्वारा अपर जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से ग्राम लबेदा तहसील पट्टी में वाद संख्या-157/2000 दिनांक 11-8-2000 दायर कर अपनी भूमि बेचने हेतु अनुमति प्राप्त की गई थी ? यदि हां तो क्या श्री कोलई आदि द्वारा अनुमति पत्र की सभी शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं तो श्री कोलई, अनुसूचित जाति आदि द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र जो श्री रामपदारथ लबेदा के पक्ष में किया गया है उसे निरस्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र क-1/233625 दिनांक 1-7-05 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

अभिलेखों के आधार पर पाया गया कि प्रकरण में श्री कोलई का देहान्त हो जाने तथा श्री रामपदारथ के सपरिवार गांव छोड़ अन्यत्र चले जाने के कारण अनुमति पत्र के शर्तों का अनुपालन किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

चूंकि रामपदारथ लवेदा के पक्ष में कोई विक्रय किया ही नहीं है। अतः निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु ए0 आई0 सी0 टी0 ई0 से अनुमति लिये जाने की जानकारी

45-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) नैनी, इलाहाबाद में अनेक पाठ्यक्रम बिना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति से चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस अनियमितता के लिए विश्वविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है।

इस बिन्दु पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त श्री हरीराम कृषि रक्षा अधिकारी, झांसी का उच्चीकृत वेतन स्वीकृत करने एवं देयों के भुगतान की मांग

46-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक (कृषि रक्षा) झांसी मण्डल, झांसी का पत्रांक 717/स्था0-1- कृ0र0/30 वै0मा0/03-04 दिनांक 28 जनवरी, 2004 जो सेवानिवृत्त श्री हरी राम, कृषि रक्षा अधिकारी झांसी का उच्चीकृत वेतन स्वीकृत करने तथा क्रमशः 14,19,24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के परिणामी लाभ स्वीकृत किए जाने विषयक था अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) ए0बी0-1 अनुभाग कृषि निदेशालय, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त देयों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी हां।

नियमानुसार अनुमन्य देयों का भुगतान यथाशीघ्र सुनिचित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम-बारा बुजुर्ग में चकरोड संख्या 1390 का अनधिकृत कब्जा हटाने की मांग

47- श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2005 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-48 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत चकरोड संख्या-1390 के पास सार्वजनिक आबादी में बने मकानों की भूमि कितनी है ? क्या यह सही है कि मकान स्वामियों के पास उक्त भूमि के पट्टे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से आबादी की भूमि की पैमाइश कराकर प्रश्नगत चकरोड अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रश्नगत चकरोड गाटा संख्या-1390 के पास सार्वजनिक आबादी में बने मकानों से सम्बन्धित गाटा संख्या-1389 का क्षेत्रफल 0.101 हे0 है।

जी हां।

पैमाइश उपरान्त ही चकरोड अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु सम्बन्धित मकान स्वामियों के विरुद्ध विधिक रूप से बेदखली हेतु सहायक कलेक्टर/तहसीलदार हसनगंज के न्यायालय में वाद योजित करवा दिये गये हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

48-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू-

[1ले सोमवार के अता0 प्र0 सं0-138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव में अजगैन-मोहान रोड स्थित लालपुर से धोपाकोडिया मकदूमपुर चूरमा जाने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

49-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद-उन्नाव में अजगैन-मोहान रोड स्थित लालपुर से धोपाकोडिया मकदूमपुर चूरमा जाने वाली सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की लेपन कार्य एवं मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत एवं लेपन का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ तह0 मलिहाबाद गांव बगवारा के श्री मोहन लाल पुत्र रिक्खी का सार्वजनिक मार्ग से दीवार हटवाने विषयक पत्र

50-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन लाल पुत्र रिक्खी गांव बगवारा, तहसील मलिहाबाद, लखनऊ का शिकायती-पत्र दिनांक 6-9-04 जो सार्वजनिक मार्ग से दीवार हटवाने के सम्बन्ध में है, एस0डी0एम0, मलिहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सार्वजनिक मार्ग से दीवार हटवाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-9-2004 के बजाय 9-8-2004 को प्राप्त हुआ है।

शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच थानाध्यक्ष माल से करायी गयी तथा उप जिलाधिकारी, मलिहाबाद के न्यायालय में धारा-133 (एक) द0प्र0सं0 का वाद संस्थित कर प्रारम्भिक आदेश दिनांक 01-05-2003 को जारी किया गया। प्रकरण में रास्ते पर कोई अतिक्रमण किया जाना नहीं पाया गया। तदोपरान्त धारा 133 द0प्र0सं0 की कार्यवाही आदेश दिनांक 06-06-2005 द्वारा समाप्त कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनूप कुमार सक्सेना, तत्कालीन नायब नाजिर तहसील-तिलहर, जनपद शाहजहांपुर का निलम्बन

51-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती मधू सक्सेना पत्नी श्री अनूप कुमार सक्सेना तत्कालीन नायब नाजिर, तहसील-तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर ने अपने पद का माह 11-2004 व

जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, 2005 का वेतन अभी तक न प्राप्त होने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-6-05 जिला अधिकारी, शाहजहांपुर का रजि0 डाक द्वारा दिया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

श्री अनूप कुमार सक्सेना, तत्कालीन नायब नाजिर तहसील तिलहर के माह नवम्बर, 2004 से बिना समुचित प्रार्थना-पत्रों के गायब रहने एवं लिखित निर्देश के बावजूद भी चार्ज न दिये जाने के कारण दिनांक 7-5-05 को निलम्बित कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण उन्हें उक्त अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के तहसील सदर के ग्राम काकराबाद में अनु0 जाति/पिछड़ी जाति के किसानों की संक्रमणीय भूमि का चकबन्दी द्वारा की गयी विपरीत व्यवस्था पर आवश्यक कार्यवाही

52-चौ0 मस्तराम एडवोकेट-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद तहसील सदर लखनऊ के ग्राम काकराबाद में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के किसानों की भूमि जो विगत चकबन्दी अभिलेख में श्रेणी-1क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज थी को उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-6 की उपधारा-1 में दी गयी व्यवस्था के विपरीत उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ द्वारा दिनांक 6-8-2002 को ग्राम सभा में अंकन किये जाने विषयक श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 की सूचना पर अध्यक्ष पीठ द्वारा, दिनांक 18 मार्च, 2005 को शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

मा0 अध्यक्ष पीठ के आदेशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही/अद्यतन स्थिति से श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, मा0 सदस्य विधान सभा को पत्र दिनांक 18 जुलाई, 2005 द्वारा अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन वि0 ख0 महेवा में पिपरौधा रपटा का अधूरा निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने की मांग

53-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जालौन वि0ख0 महेवा में पिपरौधा रपटा का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रपटे का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के तहसील तिलहर में सूखा राहत हेतु वर्ष 2002 से 2005 तक वितरित धनराशि का विवरण

54-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील तिलहर जनपद-शाहजहांपुर में 1-4-2002 से 25-7-05 तक की अवधि में सूखा राहत हेतु कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी धनराशि कब-कब वितरित की गई ? क्या यह सही है कि सूखा राहत की धनराशि का वितरण न करके उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

तहसील तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को सूखा राहत हेतु वर्ष 2002 में रु0 1,21,88,796/- एवं वर्ष 2005 में रु0 42,95,000/- प्राप्त हुआ। तथा वर्ष 2002 में 244 ग्रामों में 57829 पात्र कृषकों में रु0 94,83,930/- तथा वर्ष 2005 में 143 ग्रामों में 8803 पात्र कृषकों को रु0 42,95,000/- वितरित किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम दौलतपुर की सड़कों के डामरीकरण कराये जाने का विवरण

55-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद-शाहजहांपुर के ग्राम-दौलतपुर की सड़कों का डामरीकरण कराने विषयक माननीय मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0-/130098/05, दिनांक 3-8-05 प्रमुख सचिव/सचिव, लो0नि0वि0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सन्दर्भित पत्र में वर्णित ग्राम दौलतपुर खिरियामाल, गोविन्दपुर एवं शाहपुर की सड़कों के डामरीकरण के प्रस्ताव नाबार्ड-11 में प्रस्तावित हैं। ग्राम सिमरिया रायपुर का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-4 में स्वीकृत हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये पूर्वान्चल निधि से स्वीकृत मार्गों की प्रगति का विवरण

56-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए पूर्वांचल निधि के राज्यांश से स्वीकृत मार्ग सरसतपुर-नेवादा मार्ग 2 कि0मी0, अरईला-भाटपट्टी-महरुपुर मार्ग 6 कि0मी0, भीखमपुर-तेलियानी-लखनुडी मार्ग 7 कि0मी0 तथा रुर से लालगंज मार्ग 5 कि0मी0 का निर्माण कार्य से शून्य लेपन स्तर तक निर्गत शासनादेश में स्वीकृत है ? स्वीकृत मार्गों में से कितना मार्ग निर्मित हो चुका है ? क्या स्वीकृत लम्बाई के शेष भाग जो अभी तक अपूर्ण है, को धन उपलब्ध कराते हुए शून्य से लेपन स्तर तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सरसतपुर-नेवादा मार्ग स्वीकृत लम्बाई 2.00 कि0मी0 के सापेक्ष 1.26 कि0मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण किया गया है, अरैला-भाटपट्टी-महरूपुर मार्ग लम्बाई 6.00 कि0मी0 संरेखण परिवर्तित हो जाने के कारण परिवर्तित संरेखण के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, भीखमपुर-तेलियानी-लखनुडीह मार्ग स्वीकृत लम्बाई 7.00 कि0मी0 के सापेक्ष 1.250 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग दो भागों में लेपन स्तर तक निर्मित है तथा रूर से लालगंज मार्ग स्वीकृत लम्बाई 5.00 कि0मी0 के सापेक्ष 2.900 कि0मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण है।

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि का अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद में मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु कथित पत्र

57-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, जनपद-फैजाबाद में मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-5-05 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ग्राम पूरावली में अनुसूचित जाति के गरीब निवासीगणों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कथित पत्र

58-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पूरावली तहसील-मिल्कीपुर, जनपद-फैजाबाद के अनुसूचित जाति के गरीब निवासीगणों को वर्षों पूर्व पट्टे पर आवंटित खेती की भूमि जो नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद की स्थापना के समय अधिगृहीत की गयी, भूमि

के स्थान पर उन्हें अन्यत्र भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 1-12-04 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

अभिलेखीय आधार पर उक्त पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उप निदेशक कृषि, लखनऊ मण्डल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्र

59-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या कृषि मंत्री, बताने की कृपा करेंगे कि ''भ्रष्टाचार हटाओ देश बचाओ'' मंच, लखनऊ द्वारा उप कृषि निदेशक (भू0स0) लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न से सम्बन्धित पत्र दिनांक 29-3-05 एवं पृष्ठांकित पत्र दिनांक 24-3-05 मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक की जायेगी ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी हां।

प्रश्नगत पत्रों में उल्लिखित शिकायती-पत्रों की जांच संयुक्त कृषि निदेशक (राष्ट्रीय जलागम) द्वारा की गयी। जांचाख्या प्राप्त हो गयी है जिस पर गुण-अवगुण के आधार पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कृषि अधिकारी, फैजाबाद द्वारा भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के दुरुपयोग की कथित शिकायत

60-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री जी को प्रेषित पत्र दि0 24-6-05 जो जिला कृषि अधिकारी, फैजाबाद द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर की ग्राम तुरनारुद्र एवं धनारामपुर में किये गये अनियमित पट्टों को निरस्त किये जाने सम्बन्धी पत्र

61-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002 एवं 2003 में ग्राम पंचायत-तुरनारुद्र पीयरचक, विकास खण्ड बेहंदर, तहसील-सण्डीला, जिला हरदोई के ग्राम तुरनारुद्र एवं धनारामपुर में तहसीलदार, सण्डीला द्वारा 12 अपात्र व्यक्तियों को किये गये अनियमित पट्टों की शिकायत विषयक ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं मा0 सांसद श्री जय प्रकाश के पत्र दिनांक 9-11-2004 पर

जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा जांच कराई गयी थी जिसमें पट्टों को अनियमित पाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमित पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 11-3-2005 को ज0वि0अ0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(4) के अन्तर्गत उक्त विनियमितीकरण निरस्त किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ग्राम परसिया जयरामगिर की जमीन से सम्बन्धित प्रकरण की जांच

62-श्री राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भीम यादव, ग्राम व पो0 परसिया जयरामगिर, तहसील-मधुवन, जिला-मऊ की जमीन से सम्बन्धित प्रकरण की जांच मण्डल स्तर के अधिकारी से कराने के आदेश दिनांक 30-7-04 को मण्डलायुक्त, आजमगढ़ को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच मण्डलायुक्त से कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल के आदेश दिनांक 31-8-2004 के अनुपालन में अपर आयुक्त, आजमगढ़ द्वारा जांच आख्या दिनांक 05-11-2004 प्रस्तुत की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद वि0 स0 क्षेत्र चन्दौसी के कतिपय मार्गों को गड्ढा मुक्त कराये जाने की मांग

63-श्रीमती गुलाब देवी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चन्दौसी-जनपद-मुरादाबाद के रतनपुर बेरनी मार्ग, छावड़ा से धनुपूरा होते हुए रामपुर की सीमा तक क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को जनहित में गड्ढा मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद में सड़कों को गड्ढामुक्त करने की योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

64-श्रीमती गुलाब देवी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

उक्त आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि 14-चन्दौसी विधान सभा क्षेत्र के लिए आवंटित की गयी है तथा उक्त क्षेत्र की कौन-कौन सी सड़कें गड्ढामुक्त करने के लिए चयनित की गयी है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद मुरादाबाद में विभिन्न मार्गों को गड्ढामुक्त करने के लिये रु0 57.24 लाख की व्यवस्था की गयी है।

चन्दौसी विधान सभा क्षेत्र के लिये उक्त आवंटित धनराशि में से रु0 2.14 लाख आवंटित है। चयनित मार्ग निम्नवत् हैं :--

1-चन्दौसी संभल (प्रमुख जिला मार्ग)

2-शाहाबाद बिलारी (प्रमुख जिला मार्ग)

3-बिलारी सिरसी (अन्य जिला मार्ग)

जनपद आजमगढ़ के थाना-बरदह से मुहम्मदपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की मांग

65-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के थाना-बरदह के सामने से बरदह मुहम्मदपुर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

थाना बरदह से मोहम्मदपुर तक मार्ग की लम्बाई लगभग 25कि0मी0 है। इस भाग में वर्षा ऋतु में मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गये थे तथा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। वैट मिक्स मैकेडेम के माध्यम से गड्ढों एवं क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का कार्य करा दिया गया है तथा मार्ग को यातायात योग्य रखने हेतु निरन्तर मरम्मत की जा रही है। बिटुमिनस मैटीरियल के माध्यम से मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रगति में हैं तथा सभी आवश्यक कार्य 30 नवम्बर, 2005 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम अटवा, जनपद मुरादाबाद की तहसील चन्दौसी में आरिल नदी पर पुल के निर्माण की मांग

66-श्रीमती गुलाब देवी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अटवा, तहसील-चन्दौसी, ब्लाक बिलारी, जनपद-मुरादाबाद में आरिल नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम अटवा, जनपद मुरादाबाद की तहसील चन्दौसी में बिलारी डारनी मार्ग से जुड़ा है। अतएव प्रश्नगत सेतु निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद जालौन के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त जालौन-औरयूया मार्ग की जांच कराने के निर्देश

67-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जालौन के अन्तर्गत जालौन-औरयूया मार्ग एक वर्ष के भीतर ही पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की तकनीकी जांच कराकर घटिया निर्माण के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है।

उक्त मार्ग की तकनीकी जांच करने हेतु प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ (टी0ए0सी0) को निर्देश दे दिये गये हैं। जांचोपरान्त उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जांचोपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

68-श्री कौशल किशोर-

[1ले सोमवार के अता0प्र0सं0-142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम इब्राहिमपुर में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर बनाये गये मकान के विरुद्ध जारी नोटिस की वापसी

69-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर मकान बने होने की दशा में उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा-122-ख(4च), 122बी-(4 एफ), धारा-123 में उन्हें बेदखल न किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि जनपद-लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के अन्तर्गत ग्राम-इब्राहिमपुर में वर्ष 2003 में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली हेतु नियम 49क की नोटिसें असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा जारी की गयी तथा कितनी नोटिसें वापस ली गयीं तथा कितने वाद लम्बित हैं तथा कितने लोगों से जुर्माना वसूल किया गया ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच मण्डलायुक्त से कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए सारा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जनपद-लखनऊ की तहसील-मलिहाबाद के अन्तर्गत ग्राम इब्राहिमपुर में वर्ष 2003 में 06 व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली हेतु नियम-49क की नोटिसें असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा जारी की गयी

तथा सभी 06 व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिसें वापस ले ली गयी क्योंकि समस्त व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे तथा इन सभी के मकान एक मई 2002 के पूर्व लगभग 20-25 वर्ष पहले के बने हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों को निर्देशित कर दिया गया है कि सक्षम न्यायालय में धारा-123 उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु वाद दायर करें। वर्तमान में कोई वाद लम्बित नहीं है न ही किसी व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम इब्राहिमपुर में श्री गंगाराम के विरुद्ध धारा 122 बी के अन्तर्गत जारी नोटिस की वापसी

70-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ की तहसील मलिहाबाद में वाद संख्या-160/2003, धारा-122 बी0, नियम 115 डी0 ग्राम-इब्राहिमपुर गांव सभा बनाम गंगाराम में तहसीलदार मलिहाबाद, लखनऊ के निर्णय दिनांक 06-08-2004 द्वारा प्रतिवादी के भूमिहीन खेतिहर मजदूर होने के आधार पर उसके विरुद्ध जारी 49क की नोटिस वापस ली गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रतिवादी के पास 6 बीघे से अधिक भूमि है तथा वह पेंशनर है एवं दो निजी पक्के मकानों का मालिक भी है ? यदि हां, तो नियम-49क के अन्तर्गत जारी की गयी नोटिस वापस लेने का आधार क्या है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

न्यायालय तहसीलदार मलिहाबाद वाद संख्या 160/2003 धारा 122बी नियम 115 डी गांव सभा बनाम गंगाराम लेखपाल सचिव भूमि प्रबन्धक समिति की रिपोर्ट के आधार पर योजित की गयी। वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर करते हुए नोटिस 49क को वापस लिया गया।

प्रकरण में शासन स्तर से आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद संत रविदास नगर, तह0 औराई, ग्राम धनवतियां में तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने की मांग

71-श्री राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धनवतियां तहसील औराई जनपद सन्त रविदास नगर की आराजी नं0 एक तालाब है और भूलेख में भी तालाब दर्ज है और उस तालाब के पूर्वी भाग के भीटे को समतल कर ग्राम के दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर उस पर मकान बना लिया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम सभा-गयासपुर में चकरोड पर श्री रामलोट वर्मा द्वारा कब्जा किये जाने के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही

72-श्री राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अम्बेदकर नगर की तहसील जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा-गयासपुर (समसुद्दीनपुर) के सरकारी चकरोड नम्बर 991 पर रामलोट वर्मा द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त चकरोड खाली कराने के लिए दि0 21 जून. 03 को उपजिलाधिकारी को- श्री राजेश वर्मा द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

संज्ञान में आने पर प्रकरण में 122 बी की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ग्राम हरखपुर में अनुसूचित जाति के निवासीगणों के प्रति दबंग लोगों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत

73-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हरखपुर, थाना खन्डासा, तहसील मिल्कीपुर, जनपद-फैजाबाद के गरीब अनुसूचित जाति के निवासीगणों का गांव के ही दबंग व्यक्तियों द्वारा आम रास्ता बन्द कर दिये जाने एवं उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 1-12-04 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

चकबन्दी विभाग द्वारा चकबन्दी के दौरान चकमार्ग संख्या-484 व क्षेत्रफल 0.023 हे0 स्थापित कर दिया गया है। जिसका सीमांकन कर खाली कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम मदाफपुर के प्रधान श्री जगदीश द्वारा ग्राम सभा की जमीन पट्टे पर दिये जाने में बरती गयी अनियमितता का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

74-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मदाफरपुर, तहसील पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान श्री जगदीश द्वारा वर्ष 1991 से 1995 तक ग्राम सभा की कुल कितनी भूमि का कृषि, आवासीय, वृक्षारोपण, तालाब, कुम्हारी पट्टा किया गया है ? पट्टा किये गये लोगों में कितने और कौन-कौन लोग अन्य जनपद एवं ग्राम सभाओं के हैं ? क्या पट्टे किये जाने में की गयी घोर अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने दोषी ग्राम प्रधान तथा अन्य के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने हेतु अपने पत्र 3594/शिविर-99, दिनांक 23-10-99 द्वारा

उपजिलाधिकारी, पट्टी को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम प्रधान श्री जगदीश नारायन व अन्य कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1991 से 1995 तक ग्राम सभा की 58 बीघा 4 बिस्वा 7 धूर भूमि का पट्टा कृषि एवं आवास हेतु किया गया है। वृक्षारोपण, तालाब, कुम्हारी कला का पट्टा नहीं किया गया है।

अनियमिततायें परिलक्षित हुई हैं, लेकिन कोई भी आवंटी अन्य जनपद एवं ग्राम सभाओं के नहीं हैं।

जी हां।

जी नहीं।

वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण एफ0 आई0आर0 दर्ज नहीं करायी गयी, परन्तु तत्कालीन लेखपालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र चन्दौसी, जनपद मुरादाबाद की मण्डी समिति द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धन

75-श्रीमती गुलाब देवी-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, चन्दौसी जनपद मुरादाबाद की मण्डी समिति, चन्दौसी द्वारा वर्ष 2004-2005 में कितना धन सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त धन में से कितना धन विधान सभा क्षेत्र चन्दौसी के लिए किन-किन सड़कों के निर्माण हेतु दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

रु0 72.00 लाख।

मण्डी परिषद् में सम्पर्क मार्गों की स्वीकृतियां विधान सभा क्षेत्रवार प्रदान न कर मण्डी समितिवार प्रदान की जाती हैं। मण्डी समिति चन्दौसी क्षेत्रान्तर्गत कुल चार मार्ग स्वीकृत किये गये हैं। मण्डी समिति क्षेत्रान्तर्गत तीन विधान सभा क्षेत्र हैं जिनमें से विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में 01 तथा विधान सभा क्षेत्र बिसौली में 03 मार्ग तथा विधान सभा क्षेत्र चन्दौसी क्षेत्रान्तर्गत कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है।

मण्डी परिषद् द्वारा स्वीकृतियां विधान सभा क्षेत्रवार नहीं दी जाती है।

जनपद मुरादाबाद में कतिपय मार्गों का लेपन कार्य

76-श्रीमती गुलाब देवी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14-चन्दौसी विधान सभा क्षेत्र जनपद-मुरादाबाद में कुढ से धूमनगर, छावड़ा से ढडौला, रीठ से बहोरनपुर, छावड़ा से हुलासपुर मार्गों पर पत्थर डालकर छोड़ दिया गया है जिसके पत्थर उखड़ गये हैं, जिससे आवामगन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का लेपन कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्गों की क्रमवार स्थिति निम्नवत् है :--

1-कुढ से धूमनगर मार्ग कार्य प्रगति में है। उक्त कार्य 6/2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

2-छावड़ा से हडोला मार्ग पत्थर खड़न्जा स्तर का मार्ग है। इस मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है।

3-रीठ से बहोरनपुर मार्ग का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूर्ण किया जा चुका है।

4-छावड़ा से हुलासनगर मार्ग की कुल लम्बाई 2.00 कि0मी0 है जिसमें से प्रथम 1.00 कि0मी0 लेपित है शेष 1.00 कि0मी0 जो पत्थर खड़न्जा स्तर का है का निर्माण नाबार्ड-11 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। मार्ग की अनुमानित लागत रु0 12.70 लाख है। निर्माण कार्य स्वीकृति उपरान्त कराया जाना सम्भव होगा।

उक्त मार्गों पर आवागमन बाधित नहीं है।

प्रदेश में उन्नतशील एवं प्रमाणित बीजों के प्रतिस्थापन का प्रतिशत तथा वैन चलाकर बीजों का वितरण कराने की मांग

77-डा0 अजय कुमार-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विगत दो वर्षों में उन्नतशील एवं प्रमाणित बीजों के प्रतिस्थापन का प्रतिशत क्या था ? इस वर्ष बीज प्रतिस्थापन का कितना लक्ष्य निर्धारित है ? क्या मृदा परीक्षण वैन की तरह, बीज वितरण वैन चलाकर विभिन्न फसलों के बीजों को विक्रय कराने पर भी सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अशोक वाजपेयी-

उन्नतशील एवं प्रमाणित बीजों के प्रतिस्थापन का प्रतिशत विगत दो वर्षों वर्ष 2003-04 में 16.04 प्रतिशत तथा वर्ष 2004-05 में 17.90 प्रतिशत था।

इस वर्ष बीज प्रतिस्थापन का लक्ष्य 18.52 प्रतिशत निर्धारित है।

ऐसी कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

इस समय प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं को लेकर 10110 बीज बिक्री केन्द्र हैं। अतएव वैन के माध्यम से बीज वितरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अनेकों ग्राम सभाओं में नियम विरुद्ध ग्राम समाज की भूमि आवंटन की जांच

78-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा रायपुर, पूरेवशीधर सरौली, रामपुरबेला तथा अन्य ग्राम सभाओं के ग्राम समाज की भूमि के आवंटन के

सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, पट्टी द्वारा दिनांक 1-1-2004 से अब तक किये गये नियम विरुद्ध निर्णयों की जांच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-1/233618, दिनांक 16-6-05, ख-3/171441, दिनांक 21-6-05, ख-3/271442, दिनांक 21-6-05, क-1/233616, दिनांक 20-6-05 तथा ख-3/271424, दिनांक 1-7-05, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय मार्गों के आगणन सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को भेजने सम्बन्धी जानकारी

79-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के मार्ग-नरहरपुर-डुहिया-सराय शंकर सहित अन्य तीन मार्ग का आगणन प्रस्ताव स्वीकृत हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़ द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ फतेहपुर वृत्त, लो0 नि0 वि0 के पत्र सं0 4006/13 सी, दिनांक 31-12-03 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रस्ताव आगणन प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से शासन को किस तिथि को भेजा गया है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

तीन मार्गों के आगणन दिनांक 27-10-2005 एवं एक मार्ग का आगणन दिनांक 11-11-05 को शासन को प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उप जिलाधिकारी द्वारा कतिपय ग्रामों की भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में जांच

80-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उपजिलाधिकारी द्वारा ग्राम सरौली, पूरेबंशीधर, इटवा नोही, बिझला विनयका, अनदेवरी, भिटार, लबेदा, सैलखा, बीबीपुर, सुजान पट्टी, सोनपुरा, हर्रई पट्टी, उदई शाहपुर धनईपुर सहित अन्य ग्रामों की ग्राम समाज की भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में नियम विरुद्ध उनके द्वारा किये गये निर्णय के सम्बन्ध में उन्हें तथा प्रमुख सचिव, राजस्व को मुख्यमंत्री का आदेश सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/127904/05, दिनांक 5-7-05 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/069854, दिनांक 12-7-05 तथा पत्र सं0 ख-3/271418, दिनांक 21-6-05 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अम्बेडकर नगर के प्राथमिक विद्यालय मूसेपुर कलां, शिक्षा क्षेत्र राम नगर के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

81-श्री जयराम विमल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय मूसेपुर कलां शिक्षा क्षेत्र राम नगर जनपद-अम्बेडकर नगर को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्पर्क मार्ग विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लेखपाल एवं कानूनगो की गृह जनपद तथा गृह तहसील में तैनाती की शासन की नीति

82-श्री देवेन्द्र नागपाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल एवं कानूनगो की अपने गृह जनपद तथा गृह तहसील में तैनाती के सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला महामायानगर की तहसील सिकन्दराराऊ में कितने ऐसे लेखपाल एवं कानूनगो है जो गृह तहसील में तैनात है ? क्या उन्हें स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

शासनादेश संख्या-724(1)/1-9-01-11-1(24)/90, दिनांक 23 मार्च, 2001 द्वारा लेखपालों के तैनाती/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह नीति निर्धारित की गयी कि प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित स्थानान्तरणों को छोड़कर लेखपालों को साधारणतय गृह निवास के विकास खण्ड को छोड़कर गृह तहसील में भी आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

तहसील सिकन्दराराऊ में 14 लेखपाल अपनी गृह तहसील में कार्यरत हैं व कोई भी कानूनगो अपनी गृह तहसील में तैनात नहीं हैं।

प्रचलित स्थानान्तरण नीति के अनुरूप आवश्यकतानुसार यथा समय निर्णय लिया जायेगा।

ग्राम पंचायत नगला जलाल, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ की करोड़ों रुपयों की कृषि भूमि का फर्जी आवंटन की जांच

83-श्री देवेन्द्र नागपाल-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मुलायम सिंह यादव, तत्कालीन सांसद का पत्र दिनांक शून्य, संसद सदस्य, राज्य सभा श्री राम गोपाल यादव का पत्र दिनांक 30-01-1997 तथा श्री किशन लाल दिलेर, सांसद, लोक सभा का पत्र दिनांक 05-01-2001, जो जिलाधिकारी, हाथरस को सम्बोधित है और जो ग्राम पंचायत, नगला जलाल, सिकन्दराराऊ देहात परगना तहसील-सिकन्दराराऊ, जिला-अलीगढ़ (हाथरस) की करोड़ों रुपयों की कृषि भूमि का फर्जी आवंटन दिनांक 04-11-1996 को किये जाने की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही तथा फर्जी आवंटन निरस्त करने के सम्बन्ध हे, प्राप्त हुए हैं ? क्या यह सत्य है कि जिला अधिकारी, हाथरस के निर्देशानुसार उक्त मामले में भू-माफियाओं के खिलाफ मु0 अ0 सं0-368/2001 अन्तर्गत धारा-420/447 थाना-सिकन्दराराऊ जनपद-हाथरस में दिनांक 09-06-2001 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त फर्जी आवंटन के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सन्दर्भित पत्रों की छाया प्रतियां संबंधित शिकायतकर्तागणों से प्राप्त की गई है।

श्री बाबू लाल तत्कालीन प्रधान, नगला जलाल द्वारा की गई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट पर सन्दर्भित वाद मुकदमा अ0 सं0 368/01 पंजीकृत हुआ। इसके सम्बन्ध में पट्टा निरस्तीकरण का वाद न्यायालय जिलाधिकारी, महामायानगर में वाद संख्या 77/01 अन्तर्गत धारा-198(4) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम योजित हुआ। जिसमें अंतिम आदेश पारित होने से पूर्व ही प्रतिपक्षीगण द्वारा एक निगरानी मा0 राजस्व परिषद् न्यायालय, इलाहाबाद में योजित कर दी गई और न्यायालय मा0 राजस्व परिषद् के अभियाचन पर पत्रावली मा0 परिषद् न्यायालय को पत्र संख्या 4783 दिनांक 27-09-2003 के द्वारा भेज दी गई है। उक्त के अतिरिक्त उक्त आवंटन के आधार पर किसी भी आवंटी को मौके पर आज तक कब्जा नहीं दिलाया गया है। साथ ही आवंटनकर्ता लेखपाल, राजस्व निरीक्षक तथा तत्कालीन उप जिलाधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी करने की कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में कालपी-कदौरा स्टेट हाइवे मार्ग के मानक के अनुसार निर्माण कराने की मांग

84-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-जालौन में कालपी-कदौरा मार्ग स्टेट हाइवे 91 का उच्चीकरण लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृत आठ करोड़ सत्तर लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है ? क्या यह सही है कि अब तक किया गया सम्पूर्ण कार्य मानक के अनुरूप नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण भारत सरकार को सौंपेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

कुछ कार्य में क्षति हुई है, जिसे ठेकेदार द्वारा ठीक कराने की व्यवस्था की जा रही है।

जी नहीं।

मानक के अनुसार विभाग कार्य कराने में सक्षम है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में गत वर्षों में स्वीकृत मार्गों का विवरण

85-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सेक्टर में वर्ष 2001 से 31 मई, 2005 तक पट्टी विधान सभा क्षेत्र, जनपद-प्रतापगढ़ के लिये कौन-कौन मार्ग स्वीकृत किये गये हैं ? उनमें से किन-किन मार्गों पर कार्य अपूर्ण हैं ? क्या सभी स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में राज्य सेक्टर में वर्ष 2001 से 31 मई, 2005 तक निम्न मार्ग स्वीकृत हैं :-

1-पट्टी-कोहडौर मार्ग पर अतरसण्ड से कोनी मार्ग का निर्माण लम्बाई 3.00 कि0 मी0

2-ढिढुई-भाट पट्टी बरदहा-गौसपुर अरैला-सौराई मार्ग, लम्बाई 5.00 कि0 मी0

3-नगर-नीमा-देवरखा-सोनपुर-ढखवा-इब्राहिमपुर-अतरौरा-मीरपुर मार्ग, लम्बाई 6.50 कि0 मी0

4-महदहा-बरहूपुर-ढिढुई-वारीकला-शेखपुर आधारगंज मार्ग, लम्बाई 7.00 कि0 मी0

5-रामगंज बाजार से नीमा नहर मार्ग, लम्बाई 5.00 कि0 मी0

1-पट्टी-कोहडौर मार्ग पर अतरसण्ड से कोनी मार्ग का निर्माण लम्बाई 3.00 कि0 मी0

2-ढिढुई-भाट पट्टी बरदहा-गौसपुर अरैला-सौराई मार्ग, लम्बाई 5.00 कि0 मी0

3-नगर-नीमा-देवरखा-सोनपुर-ढखवा-इब्राहिमपुर-अतरौरा-मीरपुर मार्ग, लम्बाई 6.50 कि0 मी0

4-महदहा-बरहूपुर-ढिढुई-वारीकला-शेखपुर आधारगंज मार्ग, लम्बाई 7.00 कि0 मी0

उक्त 4 मार्गों को मार्च, 2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम इब्राहिमपुर में खसरा, खतौनी मानचित्र के अनुरूप क्षेत्रफल की चौहद्दी कायम रखने की कार्यवाही की मांग

86-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के अन्तर्गत ग्राम-इब्राहिमपुर में इन्तखाब, खतौनी क्रम संख्या-57, खसरा संख्या 64 (तालाब) का क्षेत्रफल व चौहद्दी क्या है ? क्या वर्ष 2002 की इन्तखाब खतौनी, खसरा, मानचित्र के अनुरूप उक्त क्षेत्रफल में कमी हुई है ? क्या राजस्व मंत्री वर्ष 2002 की इन्तखाब खतौनी के आधार पर क्षेत्रफल व चौहद्दी की पूर्व की स्थिति कायम रखने हेतु कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के अन्तर्गत ग्राम इब्राहिमपुर में खतौनी क्रम संख्या-57 खसरा संख्या-64 (तालाब) क्षेत्रफल 0.620 हे0 है। इसकी चौहद्दी निम्नवत् है :-

पूरब पुरानी आबादी है जिसमें निम्न मकान बने हैं :-

(1) मकान पंकज कुमार

(2) फापुर्डाह नत्थू राम

(3) जांनवर रामेश्वर

(4) फापुर्डाह डालचन्द

पश्चिम बंजर भूमि जिसमें देवी स्थान बना है।

उत्तर-पुरानी आबादी है जिसमें निम्न मकान बने हैं :-

(1) देवी स्थान

(2) मन्दिर

(3) मकान छोटे लाल

(4) मकान-सत्तो

(5) पशुरोड-रामेश्वर

(6) मकान-कापी अस्पष्ट

दक्षिण-भूमि संख्या-83 एवं 84 (बंजर)

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम इब्राहिमपुर में तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण

87-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ की तहसील-मलिहाबाद के ग्राम इब्राहिमपुर में दबंग व्यक्तियों द्वारा इन्तखाब खतौनी क्रम संख्या-57, खसरा संख्या-64 (तालाब) पर अवैध कब्जा करके निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तालाब पर किये गये अवैध निर्माण को हटाते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम इब्राहिमपुर खतौनी क्रम संख्या 57 के खसरा 64 तालाब पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के कतिपय ग्राम के नून मलांग नाले पर रपटा निर्माण की मांग

88-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा में मगरौल-पड़री ग्राम के मध्य नून मलांग नाले पर रपटा निर्माण (पुल) के लिये निविदा आमंत्रित की गयी है ? यदि हां, तो इसकी वित्तीय स्वीकृति किस योजना से हुई है ? उक्त पुल का निर्माण कब तक प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल यादव-

जी हां।

बुन्देलखण्ड विकास पैकेज योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में हुई है।

नवम्बर, 2005 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के समायोजन की मांग

89-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग के आदेश पत्रांक-23 पी0 डब्लू0/1626 एम0 टी0/52 एम-23/89 दिनांक 4-4-1989 द्वारा क्या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिन्होंने लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, समायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कर्मचारियों को कब तक समायोजित कर लिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर के बेल्थरा तुर्तीपार का क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

90-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया के मुख्य मार्ग में गड्ढे हो जाने के कारण जर्जर हो गई है ? क्या बलिया से सिकन्दरपुर मार्ग एवं सिकन्दरपुर के बेल्थरा तुर्तीपार मार्ग भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कतिपय मुख्य मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त दोनों मार्ग भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं।

जी हां।

मार्च, 2006 तक मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मोहम्मदपुर मार्ग हेतु निर्धारित समय सीमा में निर्माण की मांग

91-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर-मोहम्मदपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। कार्य 15 जनवरी, 2007 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण कराये जाने हेतु सभी प्रयास किये जा रहे हैं तथा कार्य की प्रगति को देखते हुये कार्य निर्धारित समय-सीमा तक पूर्ण होने की पूरी सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, मऊ, बलिया मार्ग के निर्माण की मांग

92-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, मऊ, बलिया मार्ग के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव शासन में विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्ग पूर्व से ही निर्मित है अतः निर्माण का प्रश्न नहीं उठता, परन्तु प्रश्नगत मार्ग के लखनऊ से रायबरेली, शाहगंज से अम्बारी, सरायरानी से आजमगढ़ तथा आजमगढ़ से मऊ-रसड़ा-फेफना तक के भाग का वृहद रख-रखाव का कार्य विश्व बैंक वित्त पोषित उ0 प्र0 स्टेट रोड प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत सम्मिलित है। रायबरेली से सुल्तानपुर मार्ग के सुल्तानपुर जनपद में पड़ने वाले भाग कि0 मी0 38.00 से 71.250 तक तथा अम्बारी से सरायमीर (अम्बारी-सरायरानी का भाग) के सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। सरायरानी से आजमगढ़ तथा सरायमीर से सरायरानी तक के भाग का वृहद रख-रखाव/उच्चीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रायबरेली से सुल्तानपुर मार्ग के सुल्तानपुर में पड़ने वाले कि0 मी0 71.250 से 87.150 तक के भाग पर चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। शेष मार्गों का सुधार/उच्चीकरण किसी योजना में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है।

जनपद सुल्तानपुर के अस्थाई वि0 नि0 ई0 रा0 मा0 लो0 नि0 वि0 के लिपिक श्री जगन्नाथ मिश्र को द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान

93-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थाई वि0 नि0 ई0 रा0 मा0, लो0 नि0 वि0, सुल्तानपुर में कार्यरत श्री जगन्नाथ मिश्र, वरिष्ठ लिपिक को 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान 4500-7000 देय है ? यदि हां, तो क्या द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि कनिष्ठ लिपिकों को द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान अर्धाक्षण

अभियन्ता, फैजाबाद वृत्त द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ? क्या सरकार इन्हें भी द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

इन्हें भी द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान दिया जा चुका है।

पूर्व में ही दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सुल्तानपुर में पूर्वांचल विकास निधि से सड़कों के निर्माण में कार्यवाही की जानकारी

94-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सदर जनपद-सुलतानपुर में पूर्वांचल विकास निधि से सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर आदेश सं0 सी0एम0/वि0 को0/एम/125995/2005 दिनांक 8-6-2005 प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां

मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर से आगणन/प्रस्ताव मांगे गये हैं।।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जे0 पी0 नगर के ग्राम शीशीवाली व चमनवाला महकमाली में पुल निर्माण की मांग

95-श्री देवेन्द्र नागपाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जे0 पी0 नगर में ग्राम शीशीवाली व ग्राम-चमनवाला महकमाली के मध्य पुल बनाये जाने के आदेश वर्ष 2004 में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल बन गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

पुल निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद जे0 पी0 नगर के थाना चौराहा गजरौला में खाद बाजार की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग

96-श्री देवेन्द्र नागपाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-जे0 पी0 नगर थाना चौराहा-गजरौला से खाद बाजार तिराहे तक की सड़क लगभग 600 मीटर अत्यधिक क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य नवम्बर, 2005 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकर नगर में प्रस्तावित योजनायें

97-श्री लालजी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि जिलांश के अन्तर्गत जनपद-अम्बेडकर नगर में वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 की समस्त प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के अन्तर्गत कौन-कौन सी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्ष 2004-05 में कुल 55 परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल 52 परियोजनायें स्वीकृत हैं, शेष तीन परियोजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है।

वर्ष 2005-06 में कुल 19 परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो परियोजनायें स्वीकृत हैं, शेष 17 परियोजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है।

वर्ष 2004-05 में पूर्वान्चल विकास निधि जिलांश/एस0 सी0 पी0 मद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र टाण्डा में निम्नलिखित परियोजनायें स्वीकृत है :-

1-ग्राम जियापुर से जंगबहादुर के ट्यूबेल तक 153 कि0मी0 खड़न्जा।

2-दुर्गापुर पोखरा से तिवारीपुर होते हुए गणेशपुर भड़सारी अनुसूचित जाति आबादी तक 0.650 कि0मी0 खड़न्जा।

3-गिरधरामऊ मार्ग के नहर की पटरी होते हुए अनुसूचित जाति आबादी तक 0.650 कि0मी0 खड़न्जा।

4-सम्पर्क मार्ग पूरा बक्सराय उत्रेथू मार्ग के भगवानपुर अनुसूचित जाति तक 0.475 कि0मी0 खड़न्जा।

5-दशरथपुर सम्पर्क मार्ग के फूलपुर पुरवा तक मिट्टी एवं खड़न्जा 0.800 कि0मी0।

6-सम्पर्क मार्ग बसखारी गोकुलपुर मार्ग के भटपुरवा निषाद बस्ती तक 0.470 कि0मी0 खड़न्जा।

7-सम्पर्क मार्ग हजियापुर नहर से प्रा0 पा0 डढवा मिस होते हुए हरितपुर तक ईट खड़न्जा कार्य लम्बाई 1.50 कि0मी0 एवं 3 अदद पुलिया।

वर्ष 2005-06 की परियोजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

गांव महिसा खेड़ा, थाना माल, लखनऊ की परती भूमि पर अवैध कब्जा खाली कराने की मांग

98-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव महिसा खेड़ा, थाना माल तह0 मलिहाबाद, लखनऊ की परती जमीन पर से अवैध कब्जा खाली कराने से संबंधित श्री गफूर अली का शिकायती पत्र दिनांक 6-10-05 एस0 डी0 एम0 मलिहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

गांव के कुछ लोगों द्वारा भूमि नं0 181 पर लाश जलाने तथा पक्की कब्र बनाने का प्रयास किया गया जिसे तत्काल मौके पर पुलिस बल थाना माल तथा राजस्व कर्मियों को भेजकर रोकवा दिया गया। थानाध्यक्ष माल को यह निर्देशित किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। गांव में कब्रिस्तान की कोई अन्य भूमि (उक्त के अतिरिक्त) न होने के कारण हिन्दू जाति के लोगों को भूमि देना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा मदाफरपुर में ग्राम समाज की भूमि का नियम विरुद्ध किये गये पट्टों का आवंटन

99-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-3/069057 दिनांक 1-7-05 ग्राम सभा मदाफरपुर तहसील पट्टी प्रतापगढ़ में ग्राम समाज की भूमि का नियम विरुद्ध किये गये पट्टों के दोषी पूर्व प्रधान श्री जगदीश तथा अन्य के विरुद्ध जांच करा कर कार्यवाही कराने विषयक था, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रश्नकर्ता का पत्र ख-3/069057 दिनांक 01-07-05 के पूर्व प्रेषित पत्र सं0 589/02 दिनांक 31-12-02 से संबंधित है जिसके संबंध में वर्ष 1992, 1993, 1994, 1995 के पट्टे के संबंध में भूमि प्रबन्धन समिति द्वारा किये गये प्रस्ताव को तत्कालीन उप जिलाधिकारी पट्टी द्वारा अनुमोदित किया गया था। जिसे ग्राम सभा के व्यक्तियों द्वारा धारा-198(4) 122 सी की उपधारा (6) के अन्तर्गत कार्यवाही का वाद योजित किया गया है जो अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। ग्राम मदाफरपुर के कुल 31 व्यक्तियों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत दिनांक 10-12-93, 31-12-93 एवं 14-04-95 के आदेश दिनांक 29-06-05 के अन्तर्गत धारा-198(4) ज0 वि0 अ0 द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिसे अपर आयुक्त (पंचम) इलाहाबाद द्वारा दि0 30-08-05 को स्थगित किया गया है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर को विकास खण्ड विधनू के ग्राम इटारा को जोड़ने वाले मार्ग के निर्माण की मांग

100-श्री परमजीत मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव-इटारा, वि0 ख0-विधनू जनपद-कानपुर नगर को जोड़ने वाले मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में लोक निर्माण मंत्री का पत्र संख्या-397/वी0 आई0 पी0/म/लो0 नि0 वि0/2005, दिनांक 15-1-2005 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति व कार्यादेश जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

संदर्भगत पत्र के साथ संलग्न ग्राम प्रधान इटारा वि0ख0-विधनू जनपद कानपुर नगर के पत्र दिनांक 12-01-2005 में कुल 05 मार्गों के निर्माण/मरम्मत का अनुरोध किया गया है। एक मार्ग पिपोरी मेहरबान सिंह का पुरवा मार्ग का नवीनीकरण कराकर सुधार किया जा चुका है। शेष 04 मार्गों का निर्माण/मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में मण्डी परिषद द्वारा सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय

101-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ में मंडी परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में कितनी नई सड़कों का डामरीकरण एवं कितनी सड़कों की मरम्मत कराई गयी है ? विधान सभा क्षेत्रवार उक्त वर्षों में सड़कों के निर्माण हेतु कितना धन आवंटित किया गया है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद अलीगढ़ में मण्डी परिषद द्वारा निम्न विवरण के अनुसार सड़कों का डामरीकरण/मरम्मत कार्य कराया गया :-

वर्ष	नवीन/मरम्मत	सड़कों की संख्या
2003-04	नवीन	04
2003-04	मरम्मत	13
2004-05	नवीन	04
2004-05	मरम्मत	01

विधान सभा क्षेत्रवार उक्त वर्षों में निम्न विवरण के अनुसार सम्पर्क मार्गों के निर्माण/मरम्मत हेतु धनराशि आवंटित की गयी है :-

वर्ष	विधान सभा क्षेत्र	आवंटित धनराशि(रु0 लाख में)
2003-04	इगलास	89.87
	अतरौली	91.12
2004-05	गंगीरी	56.78
	अतरौली	08.41

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दुबेपुर के टिकरिया से नौनरा क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

102-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड दुबेपुर, जनपद-सुल्तानपुर में टिकरिया से नौनरा सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, और बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत वर्ष 2005-06 में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के ग्राम भेलूपुर के श्री सभाजीत सिंह के हदबन्दी का प्रकरण

103-श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-42 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मा0 राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दफा-41 के अन्तर्गत आराजी नं0 28, 26, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 24 एवं 25 का दिनांक 30-12-1999 को हदबंदी करा देने के उपरान्त अभी तक राम चरन आदि निवासीगण ग्राम भेलूपुर तहसील बदलापुर जनपद-जौनपुर को कब्जा न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी पुनः पैमाइश कराकर स्व0 श्री राम चरन सिंह के पुत्र श्री सभाजीत सिंह को तत्काल कब्जा दिलाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सचिवालय नियम संग्रह के प्रस्तर-194 के अधीन विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-42 की पत्रावली नष्ट की जा चुकी है। ग्राम-भेलूपुर तह0-बदलापुर, जनपद-जौनपुर में दफा-41 के अन्तर्गत राम चरन द्वारा दाखिल वाद में गाटा संख्या 28,26,42,51,52,53,54,55,24 एवं 25 की हदबंदी दिनांक 30-12-1999 को करा दी गयी तथा उन्हें नियमानुसार कब्जा भी दे दिया गया था, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अपर आयुक्त (द्वितीय), वाराणसी मण्डल, वाराणसी न्यायालय के आदेश दिनांक 12-10-2000 द्वारा स्थगन आदेश के कारण पुनः प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। प्रकरण अभी अपर आयुक्त (द्वितीय)-वाराणसी मण्डल, वाराणसी के न्यायालय में विचाराधीन है।

मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के वि0 खण्ड बदलापुर के ग्राम पंचायत गौरा में सूखा राहत भुगतान कराने की मांग

104-श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत गौरा, वि0 खण्ड बदलापुर तहसील बदलापुर जनपद-जौनपुर के राजस्व ग्राम गौरा-भेलूपुर में वर्ष 2004-2005 में सूखा राहत के अन्तर्गत उन समस्त काश्तकारों को जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, को सूखा राहत का भुगतान कर दिया

गया है ? यदि हां, तो उनके भुगतान करने का मानक क्या था ? क्या यह सही है कि लगभग एक वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी उक्त ग्रामों के काश्तकार श्री सभाजीत सिंह, ग्राम भेलूपुर, श्री रामसूरत सिंह, ग्राम-गौरा, श्री मिट्ठू सिंह, ग्राम गौरा को सूखा राहत का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको सूखा राहत दिलाने हेतु तत्काल कार्यवाही करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को (कृषि, औधानिक तथा वार्षिक फसलों हेतु)	असिंचित क्षेत्र के लिये रु0 1,000/. प्रति हे0 सिंचित क्षेत्र के लिये रु0 2500/. प्रति हे0ए0
अन्य कृषकों, जिनकी उक्त फसल पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी देवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुई, को	रु0 1,000/. प्रति हे0 की दी से अधिकतम दो हे0 तक प्रति कृषक

श्री राम सूरत सिंह को रु0 1200/. को राहत वितरित की गयी है। शेष दोनों कृषक- श्री सभाजीत सिंह व श्री मिट्ठू सिंह उक्त उल्लिखित मानकों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के राज मार्गों के सुधार के लिये योजना

105-श्री लालजी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज मार्गों के सुधार के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना का प्रारूप क्या है ? क्या यह सही है कि राज मार्ग सं0 30 "ए" माया टाण्डा मार्ग जनपद-फैजाबाद/अम्बेडकर नगर अत्यधिक क्षतिग्रस्त है ? क्या उस मार्ग का सुधार कराने हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

राज्य मार्गों के चौड़ीकरण उच्चीकरण एवं सुधार का कार्य कराने हेतु राज्य राज मार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है।

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना है जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 एग्रो, प्रतापगढ़ द्वारा प्रतिस्थापित हैण्डपम्पों का सत्यापन

106-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 2002 से 30 अगस्त, 2005 तक यू0 पी0 एग्रो, प्रतापगढ़ को हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा उससे कितने हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं ? क्या सरकार यू0 पी0 एग्रो, प्रतापगढ़ द्वारा प्रतिस्थापित हैण्ड पम्पों का सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

दिनांक 01 अपगैल, 2002 से 30 अगस्त, 2005 तक यू0पी0 एग्रो प्रतापगढ़ को हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु कुल रु0 1,49,68,910/. की धनराशि आवंटित की गई जिसमें 825 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किए जाने थे उसमें से दिनांक 01 अप्रैल, 2002 से 31 अक्टूबर, 2005 तक 825 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं।

सभी स्थापित हैण्डपम्पों का सत्यापन संबंधित तकनीकि कर्मचारियों/सेवा अभियन्ता द्वारा किया गया है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर खरिहानी से बिन्द्रा बाजार तक के मार्ग का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण की मांग

107-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर स्थित बिन्द्रा बाजार तथा देवगांव तरवा चण्डेश्वर मार्ग पर स्थित खरिहानी से बिन्द्रा बाजार तक के मार्ग का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण कार्य अवशेष है ? यदि हां, तो अवशेष कार्य को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय मार्गों के सुदृढ़ीकरण कराने की मांग

108-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ में छतवारा, देवइत, मेहनगर, मैहनाजपुर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर-जिगनी-पलना मार्ग का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण कराने की मांग

109-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ में आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेहनगर-जिगनी-पलना मार्ग का सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण कराया जाना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसी योजना में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है।

जनपद रायबरेली के बछरांवा से लालगंज की बीच सड़कों की मरम्मत का कार्य

110-डा0 अजय कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा-बहराइच मार्ग में जनपद-बरेली के बछरांवा से लालगंज के बीच सड़क में जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, जिससे नागरिकों को आने-जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क के गड्ढों को भरवाकर नये सिरे से डामरीकरण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

बछरावां से लालगंज तक का मार्ग जनपद रायबरेली में पड़ता है। वर्षा ऋतु में मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गये थे। बछरावां से लालगंज तक मार्ग की लम्बाई लगभग 38 कि0मी0 है। बछरावां से 24 कि0मी0 तक मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष भाग में कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के अनेकों ग्रामों के सड़क निर्माण के कार्य को पूर्ण कराने की मांग

111-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ में ग्राम करेन्हुंआ-खजुरा-सिधारी-जिगिनी मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की कुल 7 कि0मी0 लम्बाई में से ग्राम खजुरा से ग्राम सिधारी तक 2.20 कि0मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक निर्माण कार्य माह जून/2006 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। ग्राम सिधारी से जिगनी की ओर 600 मी0 की लम्बाई में सोलिंग/पत्थर सोलिंग स्तर तक निर्मित मार्ग का लेपन कार्य स्वीकृत नहीं है। शेष कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के विकास खण्ड माल की ग्राम सभा भानपुर के मजरा इब्राहिमपुर में तालाब से अवैध निर्माण हटवाने की मांग

112-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-लखनऊ, तहसील मलिहाबाद, विकास खण्ड-माल की ग्राम सभा-भानपुर के मजरा-इब्राहिमपुर में तालाब से अवैध निर्माण हटाये जाने विषयक अनुसचिव, राजस्व अनुभाग-2 का पत्र संख्या : 62 वी0 आई0 पी0/1-2-2002 दिनांक 25-11-2002 जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उक्त आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि

नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुये अवैध निर्माण हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच तहसीलदार मलिहाबाद द्वारा की गयी पैमाइश करने पर ज्ञात हुआ कि गंगाराम पुत्र मदारी निवासी ग्राम इब्राहिमपुर मजरा भानपुर का नवनिर्मित मकान पुरानी आबादी भूमि संख्या-59 पर बना है, तालाब की भूमि संख्या-64 पर नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल में क्षतिग्रस्त जलाली मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

113-चौ0 महेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल में स्थित जलाली मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड दूबेपुर में दखवा से इमीलिया खुर्द तक सड़क का लेपन कराने की मांग

114-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर विकास खण्ड दूबेपुर में दखवा से इमीलिया खुर्द तक सड़क का लेपन न होने के कारण गिट्टियों पर पैदल चलना मुश्किल हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का लेपन वर्ष 2005-06 में पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

दखवा से इमीलिया खुर्द मार्ग का 1.150 कि0मी0 का भाग डब्लू0बी0एम0 स्तर तक निर्मित है तथा आवागमन बाधित नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार में सोहगाली से डडवा सड़क का लेपन कार्य पूर्ण कराने की मांग

115-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर विकास खण्ड कुड़वार में लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर (प्रान्तीय खण्ड) द्वारा सोहगाली से डडवा बनायी गयी सड़क का लेपन कार्य शेष है ? यदि हां, तो शेष कार्य वर्ष 2005-06 में पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में कुम्भ मेले के दौरान सड़कों के निर्माण में अनियमितता की जांच

116-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि कुम्भ मेला, 2001 के दौरान बैरहना चौराहे से लेकर यमुना ब्रिज (पुराना) तक सड़क का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो इस निर्माण में कितने लाख रु0 व्यय हुये थे ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण घटिया किस्म होने के कारण एक वर्ष के अन्दर ही सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी तथा इस समय उस पर वाहनों का चलना दुष्कर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उस सड़क की मरम्मत पुनः करायी गयी है ? यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद इलाहाबाद में बैरहना चौराहे से पुराना यमुना पुल तक का मार्ग दो भागों में है। बैरहना चौराहे से मिन्टो पार्क तक का मार्ग एक भाग तथा मिन्टो पार्क से पुराना यमुना पुल तक का मार्ग दूसरा भाग है। सम्पूर्ण मार्ग का स्वामित्व नगर निगम इलाहाबाद का है। लोक निर्माण विभाग द्वारा कुम्भ मेला, 2001 के अन्तर्गत बैरहना चौराहे से मिन्टो पार्क तक एक कि0 मी0 मार्ग का सुधार कार्य किया गया था, जिस पर रु0 24.74 लाख व्यय किया गया। नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार मिन्टो पार्क से पुराना यमुना पुल तक नगर निगम इलाहाबाद द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया।

क्षतिग्रस्त मार्ग के सुधार का कार्य मानक के अनुरूप हुआ था किन्तु कुछ दिनों पश्चात् गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा सीवर पाइप लाइन में सीवर लाईन की चेकिंग हेतु "प्रेशर" सहित जल प्रवाहित किये जाने के कारण सीवर पाइप लाइन में लीकेज हो गयी तथा पाइप लाइन फटने एवं जल भराव होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया।

लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये मरम्मत के कार्यों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण की टी0ए0सी0 से जांच करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप एवं संतोषजनक पायी गयी, किन्तु प्रश्नगत निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व ही प्रारम्भ कराया गया था, अतः इस अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को दोषी पाये जाने पर उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुए परिनिन्दा का दण्ड दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग नगर निगम इलाहाबाद के स्वामित्व में है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का पुनः कोई कार्य नहीं कराया गया है। नगर निगम, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा भी मरम्मत का कोई कार्य नहीं कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, नैनी में हुए उपद्रव की जांच

117-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह जनवरी-फरवरी, 2003 में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट (डीमड वि0 वि0) नैनी, इलाहाबाद में हुए उपद्रव की तत्कालीन जिलाधिकारी ने तीन प्रमुख बिन्दुओं पर जांच की सिफारिश शासन से की थी ? यदि हां, तो जांच के तीन बिन्दु क्या थे तथा शासन द्वारा जांच की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जांच के तीन बिन्दु मुख्यतः निम्न है :-

(1) संस्थान द्वारा चलाये जा रहे समस्त पाठ्यक्रमों की विधिक मान्यता प्राप्त हो चुकी है अथवा नहीं ? निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षक/प्रयोगशालाएं आदि पूर्ण हैं अथवा नहीं ?

(2) छोटी-छोटी बातों पर छात्रों से एक हजार रुपये जुर्माना वसूल कर अनियमितताओं को छुपाने का प्रयास जिससे छात्र व छात्राओं में तनाव उत्पन्न है। पारदर्शिता के अभाव में शैक्षिक वातावरण बिगड़ जाना, छात्रों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ।

(3) संस्थान में प्रत्येक रविवार को चल रहे धार्मिक कार्यक्रम पर जो भारी व्यय होता है उसका श्रोत क्या है ? विश्वविद्यालय के आय से तो यह व्यय नहीं किया जा रहा है ? शासन के कार्यालय-आदेश दिनांक 28-02-03 द्वारा तत्कालीन विशेष सचिव, कृषि को जांच अधिकारी नामित किया गया, किन्तु जांच प्रारम्भ होने के पूर्व यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा भी जांच की गयी है तथा कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए हैं, अतः प्रकरण को निक्षेपित किए जाने का निर्णय लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा उपनिदेशक (निर्माण) की दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोका जाना

118-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री को इस बात की जानकारी है कि निदेशक, मण्डी परिषद् ने अपने पत्रांक 143/कैम्प दि0 11-6-03 को उपनिदेशक (निर्माण) को दंडित करते हुये दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया था ? यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुये अपनी वेतन वृद्धि स्वयं लगा लिये जाने सम्बन्धी जांच उप निदेशक (प्रशासन), बरेली ने अपने पत्रांक प्र0 अ0/शि0-जांच/ 05-3623 दिनांक 21-3-05 द्वारा प्रस्तुत की है ? क्या उक्त जांच में संबंधित अधिकारी दोषी पाये गये ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

स्वीकृत वेतनवृद्धि निरस्त करते हुए धनराशि की वसूली के आदेश पारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, मुख्यालय के कार्यरत वरिष्ठ सहायकों को स्थानान्तरण की मांग

119-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय (निर्माण भवन) परिसर स्थित, अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त के अधीन, लोक निर्माण खण्ड-2 में कितने ऐसे वरिष्ठ सहायक कार्यरत हैं जो शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के विपरीत वर्षों से वहां कार्यरत हैं ? क्या लोक निर्माण मंत्री ऐसे कर्मचारियों को शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत लखनऊ से बाहर तुरन्त स्थानान्तरित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

स्थानान्तरण नीति के विपरीत कोई भी वरिष्ठ सहायक कार्यरत नहीं है ?

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के अनुवां से बेहमई तक सड़क निर्माण पूर्ण कराने की मांग

120-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-कानपुर देहात के अन्तर्गत अनुवां से बेहमई तक 4 कि0 मी0 सड़क (मिट्टी से लेपन) समग्र ग्राम विकास एवं नाबार्ड योजना से वर्ष 2005 में स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 4.00 कि0मी0 में न होकर वास्तविक लम्बाई 3.80 कि0मी0 है की समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0-1705/23-9-05-10 स0वि0/05 दिनांक 9-6-05 द्वारा रु0 56.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रु0 26.02 लाख का धनावंटन किया गया है।

समय सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के अनेकों ग्रामों में ग्राम समाज की नियम विरुद्ध आवंटित भूमि पर कार्यवाही की मांग

121-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उपजिलाधिकारी द्वारा ग्राम सरौली, पूरे बंशीधर, इटवा, नोही, बिझला, विनयका, अनदेवरी, भिटार, लबेदा, सैलखा, बीबीपुर, सुजानपट्टी, सोनपुरा, हर्रई पट्टी, उदई शाहपुर, धनईपुर सहित अन्य कई ग्रामों की ग्राम समाज की भूमि के सम्बन्ध में नियम विरुद्ध किये गये निर्णय के सम्बन्ध में उन्हें तथा प्रमुख सचिव, राजस्व को मुख्यमंत्री का आदेश सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/127904/05 दिनांक 5-7-05 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/069854 दिनांक 12-7-05, ख-3/069070 दिनांक 12-7-05, ख-3/069852

दिनांक 12-7-05, ख-3/271424 दिनांक 1-7-05, क-1/233618 दिनांक 16-6-05 ख-3/271441 दिनांक 21-6-05, क-1/233622 दिनांक 21-6-05, ख-3/271424 दिनांक 1-7-05, ख-3/271418 दिनांक 21-6-05 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद की ग्राम पंचायत खण्डसरा के ग्राम प्रधान द्वारा अपात्र व्यक्तियों को भूमि का पट्टा आवंटन की जांच

122-श्री कौशल किशोर (लखनऊ)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत खण्डसरा, तहसील-मलिहाबाद जनपद-लखनऊ के ग्राम प्रधान द्वारा गांव की लगभग 400 बीघा भूमि के पट्टा अपात्र लोगों को दिये जाने विषयक शिकायत उक्त ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा दिनांक 16-12-04 को ए0 डी0 एम0 लखनऊ (श्री एन0 पी0 सिंह) से की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

शासन द्वारा प्रकरण की पुनः जांच हेतु आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को निर्देश दे दिये गये हैं। जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मछली पालन के पट्टे की नीति विषयक मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने की मांग

123-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मछली पालन के पट्टे की नीति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर याचिका संख्या-31943102 श्री राम भरोसे लाल बनाम राज्य सरकार में माह अक्टूबर, 2002 में पारित आदेश का पालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेशों का कब तक अनुपालन कर लिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

याचिका संख्या-31943/02, राम भरोसे लाल बनाम राज्य सरकार में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-8-2002 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 15-11-2002 को पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत है, जो विचाराधीन है।

मा0 न्यायालय के निर्णय उपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

(इस समय 11 बजकर 45 मिनट)

प्रश्नकाल में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न न आने तथा विधान भवन के समक्ष उ0 प्र0 सीनियर बेसिक शिक्षा संघ के अध्यापकों द्वारा वेतन विसंगति दूर करने हेतु धरना दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, प्रश्न के बारे में आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। लेकिन मान्यवर, हम देख रहे हैं कि एक भी अल्पसूचित प्रश्न नहीं आ रहा है। आज भी मात्र 6 प्रश्न आए हैं। अभी एक घण्टे का समय बाकी है। तमाम तारांकित प्रश्न ऐसे हैं जो अल्पसूचित प्रश्न बन सकते हैं.। मैं चाहता हूं कि इस पर आप थोड़ा सा निर्देश दे दें ताकि कुछ तारांकित प्रश्न आ जाएं। एक बात यह मान्यवर, कि अभी मैं विधान सभा में आ रहा था तो हमारे कुछ उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षा संघ के अध्यापक वेतन विसंगति दूर करने के मुद्दे पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनमें से एक की हालत बहुत खराब है। तो मैं चाहूंगा कि वहां पर एक डाक्टर भेजा जाए तथा उनसे वार्ता करने के लिए सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भिजवा दें।

(भाजपा के सदस्य सदन में वापस आ गये)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको अधिकृत करता हूं कि आप सदन की तरफ से चलें जाएं और बात कर लें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं तो याचक हूं, आप वहां पर सरकार के किसी प्रतिनिधि को भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष-

यह आप किस नियम में उठा रहे हैं। आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। यह आप किस नियम में उठा रहे हैं ?

श्री सुखदेव राजभर-

लेकिन मान्यवर, आपकी अनुमति से तो अपनी बात कह सकते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जब माननीय सदस्य प्रश्न उठा रहे थे तो उसमें आपने व्यवस्था दे दी कि-मैं सदन की तरफ से आपको अधिकृत करता हूं और उसी बिन्दु में आप स्वयं कह रहे हैं कि आप यह किस नियम में उठा रहे हैं। मैं इस पर आपकी कृपापूर्वक व्यवस्था चाहता हूं।

आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-35 का भ्रामक उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या-35 लगा है। मेरा प्रश्न यह था कि 'क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद स्थित शास्त्री पुल एवं फाफामऊ पुल से निर्माण लागत से दुगना टोल टैक्स वसूला जा चुका है ? क्या यह सत्य है कि उक्त दोनों पुलों पर टोल टैक्स समाप्त करने की घोषणा सरकार द्वारा दिनांक 28-7-2005 को सदन में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पुलों से टोल समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें जो हमने पूछा था कि क्या यह सत्य है कि उक्त दोनों पुलों पर टोल टैक्स समाप्त करने की घोषणा सरकार द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2005 को सदन में की गयी ? माननीय मंत्री जी इसमें जवाब दे रहे हैं कि जी नहीं, प्रकरण को दिखवा लेने का आश्वासन दिया गया था। मान्यवर, कार्यवाही में हैं। इसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इसको दिखवा लेंगे, अगर आपकी बात सत्य है तो हम इसे खत्म करेंगे यह स्पष्ट कहा गया है। लेकिन यहां पर माननीय मंत्री जी द्वारा गलत उत्तर दिया गया है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी का स्पष्ट आश्वासन है तो कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष-

इसी संदर्भ में और नियमों में प्रश्न आया था इसलिए मैंने इसे निरस्त कर दिया था। आप इसे और नियमों में दे दें अगर आपको ऐसा लगता है कि अस्पष्ट उत्तर है। मंत्री जी इसको दिखवा लें जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है। यह नियम-51 में भी आया था इसलिए मैंने इसे निरस्त कर दिया था।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 ले रहे हैं। आज दिनांक 24 नवम्बर, 2005 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु 20 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं। इसमें पहली सूचना चौधरी महेन्द्र सिंह की आगरा स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थापित बाबा साहब की मूर्ति को दिनांक 17-11-2005 को तोड़ने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री सदल प्रसाद की गोरखपुर जनपद अन्तर्गत क्षतिग्रस्त दसवतपुर पुल के स्थान पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

(तीसरी, श्री प्रागी लाल अहिरवार जी की, चौथी, श्री राम प्रताप सिह जी की, पांचवीं, डा0 विनोद तिवारी जी की व छठी श्री राम हेत भारती जी की सूचना माननीय सदस्य जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अनुपस्थित थे।)

सातवीं सूचना श्री रणवीर राणा जी की जुलाई, 1984 से बालकों एवं जनवरी, 1988 से बालिकाओं के अशासकीय, असहायिक जूनियर हाईस्कूलों को अनुदानित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री राम कृपाल व राम स्वरूप सिंह जी की चंदौली के चकिया कोतवाली अन्तर्गत ग्राम शाहपुर में दिनांक 5-11-2005 को हुए गोलीकाण्ड की जांच कराकर दोषियों को दण्डित कराने के सम्बन्ध में, नौवीं सूचना श्री राम नरेश यादव जी की आजमगढ़ के ग्राम जिन्दूपुर के प्रधान की दिनांक 14-11-2005 को की गयी हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं आश्रितों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री जगदीश मिश्र 'बाल्टी बाबा' की कुशीनगर के आदिलनगर क्षेत्रान्तर्गत तमकुहीराज बैरियर पर हो रही राजस्व चोरी की जांच कराकर दोषी कर्मियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री मदन भैया जी की लखनऊ के उदयगंज रोड से कूड़ाघर हटाकर हैदर कैनाल के पुराने स्थान पर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री कल्याण सिंह दोहरे जी की प्रदेश में ग्राम सभाओं के वादों की पैरवी के लिये तैनात आर0टी0एल0 को प्रतिमाह पांच हजार रुपया मानदेय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव जी की हरदोई के बिलग्राम में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी जी की आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत अविद्युत गांवों को विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। (पन्द्रहवीं सूचना पर डा0 सुशील चौधरी का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे) जिन मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गयी थीं उसमें से, अगर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी तो उनकी ले ली जायेगी। ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद आगरा स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रांगण में स्थापित बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* चौधरी महेन्द्र सिंह-

[जनपद-आगरा में स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित परमपूज्य बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी की स्थापित प्रतिमा को दिनांक 17-11-2005 को समाज विरोधी एवं कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई। जिससे छात्र-छात्राओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों में इस विषय को लेकर काफी जनाक्रोश व्याप्त है और अभी तक अराजक तत्वों को गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा अभी तक मूर्ति भी स्थापित नहीं किया गया है।

अतः इस लोकहित के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने तथा बाबा साहब डा0 भीमराव की अष्टधातु की मूर्ति लगवाये जाने तथा प्रतिमा के चारों तरफ ग्रिल आदि लगाकर भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कराने की मांग करता हूं।]

गोरखपुर जनपद अन्तर्गत क्षतिग्रस्त दसवतपुर पुल के स्थान पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सदल प्रसाद-

[जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत खजनी माल्हनपार-उरुवा मार्ग पर दशवतपुर ब्रिटिश जमाने का बना पुल लगभग दो माह से टूटा हुआ है और सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन ठप्प हो गया है। उक्त पुल 5-6 बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसकी मरम्मत कराकर हर बार आवागमन की सुविधा की जाती रही है, परन्तु इस बार दो माह से क्षतिग्रस्त पुल का न तो मरम्मत कराया गया और न ही आवागमन की वैकल्पिक सुविधा की गई। मेरे द्वारा कई बार जिले के अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उक्त क्षेत्रीय समस्या को देखते हुए जब मैं धरने पर बैठा तो मात्र हल्के वाहनों हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गयी। लेकिन अभी तक भारी वाहनों का आवागमन ठप्प है उक्त पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है।

अतः इस लोकहित के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए नये पुल के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जुलाई, 1984 से बालकों एवं जनवरी, 1988 से बालिकाओं के अशासकीय असहायिक जूनियर हाईस्कूलों को अनुदानित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणवीर राणा-

[उ0 प्र0 के समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय, असहायिक जूनियर हाई स्कूलों को वेतन वितरण अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अनुदानित करने का प्राविधान था। किन्तु सरकार द्वारा वर्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1984 तक के सभी विद्यालयों को अनुदानित किया जा चुका है किन्तु जुलाई, 1984 से बालकों एवं जनवरी, 1988 से बालिकाओं के विद्यालयों को अनुदानित न करने से प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों/शिक्षकों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं क्योंकि उन विद्यालयों के कर्मचारियों/शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। इस समस्या के सम्बन्ध में कई बार विभागीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन/शासन को भी लिखित दिया जा चुका है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उक्त समस्या को लेकर प्रदेश के कर्मचारी/शिक्षक धरना, प्रदर्शन एवं आन्दोलित हैं स्थिति अत्यन्त विस्फोटजनक है किसी भी समय उग्र रूप धारण कर सकती है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन से मांग करता है कि उक्त समस्या के निराकरण हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

चन्दौली के चकिया कोतवाली अन्तर्गत ग्राम शाहपुर में दिनांक 5-11-2005 को हुए गोलीकाण्ड की जांच कराकर दोषियों को दण्डित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम कृपाल व श्री राम स्वरूप सिंह-

[जनपद चन्दौली कोतवाली चकिया अन्तर्गत ग्राम शाहपुर में प्रशासन की पूरी तरह मिलीभगत एवं पुलिस की घोर लापरवाही से दिनांक 5-11-05 को भयावह गोलीकांड हुआ। जिसमें 1 महिला सहित, 2 अनुसूचित जाति के दलितों की हत्या हो गयी तथा 17 बुरी तरह गोली लगने से घायल हो गये।

शाहपुर गांव से सटे ऊसरी गांव के रामदेव पाण्डे की सीलिंग भूमि का मुकदमा अपर कमिश्नर (न्यायिक) वाराणसी की अदालत में चल रहा है। इनकी सीलिंग की जमीन अन्य मौजों के साथ ही लगभग 8-10 एकड़ शाहपुर मौजे में है। इसी शाहपुर की सीलिंग की जमीन की फर्जी बैनामा व फर्जी वसीयतनामें का मुकदमा भी अपर कमिश्नर (न्यायिक) वाराणसी की अदालत में चल रहा है।

शाहपुर मौजे की सीलिंग में निकलने वाली रामदेव पाण्डे की जमीन सीलिंग व वसीयतनामें के विवाद के कारण 10-12 साल से परती पड़ी हुई है। इस साल 05 जून, 05 में कमिश्नर वाराणसी ने जिलाधिकारी चन्दौली व शासकीय अधिवक्ता चन्दौली को इस सीलिंग की जमीन के बावत विधि संगत अपील दाखिल करते हुए लिखित निर्देश भेजा था। मगर जिलाधिकारी चन्दौली व विशेष रूप से उप जिलाधिकारी चकिया ने विधि संगत अपील दायर करने के बजाय जमींदार रामदेव पाण्डे से मिलीभगत कर लिया और इस परतीपड़ी शाहपुर की जमीन पर कब्जा दिलाने की साजिश में लग गये। उप जिलाधिकारी चकिया महोदय की साजिश का नतीजा है कि रामदेव पाण्डे ने अपने रिश्तेदारों व बिहार से गुण्डों को इकट्ठा कर 5 नवम्बर, 05 को शाहपुर के सीलिंग की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्धाधुन्ध गोली बरसा कर उक्त घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद मृतकों व घायलों को इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई और न ही घटना के जिम्मेदार उप जिलाधिकारी, चकिया के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः इस लोक महत्व की सूचना को स्वीकार कर सदन में चर्चा करा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम जिन्दूपुर के प्रधान की दिनांक 14-11-2005 को की गई हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं आश्रितों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नरेश यादव-

[इस समय अपराध बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब होती चली जा रही है। इसी कड़ी में दिनांक 14 नवम्बर, 2005 को सायंकाल लगभग 7.30 बजे लोकप्रिय एवं नवनिर्वाचित जिन्दूपुर के प्रधान श्री अरविन्द कुमार यादव पुत्र श्री प्यारे लाल यादव की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गयी। प्रथम सूचना पत्र में अपराधियों का नाम अंकित है। अरविन्द कुमार यादव घटना के दिन अपने दो छोटे-छोटे बच्चों अमित व अजीत उम्र क्रमशः 9 वर्ष व 07 वर्ष है, पढ़ा रहे थे, उसी समय अपराधियों में से कुछ लोग आये और उनसे कहा कि एक कागज पर हस्ताक्षर करना है। बाहर कुछ लोग 50 गज दूरी पर बैठे हैं, चल कर हस्ताक्षर करके चले आओ। जैसे ही घर से कुछ ही दूर चले कि दस्तखत कराने को कौन कहे-गोलियों से उनकी हत्या कर दी। अपने पीछे अपनी विधवा, बच्चे, माता है, को छोड़ गये हैं। उनके परिवार के पास पिता की हिस्से की करीब 1.50 बीघे जमीन सिर्फ है। वही गांव के पास एक जूनियर हाईस्कूल चला रहे थे। इसके अतिरिक्त कोई और आय का स्रोत नहीं है। अभी तक अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही गिरफ्तारी ही हो सकी। जिससे गांव में दहशत व्याप्त है और परिवार के लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। उनकी लोकप्रियता तथा पंचायत चुनाव में उनकी विजय ही हत्या का कारण है। लगता है कि अपराधियों के दिमाग में यह बात भरी है कि कहीं यह आगे न निकल जाय। इस समय उनके परिवार की सुरक्षा-अपराधियों की गिरफ्तारी परिवार को चलाने के लिये आर्थिक सहायता आदि की विशेष आवश्यकता है।

आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अभियुक्तों को शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तार किया जाय तथा परिवार के लोगों की सुरक्षात्मक व्यवस्था कड़ाई से कराई जाय। भरण-पोषण के लिये 2.50 लाख की आर्थिक सहायता दिये जाने और उसके दोनों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेने की व्यवस्था करें।]

जनपद कुशीनगर के फाजिलनगर क्षेत्रान्तर्गत तमकुही राज बैरियर पर हो रही राजस्व चोरी की जांच कराकर दोषी कर्मियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदीश मिश्र "बाल्टी बाबा"-

[मान्यवर, जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर में बिहार बार्डर पर स्थित तमकुही राज की व्यापार चुंगी (बैरियर) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताना चाहूंगा कि बैरियर पर नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से सैकड़ों ट्रक एवं माल बिना टैक्स के पार कराया जा रहा है जिससे शासन को प्रतिदिन लाखों रुपये की राजस्व हानि हो रही है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से मैं तमकुही राज बैरियर पर हो रही राजस्व चोरी की गोपनीय जांच कराने तथा दोषी कर्मियों को स्थानान्तरित एवं दण्डित करने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ के उदयगंज रोड से कूड़ाघर हटाकर हैदर कैनाल के पुराने स्थान पर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन भैया-

[मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय जनहित की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। लखनऊ महानगर की व्यस्त उदय गंज रोड (के0के0सी0 से कैन्ट रोड) के मोड़ पर ही एक कूड़ाघर है जिसे उस क्षेत्र के सूअर पालकों ने वर्षों से सूअरों के बाड़े में तब्दील कर रखा है, जिससे कारण गंदगी सड़क पर चारों तरफ फैल जाती है, तथा क्षेत्र में बार-बार बीमारियों का संक्रमण हो जाता है। इसके अलावा विधान सभा मार्ग के समान्तर मार्ग होने के कारण इस मोड़ पर दुर्गन्ध के चलते राहगीरों का निकलना मुश्किल हो जाता है तथा सूअरों के कारण प्रायः दुर्घटना के कारण लोग चोटिल हो रहे हैं। महोदय क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर निगम में शिकायत कर कूड़ाघर को हटा कर कैन्ट रोड स्थित हैदर कैनाल में पुराने कूड़ाघर में स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया परन्तु सुनवाई नहीं हुई।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण रोड से कूड़ा घर हटा कर हैदर कैनाल के पुराने स्थान पर स्थानान्तरित कर क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को राहत पहुंचाई जाय।]

प्रदेश में ग्राम सभाओं के वादों की पैरवी के लिये तैनात आर0 पी0 एल0 को प्रतिमाह पांच हजार रूपया मानदेय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कल्याण सिंह दोहरे-

[उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाओं के वादों की पैरवी के लिये आर0 पी0 एल0 (रेवेन्यू पैनल लायर) की नियुक्ति शासन के निर्देशानुसार की जाती है जिन्हें प्रतिवाद निर्णय तक मात्र 10 रुपये भुगतान देने के आदेश हैं जबकि पूर्व में मानदेय प्रति आर0 पी0एल0 5 हजार रुपये प्रति माह निर्धारित था। परन्तु अब रोक लगा दी गयी है। 10 रु0 प्रतिवाद से भुगतान मिलना बिल्कुल न के बराबर है एक वाद के निर्णीत होने में कम से कम एक वर्ष लगता है इस प्रकार पूरे प्रदेश में आर0 पी0 एल0 के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। जबकि शासन द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता व सहायक शासकीय अधिवक्ता का भुगतान बढ़ा दिया गया है ऐसी स्थिति में आर0 पी0 एल0 का पूरे प्रदेश में 10 रु0 प्रतिवाद (प्रति मुकदमा) के स्थान पर प्रतिमाह मानदेय या प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय निर्धारित करना हितकर होगा।

अतः पूरे प्रदेश में आर0 पी0 एल0 जो राजस्व न्यायालय में ग्राम सभाओं के वादों को देखा देखी करते हैं को प्रतिमाह मानदेय कम से कम 5,000/- (रुपये पांच हजार) अथवा 200/-. (दो सौ रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद हरदोई के बिलग्राम में स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विश्राम सिंह यादव-

[हरदोई जनपद के कस्बा बिलग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत हो चुका है जिसके निर्माण हेतु आवास विकास की निर्माण इकाई को धन भी दे दिया गया है परन्तु अभी तक

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उक्त सी0एच0सी0 का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जबकि धन निर्गत हुए लगभग एक वर्ष हो चुका है ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय जनता में घोर असंतोष व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब उपरोक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत अविद्युत गांवों को विद्युतीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र-मेंहनगर, जनपद-आजमगढ़ में स्थित है जो अत्यन्त पिछड़ा हुआ है यहां पर अभी भी अधिकांश गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जो निम्नवत् हैं :--बेलहाडीह, रस्तीपुर, देवरापुर, चकवारा, उचहुआ, पेटी, हरिश्चन्द्रपुर, कटहन, अहियाई, सिरवां आदि गांवों में विद्युतीकरण का कार्य आजादी के 57 वर्षों के बाद भी नहीं हो पाया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करती हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24-11-2005 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 02 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :--

पहली सूचना श्री मुन्शी लाल गौतम की उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं को दशमोत्तर कक्षा से ऊपर छात्रवृत्ति न मिलने के कारण चिकित्सा, इंजीनियर, डिग्री कालेजों में उनके परीक्षा से वंचित होने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा इलाहाबाद स्थित शास्त्री एवं फाफामऊ पुल से टोल टैक्स समाप्त करने की घोषणा का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में है, लेकिन इस सूचना से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर आ गया है इसलिए यह सूचना आपकी खत्म हो गयी। इसको मैंने पहले नियम-51 में भी परिवर्तित कर दिया था, चूंकि इससे सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर आ गया था, इसलिये इस सूचना को निरस्त करता हूं।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों को दशमोत्तर कक्षा से ऊपर छात्रवृत्ति न मिलने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री मुंशी लाल गौतम-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मान्यवर, पिछली बार भी और इस बार भी अनुसूचित जाति-जन जाति के छात्र/छात्राओं के दशमोत्तर कक्षा से ऊपर के छात्रों को जो छात्रवृत्ति नहीं मिली है, इस पर पिछली बार सदन में आपने निर्देश

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिया था कि एक सप्ताह के अन्दर छात्रवृत्ति बंटवा कर अवगत करा दें और भारत सरकार से मांग कर लें, लेकिन या तो नेता सदन या सरकार इस वर्ग के प्रति उदासीन है या आलस्य है या राजनीतिक द्वेष के कारण भारत सरकार से छात्रवृत्ति मांगने में पहल नहीं कर रही है या उपभोग प्रमाण-पत्र देने के समय पर वर्ष 2003-04, 2004-05 से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उस धनराशि का दुरुपयोग हुआ है। आपके आदेशानुसार छात्रों के शिक्षा, इंजीनियरिंग, डिग्री, पालिटेक्निक, मेरिट उच्चीकृत एवं प्राविधिक शिक्षा व बी0एड0 में निःशुल्क प्रवेश तो हो गये थे, लेकिन अब परीक्षा देने से विश्वविद्यालयों द्वारा मना किया जा रहा है कि आपकी फीस जमा नहीं हुई है या तो आप शुल्क जमा करायें अन्यथा आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा। आज लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में है यदि भारत सरकार ने समय से छात्रवृत्ति न भेजी तो उन बेचारे छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जायेगा क्योंकि यह परीक्षा देने से वंचित रह जायेंगे। सरकार ने जब प्रवेश दिलाया है तो उनकी परीक्षायें भी दिलवा दी जाय तो छात्रवृत्ति मिलने पर भुगतान कर सकें, इस समाज की ठेकेदारी तो बसपा वालों पर है और इनका समर्थन भी केन्द्र में कांग्रेस को है यह इसलिये नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यह भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं क्योंकि इनको राजनीति कार्यकर्ता मिल जायेंगे जब वह परीक्षा नहीं देंगे। अगर वह पहल करते तो छात्रवृत्ति सबको मिल गयी होती, हमारी भारतीय जनता पार्टी के शासन में सभी अनुसूचित जाति-जन जाति के छात्र/छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति मिल गयी थी, लेकिन अब उनको परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में समाज कल्याण सचिव से बात की तो उनके द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें गाजियाबाद को मिला-141.20 लाख, गौतम बुद्ध नगर को 90 लाख, कानपुर को 199.66 लाख, मेरठ को 124.27 लाख और लखनऊ को 110.10 लाख, मुरादाबाद को 75.5 लाख, मथुरा को 37.32 लाख, मुजफ्फरनगर को 54.22 लाख, आगरा को 15.18 लाख, जौनपुर को 37.99 लाख, झांसी को 29.63 लाख, बांदा को 17.48 लाख, फिरोजाबाद को 6.50 लाख, सहारनपुर को 07 लाख, सुल्तानपुर को 3. 58 लाख, गाजीपुर को 2.58 लाख, इलाहाबाद को 04 लाख, मिर्जापुर को 0.24 लाख, सीतापुर को 2.86 लाख, इटावा को 4.90 लाख और रायबरेली को 5.93 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं और अनेक जनपद इससे वंचित रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब विवरण देने से क्या फायदा है। आपकी बात तो पूरी आ गयी है।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, इस वर्ष की छात्रवृत्ति तो मिली ही नहीं है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस सम्बन्ध में सरकार को उचित निर्देश देकर लाखों छात्र/छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होने से बचा लें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य की बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह छात्रवृत्ति भारत सरकार से मिलनी है, भारत सरकार की ही यह स्कीम है और उन्हीं से यह पैसा मिलना था, लेकिन यह पैसा अभी तक मिला नहीं है। भारत सरकार से इस सम्बन्ध में कहा भी गया है। आपने पहले भी इस बात पर बल दिया था और आज भी कह रहे हैं, तो इसमें फिर से सरकार द्वारा कोशिश की जायेगी, जैसे ही भारत सरकार द्वारा यह पैसा मिल जायेगा वैसे ही छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री, दोनों को मैंने सुना, इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, इसमें आश्वासन दिला दें कि उन्हें परीक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा और जब छात्रवृत्ति आ जायेगी तो वह उसमें एडजेस्ट हो जायेगी।

श्री राम करन आर्य-

मान्यवर, उन बच्चों ने सरकार के निर्देश पर एडमीशन ले लिया अब पैसे के अभाव के कारण वह परीक्षा से वंचित न होने पावे यह सरकार व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आप समाज कल्याण मंत्री से इस बारे में मिलकर बात कर लीजिए।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां †

कर एवं निबन्धन राज्य मंत्री (श्री संजय गर्ग)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-2485/ग्यारह-9 (39)-05-उ0प्र0अधि0-12-2000-आदेश-(36)-2005, दिनांक 18 अगस्त, 2005 को उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2486/ग्यारह-9 (39)-05-उ0प्र0अधि0-12-2000-आदेश-(37)-2005, दिनांक 18 अगस्त, 2005 को उ0प्र0 माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2586/ग्यारह-9 (7)-97-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(39)-2005, दिनांक 31 अगस्त, 2005 को उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2587/ग्यारह-9 (7)-97-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(40)-2005, दिनांक 31 अगस्त, 2005 को उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2- 2588/ग्यारह-9 (231)-94-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(41)-2005, दिनांक 31 अगस्त, 2005 को उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2- 2645/ग्यारह-9 (65)-98-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(42)-2005, दिनांक 06 सितम्बर, 2005 को उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री ईश्वरी प्रसाद मौर्य पीलीभीत के परिवाद संख्या-965-2002 (पीलीभीत) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन तथा विशेष प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन †

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्री ईश्वरी प्रसाद मौर्य, पीलीभीत के परिवाद संख्या-965-2002 (पीलीभीत) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-15/2003 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-5/2003 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन को लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 (5) व (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 (दि0 18 जुलाई, 2005 से 8 अगस्त, 2005 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 (दिनांक 18 जुलाई, 2005 से 08 अगस्त, 2005 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (बारहवां संस्करण) के निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दिनांक 11 फरवरी, 2005 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति विधान सभा द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष-

मैं, दिनांक 11 फरवरी, 2005 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए, उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

† छापा नहीं गया।

†† छापा नहीं गया।

द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19 (8) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूं।

आदरणीय पाण्डेय जी,

आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-686/अ0 वि0 स0/2005, दिनांक 15 मार्च, 2005 के लिये मैं अत्यन्त आभारी हूं।

इस हेतु मैं आपको तथा आपके माध्यम से विधान सभा के माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

भवनिष्ठ,

टी0 वी0 राजेस्वर।

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 नवम्बर, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 24 नवम्बर से 05 दिसम्बर, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

नवम्बर, 2005

24 गुरुवार 1-उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं उसका पारण-(आधा घण्टा)

2-असरकारी दिवस (असरकारी संकल्प)-(आधा दिन)

25 शुक्रवार
26 शनिवार
27 रविवार
28 सोमवार
29 मंगलवार
30 बुधवार
दिसम्बर, 2005
01 गुरुवार
02 शुक्रवार
03 शनिवार
04 रविवार
} बैठक नहीं होगी।

05 सोमवार 1-श्री श्याम लाल रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन के इतिहास में 'चौकीदार चपाती आन्दोलन' के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किया जाय।"

2-डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाय।"

3-श्री प्रमोद कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी जाय।"

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, कार्यमंत्रणा समिति ने बिल का निश्चित टाइम कर दिया है, वहां से आया है कि इस बिल पर विचार होगा, आप सब सहमत हों तो बिल पहले ले लें और कार्य-स्थगन बाद में ले लें।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, ठीक है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आपकी सहमति के लिये धन्यवाद।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, सरकार के द्वारा जो जमीनी स्तर पर निर्वाचित संस्थाओं का जिस प्रकार से उनके दायित्व से हटाने का प्रयास किया जा रहा है और अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, उस विधेयक के विरोध में और उस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग को लेकर कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 243 यू में यह स्पष्ट दिया हुआ है और यह उसके विपरीत है। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय को (नगर निगम नगर पालिका परिषद् सम्मिलित है) कार्यकाल जिसकी पहली बैठक के लिये निर्धारित तिथि से 5 वर्ष होगा । यह प्राविधान सदन के 5 वर्ष तक बने रहने की गारन्टी है। अपवादस्वरूप यदि सदन को भंग किया जाना है तो उसकी भी 538 में व्यवस्था की गयी है उसका पालन करना होगा। मान्यवर, जब संविधान में यह बात कही गयी है तो यह विधेयक संविधान की भावना के विपरीत है और संविधान का संशोधन करने का अधिकार इस सरकार व विधान सभा को नहीं है। यह विधि मान्य सिद्धान्त है कि ऐसा कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। वर्तमान विधेयक के द्वारा नगरपालिका परिषद् एवं नगर निगम को कार्यकाल संशोधन के द्वारा निर्धारित समय के पूर्व ही परोक्ष रूप से समाप्त करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तावित संशोधन में नगर निगम, नगर पालिका परिषद् को किसी कारण से संशोधन नोटिस का प्राविधान है। व्यवहारिक दृष्टि से धारा 10क 8 की उपधारा 3 में प्रस्तावित संशोधन का यह आधार होगा कि समय से पूर्व नगर निगम जैसा भी हो भंग होने की स्थिति में आ जायेगा। मान्यवर, संविधान के आर्टिकल 172 में विधान सभा का कार्यकाल दिया गया है इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा और जब संविधान में नगर निगमों के सम्बन्ध में 1952 में 74वां संविधान संशोधन आया तो उसमें सबसे निचली लोकतांत्रिक इकाई के भविष्य और उसके कार्यकाल के सम्बन्ध में गारण्टी दी गयी है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 243प में नगरपालिकाओं की अवधि के बारे में दिया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, इसमें आगे हैं परन्तु किसी नगरपालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जायेगा। इसका दूसरा भाग है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी नगरपालिका का जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खण्ड-1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। इस प्रकार जब यह सदन आज इस विधेयक को पारित भी कर दे तो यह रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट यानि पूर्वगामी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता। स्वयं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के धारा 8(1) में दिया है कि- ''कोई निगम जब तक कि उसे धारा 538 के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाय, अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक के 5 वर्ष तक, न कि उससे अधिक, बना रहेगा। तो जब यह निगम बना रहेगा तब इसी नगर निगम अधिनियम 1959 के 538 में अक्षमता, सतत् चूंक या अधिकारों के अतिक्रमण या दुरुपयोग की दशा में राज्य सरकार का (निगम) को विघटित करने का अधिकार आता है। इसमें दिया है कि ''यदि किसी समय अभ्यावेदन किये जाने पर राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि निगम इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा अथवा उसके अधीन

उस पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है अथवा उनके पालन करने में सतत् चूंक करती है अथवा अपने अधिकारों का एक बार से अधिक अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है तो राज्य सरकार निगम को यह कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् कि क्यों ऐसी आज्ञा न दी जाय, सरकारी गजट में उसके कारणों के सहित एक आज्ञा प्रकाशित करके निगम को विघटित कर सकती है। तो आपने 538 का पालन भी नहीं किया और 74वें संविधान संशोधन ने आपको अधिकार नहीं दिया है और प्रथम बैठक का दृष्टान्त विधान सभा में शपथ की बैठक नहीं माना जाता और नगर निगम अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन में प्रथम बैठक शब्द दिया गया है। इस तरह आपने अपना कार्यकाल तो स्वयं साढ़े 5 साल कर लिया और जो निचली लोकतांत्रिक संस्थायें हैं, उनका आप कैसे गला घोंट सकते हैं। अगर यह सदन इसे पालित भी कर दे तो इस सदन के लिये यह काला दिवस होगा। न इसे महामहिम स्वीकार करेंगे, न उनसे इसकी स्वीकृति मिलेगी और जब उनसे स्वीकृति नहीं मिलेगी तो यह कानून का रूप भी नहीं लेगा और हम लोग इसको माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। इसके बाद यह परिस्थिति निर्णायक होगी कि विधान सभा के अधिकारों में न्यायपालिका का कथित हस्तक्षेप होगा और इससे विधान सभा की गरिमा गिरेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यही बुनियादी सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इस पर और भी लोग अपने विचार रखेंगे, इसलिये पहले सभी विचार आ जाने दीजिए, उसके बाद आप सभी विचारों को सुनकर एक साथ जवाब दे दीजिएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ठीक है।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमारे पूर्व वक्ता माननीय बाजपेयी जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। उन्होंने जो तर्क दिये हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं, बस केवल एक-दो बातें इसमें और जोड़ना चाहता हूं। आज परिभाषा इस बात की होनी है, तो आपने अभी विघटन की बात कही है। सरकार के विघटन का तो मतलब यही है कि कार्यकाल समाप्त हुआ और जब कार्यकाल समाप्त हो गया और नयी संस्था नहीं आ पायी तो उस बीच के समय के लिये व्यवस्था क्या होगी ? एक-दो सुझाव मैं देना चाहता हूं, जो 74वां संविधान संशोधन किया गया है, उसका तात्पर्य यही था कि स्थानीय संस्थाओं को कैसे विकसित किया जाए ? माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक विचार करेंगे कि क्या वह आशय, जिस आशय के लिये यह संशोधन किया गया था, क्या आपको लगता है कि वह पूरा हो पाया है ? हम ही वह विधेयक लाये थे और उसके पीछे मंशा यही थी कि जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, केन्द्र सरकार काम करती है, उसी प्रकार से स्थानीय स्तर पर उन संस्थाओं का भी विकास होना चाहिए। मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि कहीं आसपास भी उस मंतव्य की पूर्ति नहीं हो पायी है। जैसा पहले ब्रिटिशकाल से चला आ रहा था, उनको एक विभाग के रूप में देखना शुरू कर दिया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगर विकास एक विभाग है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको दबा दिया गया, इस कारण जो शक्ति उनमें आनी चाहिए थी वह नहीं आ पायी। जो इच्छा हुई, यदि पसन्द आया तो बजट दे दिया और यदि नहीं पसन्द आया तो बजट का गला घोंट दिया। यह जो हमारी भेदभाव की भावना है, वह भी बहुत बड़ा कारण रहा है, इन संस्थाओं के विकास में रुकावटें पैदा करने के लिए। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमें इस पर विचार करना चाहिए, जिससे कि यह संस्थायें भी इसी प्रकार से विकसित हो करके आये। सबसे बड़ी रुकावटें हमारी मानसिकता में है, उन मानसिकताओं से भी हमें मुक्त होना चाहिए, भेदभाव की जो हमारी नीति है, वह भी दूर होनी चाहिए। मान्यवर, हमारे यहां मुजफ्फरनगर में नगरपालिका परिषद् है, नगर पालिका का बजट पास हुआ। उस बजट के माध्यम से सारे विकास कार्य वहां पर होने थे, लेकिन वहां पर विचारधारा की बात आ गई। आपको विशाल शक्ति प्राप्त है, इसलिए आपने उस बजट को शून्य घोषित कर दिया। जो गजट नगरपालिका के महीनों प्रयास के बाद पास हुआ हो और उसे शून्य घोषित कर दिया जाए तो फिर कैसे कहेंगे कि विकास का काम हो जाएगा ? आपने कभी कल्पना की है कि नगरों की स्थिति क्या है ? बजट केवल इस कारण से शून्य घोषित कर दिया कि वहां पर आपकी पार्टी का अध्यक्ष नहीं है। अगर हमारी यही मानसिकता बनी रहेगी तो संशोधन आप करते रहें, संशोधन के माध्यम से काम करते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। इस सारे प्रकरण पर हमें विचार करना होगा। हमारे सहयोगी माननीय बाजपेयी जी ने बहुत से संवैधानिक बिन्दु उठाये हैं, उन पर भी विचार करना होगा। आप कह देंगे कि हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है, कहीं से कोई निर्णय नहीं आया है, पिछले एक साल से आपका सारा का सारा अमला इस बात में लगा हुआ है कि वार्ड बना दो, वार्ड बना दो। और वार्ड बनाने के बाद किसी के दिमाग में यह बात नही आई कि वर्ष 2001 का सेंसेस हो चुका है और उसके आधार पर डिलिमिटेशन होना चाहिए। उसके आधार पर सारी विधान सभाओं और लोक सभाओं की कान्स्टीयेन्सीज बन रही हैं और आप सोये बैठे हैं। यह बड़ी भारी जागरूक सरकार है, जिसे 2001 के आधार पर बनाना चाहिए था आपने उसके पहले की गणना के आधार पर बनाया और प्रदेश सरकार के करोड़ों रुपये को बर्बाद किया, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? जो भी जिम्मेदार है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इतनी बड़ी भूल होती है, चूक होती है और आप असहाय बनकर बैठ गये। हाईकोर्ट ने आब्जर्वेशन कर दिया, हाईकोर्ट ने सही कहा है कि यह गलती आपकी है। साल भर इस काम में लगा, फिर आप यहां संशोधन ले आये। वहां पर अधिकारियों को बैठा देंगे, जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का बैठा हो वह अधिकारियों से हजारों गुना अच्छा काम करेगा। अधिकारियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और उनको इन संस्थाओं में बिठाकर आप सारे विकास कार्य ठप्प करा देंगे। यह करके आप उनके परिवार के लिए सुख-सुविधा की व्यवस्था करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपको इस पर गम्भीरता से विचार कर लेना चाहिए।

*श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह जो विधेयक इस भाषा के साथ लाया गया है कि निकट भविष्य में कार्यकाल खत्म होने वाला है। अभी बाजपेयी जी ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था है कि प्रथम बैठक के बाद से कार्यकाल की गणना होगी। इस हिसाब से अभी उनका कार्यकाल बाकी है। निकट भविष्य की कोई समय-सीमा इस विधेयक में नहीं बतायी गयी है। जो जानकारी में आया है उसके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिसाब से कल, परसों ही कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसलिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं इतना ही इस विधेयक के बारे में सरकार से कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि कई नगर पालिका, व नगर परिषदें घाटे में हैं, कर्मचारियों का भी वेतन बकाया है और तमाम परिस्थितियां लेकर लड़ रहे हैं। आप निगमों की हालत देख लें, जहां आपने एम0 डी0 के रूप में अधिकारियों को बैठाया, वह निगम की गाड़ियों और एअर कण्डीशन कार्यालय का आनन्द ले रहे हैं। यहां बहुत से सत्तापक्ष के सदस्यगण जो निगमों के चेयरमैन बने हुए हैं, वह वहां बैठे हैं तो उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम अधिकारी जो गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। एक चेयरमैन तो ऐसे हैं जो रिक्शे से अपने कार्यालय जाते हैं। प्रदेश की तमाम टाउन एरिया और नगर पालिका परिषदों में अधिकारियों को बिठाने जा रहे हैं उससे स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। सरकार इन चुने हुए प्रतिनिधियों के कार्यकाल में 4-6 महीने का एक्सटेंशन कर सकती है, आपको इस विधेयक में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। या फिर आप उनके कार्यकाल की गणना इस हिसाब से कर लें कि जिस दिन प्रथम बैठक हुई है उस तारीख से उसकी गणना करें। आपने रैपिड सर्वे नगर पालिकाओं का किया है, जहां 5 मत हैं उसे 500 दिखाया है। इस गलती को हाईकोर्ट ने पकड़ा है। यह परम्परा रही है कि 21 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति का रहेगा, चाहे विधान सभा, लोक सभा या नगरपालिका परिषदें हों। लेकिन इस समाज के साथ अन्याय किया गया, कहा गया कि जहां आपकी संख्या ज्यादा है वहीं आरक्षण रहेगा। अगर नगरों में संख्या कम है तो वहां आपको नहीं घुसने देंगे। जिस वार्ड में संख्या होगी वहीं पर आप रहेंगे। जिस नगर पालिका परिषद् में जहां दो होते थे अब एक हो गया और जहां 4 होते थे वहां दो ही रह गया, जहां 12 होते थे वहां केवल दो ही रह गये। अगर संख्या के आधार पर आरक्षण करेंगे तो लिटीगेशन पैदा करेंगे। बहुत ही गलत सर्वे हुआ है। अन्त में कक्षों का निरीक्षण हो रहा है, इसमें बड़ा समय लगेगा। गलत रिपोर्टिंग और जल्दबाजी करके आपने लिटीगेशन की स्थिति पैदा कर दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने गलती को देखते हुए उसे रोक दिया। मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनता द्वारा चुने हुए लोगों का अपमान हो रहा है। अभी बाजपेयी जी ने कहा है कि इसको 5 महीने बढ़ा दें। मान्यवर, यह संवैधानिक व्यवस्था है कि टाउन एरिया, नगर पालिका आदि की जब प्रथम बैठक होगी उस दिन से उनका कार्यकाल जोड़ा जायगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें। प्रवर समिति 2-4 बैठकें करके अपनी रिपोर्ट दे और उसके आधार पर कार्यवाही करें। जो टाउन एरिया की जनसंख्या है उस पर सरकार विचार करे उसके आधार पर आरक्षण सभासदों को मिलना चाहिए।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि इस विधेयक पर आपने विचार करने का अवसर दिया। इस प्रदेश के लोकतंत्र के लिये, संविधान के लिये आज का दिन बहुत शर्मनाक दिन है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से यह सरकार नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है और सरकार स्वयं उसके लिये जिम्मेदार है। सरकार अपने उद्देश्य में यह कह रही है कि नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, चुनाव करा पाना सम्भव नहीं है, परिसीमन में समय लगेगा तो इससे सारी चीजें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साफ हैं। जब सरकार जानती थी कि कार्यकाल समाप्त हो रहा है, सरकार को मालूम था कि चुनाव कराने हैं और सरकार परिसीमन की गतिविधियों से गुजर रही थी और जब सरकार कोर्ट में मुकदमें में पेश हो रही थी और कह रही थी कि परिसीमन नियमों के अनुरूप हो रहा है तो कौन सी परिस्थितियां हुईं कि सरकार ने कोर्ट में अपना स्टैंड बदला और एफीडेविट दे दिया कि सरकार 2001 के परिसीमन के आधार पर चुनाव चाहती है। मान्यवर, इसका एक कारण यह था कि अभी जो चुनावों के रिजल्ट आये उससे सरकार के खिलाफ जो रिफरेंडम आया, चूंकि साल डेढ़ साल बाद विधान सभा के चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले सरकार यह जो मिनीरिफरेंडम के रिजल्ट आये उसको देखते हुए सरकार अब चुनाव कराने के लिये तैयार नहीं हुई। इसी कारण से यह विधेयक हम लोगों के सामने रखा गया। अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि जब अधिनियम में व्यवस्था थी कि परिसीमन अद्यतन सेन्शश के आधार पर किया जायेगा तो कौन से अधिकारी थे जो 1991 के आधार पर परिसीमन कर रहे थे। अगर सरकार के डायरेक्टिव नहीं थे और अधिकारी गलत थे तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इसका मतलब यह हुआ कि अधिकारी जो कर रहे थे वह विधिक दायित्वों की पूर्ति नहीं कर रहे थे, संविधान के मुताबित कार्य नहीं कर रहे थे। इसलिये अध्यक्ष महोदय हम लोगों की यह स्पष्ट मान्यता है कि यह विधेयक इस प्रदेश के नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा है। इसमें दो संशोधन हो जायं। यदि सम्भव हो तो नगर निगमों का कार्यकाल बढा दिया जाय और यदि सम्भव न हो तो कम से कम जिलाधिकारी को प्रशासक न नियुक्त किया जाय और यह व्यवस्था की जाय कि जो नगर निगमों के अध्यक्ष हैं नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वह जब तक चुनाव न हो जायं तब तक प्रशासक की तरह काम करें और मुख्य नगर अधिकारी तथा एस0 डी0 एम0 उनके सचिव की तरह काम करें। सभासदों के पद समाप्त किये जायं। अगले चुनाव तक लोकतांत्रिक रूप से चयनित नगर प्रमुखों को यह अधिकार दिये जाने चाहिए।

*श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष जी, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश के सामने एक विषम परिस्थिति है। 5 वर्ष होने को आये हैं। मैं समझता हूं कि संविधान पूरी तरह से मौन है कि यदि 5 वर्ष बाद ऐसी परिस्थिति आ जाय तो आगे क्या किया जाय। एक वाद जाता है, पिटीशन जाती है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि परिसीमन में एक नयी विधा होनी चाहिए। इसके लिये पर्याप्त समय नहीं है। जब इन विषम परिस्थितियों में कोई निर्णय लेना हो जब ऐसे समय संविधान मौन हो और अपने आपको परिभाषित नहीं करता हो उस समय की परिस्थितियों में कोई निर्णय लेना पड़ता है। परम्पराओं की ओर देखना पड़ता है। परम्पराओं की ओर देखें तो ऐसी परिस्थितियों से रूबरू मौजूदा सरकार को पहले भी होना पड़ा मुझे याद है तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह जी की थी और उस समय लगभग ऐसी ही परिस्थितियां आई थी उस समय तत्कालीन नगर विकास मंत्री श्री रमाशंकर कौशिक थे। सारे सदन की बैठक बुलाई गई थी उस समय यह निर्णय लिया गया था ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये उस समय सरकार का यही विचार था तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी का यही विचार था कि कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि किसी भी अधिकारी से किसी भी हालत में हजार गुना बेहतर होता है। इसीलिए जब हमारी सरकार थी तो बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था बहुत बड़ा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धरना हुआ था विधान सभा के भीतर श्री हुकुम सिंह जी उस समय हमारे साथ थे। आज वैसी ही स्थिति है। सरकार के सामने विकल्प यह है कि या तो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दें या किसी न किसी स्वरूप में किसी जनप्रतिनिधि को लाए। परम्परा का हवाला देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि तत्कालीन नगर विकास मंत्री श्री रमांशकर कौशिक ने वहां पर जनप्रतिनिधियों को बिठाया था। जब जनप्रतिनिधि बैठे थे तो उनके अधिकार वह नहीं रह गये थे जो नगर प्रमुख के थे परन्तु वह नियंत्रण सरकार का अधिकारियों के माध्यम से नहीं था। यहां पर एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है चुनाव हो गये बी0डी0सी0 निर्वाचित हो गये लेकिन जो पुराने बी0डी0सी0 थे उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ उनका कार्यकाल मार्च तक रहेगा इस तरह आज की तारीख में दो बी0डी0सी0 हो गये एक जिनका निर्वाचन हो गया परन्तु कार्यकाल प्रारम्भ नहीं हुआ दूसरे वह जिनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ। एक अजीब सी परिस्थिति पैदा हो गई है। मेरा सुझाव है कि तत्कालीन नगर विकास मंत्री ने एक कदम उठाया था वैसी ही आप व्यवस्था करायें जो निर्वाचित नगर प्रमुख हैं या नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनको दूसरे स्वरूप के साथ उन्हीं को प्रशासनिक अधिकारी बनाकर अधिकार दे दें मैं अपने सुझाव इसलिये दे रहा हूं ताकि सदन की कार्यवाही का यह भाग बन जाएं और आप यह न कह सकें कि आपने कोई सुझाव नहीं दिया था। एक तारीख से सारी नगर पालिकाओं को भंग करने से अनुच्छेद 172 का उल्लंघन हो जायेगा क्योंकि इस अनुच्छेद में स्पष्ट है कि विधान सभा की प्रथम बैठक से लेकिन सारे नगरों में पहली बैठक भिन्न-भिन्न तारीखों को हुई है। इस विधान सभा में ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन बाजपेयी जी बेशर्मी के साथ अपनी सरकार चलाते रहे थे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने संविधान की मंशा के अनुसार सरकार चलाई थी आप लोग मैदान छोड़कर भाग गये थे।

श्री प्रमोद कुमार-

इस सदन ने पहली बार कार्यकाल पांच साल से जयादा बढ़ते हुए तब देखा था। उस समय हम लोगों ने नैतिकता के आधार पर अपना त्याग-पत्र दिया था और समस्त विपक्ष ने हम लोगों का साथ दिया था। मेरा कहना है कि हर नगर पालिकाओं और टाउन एरिया की बैठकें अलग-अलग समय हो सकती हैं इससे 172 का भी उल्लंघन होगा और हो सकता है कोई हाई कोर्ट के पास फिर जाए और सरकार के सामने एक बार फिर समस्या आए। मैं नगर विकास मंत्री की एक बात से सहमत हूं निश्चित रूप से मौजूदा नगर प्रमुखों का जो निर्वाचित लोग हैं इनका कार्यकाल समाप्त कर दें क्योंकि संवैधानिक मजबूरी है लेकिन विकल्प क्या है एक तो वहां अधिकारी बैठा दें या जनप्रतिनिधि बिठा दें मेरा सुझाव है कि वहां पर जनप्रतिनिधि बिठाएं अधिकारियों को न बिठाएं क्योंकि जब कभी नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होगा जिलाधिकारी स्वयमेव प्रशासक बन जाएगा या मुख्य नगर अधिकारी स्वयमेव प्रशासक बन जाएगा, नगर आयुक्त प्रशासक बन जाएगा। जब संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है आप अलग एक व्याख्या कर रहे हैं कि जिलाधिकारी या किसी अधिकारी को चार्ज दे रहे हैं। उसकी जगह आप किसी जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं दे रहे हैं ? यहां पर मेरा एक सुझाव है सरकार के प्रति कि संविधान में जो व्यवस्था है आप उस व्यवस्था का तो पालन करें कि इनका कार्यकाल समाप्त कर दें। अगर चुनाव किसी परिस्थिति में नहीं करा पा रहे हैं तो अधिकारी की जगह किसी जनप्रतिनिधि को

रखिये। जनप्रतिनिधि में आप इन्हीं में से रख सकते हैं कहीं पर आप अगर परिवर्तित करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 73वें 74वें संशोधन को जब स्वर्गीय राजीव गांधी सरकार ने किया था तो बाद में उसे कांग्रेस सरकार ले आई थी। इसके पीछे मंशा यह थी कि पांच साल के बाद चुनाव हो जाय। यहां पर सरकार इनके चुनाव समय से नहीं करा पाई और अधिकारियों को प्रशासक के रूप में बैठाना चाहती है यहां पर मैं विभिन्न मत रखते हुए कहना चाहता हूं कि प्रशासक के रूप में जिलाधिकारियों और अधिकारियों के स्थान पर जनप्रतिनिधियों को बैठाया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में निकायों पर प्रशासक बैठाने के लिये विधेयक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया जा रहा है जो एक बहुत ही गम्भीर विषय है। मान्यवर, चूंकि हमारे देश की व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पंचायतें नीचे से लेकर ऊपर तक सुनिश्चित की गई हैं। ग्राम पंचायतें, खण्ड पंचायतें, जिला पंचायतें, प्रदेश की पंचायतें और राष्ट्र की पंचायत। इस तरीके से सभी पंचायतों की व्यवस्था है और इन पंचायतों के लिये संविधान में सुनिश्चित व्यवस्था कर दी गई है कि इनका कार्यकाल पांच साल के लिये होगा। मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(क) में इन पंचायतों के कार्यकाल की पांच साल की व्यवस्था की गई है। चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद् हो, नगर निगम हो या इसी तरीके से विधान सभा या लोक सभा हो। इसी तरीके से जैसे 172 में प्रदेश विधान सभा के लिये कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 243 (क) में इन निकायों के लिये भी पांच साल का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है। मान्यवर, जब 5 साल के कार्यकाल के पूरा हो जाने के बाद संविधान में अनुच्छेद 243-य(क) में नगर पालिका के निर्वाचन की व्यवस्था की गई कि नगर पालिकाओं के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण अनुच्छेद-243-ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। मान्यवर, अनुच्छेद-243-क में पंचायत के लिये निर्वाचन की व्यवस्था दी गई है। जिसमें राज्य की यह जिम्मेदारी है कि जिस भी तरीके की पंचायतें हैं किसी भी स्तर की पंचायतें हैं उनके चुनाव समय से संचालित कर लिये जाने चाहिए लेकिन मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार सोती रही। उसे मालूम था कि इसका कार्यकाल पांच साल का जल्दी ही पूरा होने जा रहा है और समय से यह चुनाव सम्पन्न नहीं करा पाई जो इस बात को जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा न तो प्रंजातंत्र में है न संविधान में इसका विश्वास है। इन पंचायतों की स्वतंत्रता के विषय पर इस सरकार पर एक प्रश्न उठता है जिसके तहत मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में सीधे-सीधे व्यवस्था दी गई है। अगर यह संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, संविधान के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं। संवैधानिक निर्देश क्या हैं ? संविधान के दायित्व क्या हैं ? यह स्पष्ट है। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जैसे निकायों का कार्यकाल पांच साल में पूरा हो रहा है तो ठीक पांच साल पूरा होने के बाद चुनाव सम्पन्न कराना संविधान की जिम्मेदारी है। इस हालात में आज सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो रही है तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस उत्तर प्रदेश की सरकार को जो अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में

अक्षम हो गई है। इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए।

(शोर)

संविधान की व्यवस्था में निश्चित दिया गया है कि.....

श्री अध्यक्ष-

आप विधेयक पर बोलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, माननीय नेता सदन हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन हमारे बीच में संसदीय कार्य मंत्री जी हैं और यह परम्परा डाल रहे हैं कि जो निकाय में पंचायत में प्रशासक बैठायेंगे तो कल यह विधान सभा में भी प्रशासक बैठालने की शुरुआत कर सकते हैं।

(शोर)

यह गम्भीर इसलिये हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी जल निगम के चेयरमैन हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मैं डर गया हूं। पूरा संविधान मैंने लगभग उतना ही पढ़ा है और वही पढ़ा है जो मौर्य जी पढ़ते हैं। लोक सभा और विधान सभा में प्रशासक बैठालने का प्राविधान नहीं है। यह बात मान्यवर, आज तक किसी के दिमाग में आज तक नहीं आई। यह कर सकते हैं इसकी जानकारी इनको कैसे है। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय मौर्या जी इसको परिभाषित कर दें। किन परिस्थितियों में प्रशासक बैठाला जा सकता है ताकि आपके दिमाग के बारे में पूरा का पूरा प्रदेश जान जाए, आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें मान्यवर, आपकी व्यवस्था आ जाए आप व्यवस्था दें क्या प्रशासक विधान सभा में बैठाला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं बैठाला जा सकता है। मौर्या जी आप इसकी धाराओं पर, सेक्शन पर बोलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

प्रमोद कुमार जी महारथी हैं मेरे कहने का मतलब समझ गये होंगे। 356 लागू करने की प्रक्रिया लागू हो गयी है इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय को यहां प्रशासक के रूप में बैठाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि प्रशासक बैठाने की गलत परम्परा की शुरूआत न करें, वरना यह हमेशा-हमेशा के लिए प्रजातांत्रिक सत्ता पर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अगर आपके सामने समस्या आ गई है तो पहले से निर्वाचित अध्यक्ष जो हैं नगर पालिका, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम हो, पूर्व निर्वाचित अध्यक्ष को प्रशासक के रूप में बैठावें.....

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट)

*डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया गया है, इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अन्दर जनता सबसे बड़ी ताकत होती है और यह नगर निगम, नगर पंचायतें सबसे बड़ी पंचायतें हैं। प्रदेश में विधान सभा और देश के अन्दर लोक सभा है। हम सब जानते हैं कि केन्द्रीय चुनाव आयोग ने विधान सभा और लोक सभा के परिसीमन के लिये एक आयोग बना रखा है। पहले 1991 के आधार पर परिसीमन होना था, फिर संविधान में संशोधन करके वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का निर्णय लिया गया। जब संविधान में संशोधन करके वर्ष 2001 की जनगणना आई है और उत्तर प्रदेश में भी 2001 की जनगणना उपलब्ध है तब उसके आधार पर चुनाव कराने का निर्णय इस सरकार ने क्यों नहीं लिया ? मैं यह भी चाहूंगा कि जो परिसीमन किया गया है, वह बहुत त्रुटिपूर्ण था, आरक्षण का जो आधार था, वह बहुत गलत था, किसी कानून के तहत आप आरक्षण कर लेते। तीसरी बार वही आरक्षण हो गया जो पहले था। पहली बार, दूसरी बार वही बदल गया। यह पूरी तरह से मनगढ़ंत किया गया है। जैसा हुकुम सिंह जी ने कहा है, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट की गयी थी, हमारे कई मित्रों ने रिट की थी, उसमें उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर चुनाव नहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यह सरकार जिला परिषद् के चुनाव में परास्त हो गयी है और अब नगर निगमों के चुनाव में भी परास्त हो जाती इसलिये चुनाव न कराने का एक बहाना है। हम लोग विधायक हैं, जिस दिन से पहली बैठक होती है, उस दिन से कार्यकाल होता है, संविधान में व्यवस्था है कि जब से पहली बैठक हुई है, तब से माना जायेगा। तिवारी जी ने एक ओर कहा है कि कार्यकाल समाप्त हो गया है और दूसरी ओर संविधान की व्याख्या में कहा कि जिस दिन से कार्यकाल प्रारम्भ हुआ, तब से जोड़ा जाना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने साफ-साफ कहा था कि जिस दिन से पहली बैठक हो, जिस नगर पालिका की, अन्यथा उस मुकदमें में सरकार को पराजय झेलनी पड़ सकती है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

एक तरफ आप यह बात कहते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि जनप्रतिनिधि को प्रशासक नियुक्त किया जाये। मान्यवर, जनता की अदालत बहुत बड़ी होती है। बिहार में 8 महीने के अन्दर चुनाव हुआ, जब किसी ने सरकार नहीं बनने दिया तब वहां की जनता ने दिखा दिया कि जनता में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ताकत है। मैं इस विधेयक के तहत कहना चाहता हूं कि जिस दिन से पहली बैठक हुई, उस दिन तक इनका कार्यकाल बनाये रखा जाए।

*श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, सरकार को हर बात पर हठधर्मी नहीं करनी चाहिए। यह ऐसा विषय है, मैं तो यह समझता हूं कि यह भारत सरकार को अपने आप एक तलवार दे रहे हैं कि सरकार की गर्दन काट दे। जब आप 700 इकाइयों को इस अधिनियम से हटाकर वहां लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं तो एक इकाई को खत्म करने के लिये भारत सरकार के लिए एक नमूना काफी नहीं होगा ? मान्यवर, इसको जान-बूझकर टाला गया। 2005 में ओ0बी0सी0 का रेपिड सर्वे हुआ और 2001 में आप उसके आधार पर बना रहे हैं। आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी के पास बहुत काम है। नगर विकास विभाग को उनका बहुत कम समय मिल पाता है केवल कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने के अलावा। इस विधेयक में यह कार्यकाल खत्म होने की बात की है लेकिन कब कार्यकाल खत्म होगा, यह आपने नहीं लिखा है। उत्तर प्रदेश में विधान सभा के इस सत्र और पिछले सत्र दोनों सत्रों में यह उदाहरण मौजूद है कि पहली बैठक से 5 साल। इसमें आपने उस सिद्धान्त को भी लागू नहीं किया। जबकि यह 74वें संविधान संशोधन के बाद संवैधानिक इकाई हो गयी है। इसके वही अधिकार हैं जो विधान सभा या लोक सभा के हैं। अपने-अपने क्षेत्र में काम करने की छूट सबको होनी चाहिए। यह कहना कि चुनाव नहीं करा सकते या यह कहना कि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय दिया है। जबकि हाई कोर्ट ने यह कहा है कि हम चुनाव प्रक्रिया में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते लेकिन वार्डों का परिसीमन चूंकि गलत हुआ है, 2001 की पापुलेशन के ऊपर उसे होना चाहिए इससे करायें अन्यथा इसके ऊपर अनेक रिट होंगी या हो सकता है कि इलेक्शन ही अवैध हो जाए। हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि यह चुनाव नहीं करायेंगे। अगर आपकी नीयत साफ है तो जहां फरवरी में बैठक हुई तो वहां पर तो उनका कार्यकाल बना ही हुआ है। अभी नवम्बर है फरवरी में तीन महीने बाकी हैं। इस बीच में आप परिसीमन करा लें। लेकिन लगता है कि आपकी नीयत ही परिसीमन कराने की नहीं है। चुनाव हो नहीं सकते हैं और उसमें सरकार के सामने कठिनाई है। मान्यवर, इसके परिप्रेक्ष्य में भी मैं एक पत्र दिखाना चाहता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मान्यवर, उसी 74वें संशोधन में दो आयोगों की नियुक्ति का प्राविधान है। एक-वित्त आयोग, तो दुसरा वित्त आयोग तो लागू नहीं किया गया और तीसरे का समय आ गया। आपने संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है। दूसरा-चुनाव आयोग। जिसमें उसका चुनाव कराने का काम है। पहले यह होता था कि कोई सरकार आई तो जो पहले के चुने हुए हैं उन सबको एक कलम से बंद कर दिया। इसी को रोकने के लिये 74वां संविधान संशोधन किया गया। मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्थानीय सरकार के लिये बहुत बड़ा योगदान किया था। मान्यवर, अपने प्रदेश के चुनाव आयुक्त श्री अपरमिता प्रसाद सिंह ने सरकार को एक पत्र लिखा है। इस पत्र को केवल रिफरेंस के लिये पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

उसकी प्रति यहां भिजवा दें और पढ़ने की अनुमति तो ले लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, प्रति मैं आपको भिजवा दूंगा और मैं आपकी अनुमति से यह पत्र पढ़ देता हूं।

नगर निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन 2005 की तिथियों के निर्धारण के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या-829/नौ-1-05-15 नि0से0/05, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 का अवलोकन करने का कष्ट करें, इसमें आपने अवगत कराया है कि अपरिहार्य कारणों से शासन के पत्र संख्या-631/नौ-1-05-15नि0से0/05, दिनांक 14-10-2005 द्वारा सूचित की गयी समय सारिणी के अनुसार सरकार द्वारा नगर निकायों के निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

आपके उक्त पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वे अपरिहार्य परिस्थितियां क्या हैं जिनके कारण राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों की अधिसूचना निर्गत किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन 2005 सम्पन्न कराने के लिये पूर्णतः तैयार है। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं और जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के कुछ प्रत्यादिष्ट किये गये निर्वाचन होना शेष है जो दिनांक 17-11-2005 तक सम्पन्न हो जायेंगे। यह निर्वाचन ग्रामीण क्षेत्र में होने हैं इनसे नगर निकायों के सम्पन्न कराने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय के विचारार्धीन रिट याचिका संख्या-58093/2005 श्री कमलेश सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-10-2005 में भी नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन 2005 कराने के लिये सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत कराने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

प्रदेश में नगर निकायों का कार्यकाल 29 नवम्बर, 2005 को पूरा हो रहा है इससे पूर्व नगर निकाय के निर्वाचन कराना संविधान के अनुच्छेद-243-यू0 (3) के अन्तर्गत संवैधानिक अनिवार्यता है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1918 व उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद नये बोर्ड के गठन होने तक किसी वैकल्पिक व्यवस्था करने का कोई प्राविधान नहीं है यदि अधिनियमों में संशोधन करके ऐसी कोई व्यवस्था की भी जाती है तो वह भारत के संवधिान के अनुच्छेद 243 यू0 की मंशा के विपरीत होगी।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में शासन से अनुरोध है कि नगर निकायों के सामान्य निर्वाचन 2005 सम्पन्न कराने के लिये तत्काल अधिसूचना निर्गत की जाए। इससे ज्यादा अथरिटिव राय और क्या हो सकती है ? जिसे चुनाव कराना है वह यह कह रहा है कि यह संविधान के विरुद्ध है, हम तैयार हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था करायी जाय। अगर संसदीय कार्य मंत्री जी नाराज न हों तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह भी महामहिम राज्यपाल जी से टकराव है। मैं अगर यहां का राज्यपाल होता तो संविधान के विरुद्ध इसकी हत्या पर दस्तखत नहीं करता और मुझे उम्मीद है कि वह भी नहीं करेंगे। होगा यह कि यह फिर राष्ट्रपति के पास जायेगा, फिर शोर मचेगा कि यह राज्यपाल को राज्यपाल नहीं मानते हैं , [X X X]

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि जो इस सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम नेता, विरोधी दल यहां पर न लें। अन्यथा मुझे भी कहना पड़ेगा। [x x x] और उन्हें दिक्कत हो जायेगी। आपसे अनुरोध है कि कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, सभी साथियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। नेता विरोधी दल ने एक बात बड़ी गम्भीरता से कही और वह यह कि मुझ पर संसदीय कार्य इतना ज्यादा है कि मैं अपने विभाग को नहीं देख पाता हूं सिवाय इसके मैं अधिकारियों को सस्पेण्ड करूं, आपकी सूचना के लिए मैंने जल निगम जैसे विभाग में अधिकारियों को नौकरी करना सिखा दिया है और कई वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेण्ड ही नहीं किया है, बल्कि चीफ इन्जीनियर लेबिल के अधिकारियों को टर्मिनेट किया है, और बहुत बड़ी मात्रा में मैंने टर्मिनेशन किया है, यह भी आपकी जानकारी में देना चाहूंगा क्यों कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो काम के बगैर तनख्वाह लेना चाहेगा उसे तनख्वाह देने के पक्ष में नहीं हूं। इसी के साथ मैं यह भी सूचना देना चाहता हूं, कि इन दो सालों में मात्र एक पत्रावली मेरे सामने से गुजरी जिस पर पूर्व नगर विकास मंत्री के दस्तखत थे, उस पत्रावली के अलावा मुझे अभी तक कोई दूसरी पत्रावली नहीं मिली और नगर विकास के इतिहास में कोई पत्रावली ऐसी नहीं होगी जिस पर मेरे हाथ से दस्तखत न हों, वक्त न मिलने के बावजूद भी मेरी कार्यप्रणाली यह है कि चाहे रात के तीन बज जायें, लेकिन जब तक हर एक पत्रावली का डिस्पोजल न हो जाय, हर विभाग, संसदीय कार्य की और वह आखिरी चिट्ठी जो कहीं से भी किसी भी प्रदेश से आई हो जब तक उसका जवाब न दे दिया जाये, उस वक्त तक मैं अपने बिस्तर पर नहीं जाता हूं, यह मेरे काम करने का तरीका है।

आठ रिट हुये हाईकोर्ट में, क्योंकि परिसीमन आयोग के मानकों के अनुसार हमने इस चुनाव को करना चाहा था और परिसीमन अब तक उनके मानकों के अनुसार हुआ था। मान्यवर, जब रिट्स हो गयी हाईकोर्ट में तो मैंने परिसीमन आयोग से भी यह कहा कि मैंने तो आपके आदेश माने हैं और आपका आदेश मानने के अनुसार हाईकोर्ट में हमारे खिलाफ कुछ हो सकता है, तब परिसीमन आयोग का भी इन्वाल्वमेण्ट उसमें हुआ और मान्यवर अधिनियम की धारा-58(1) (क) में यह व्यवस्था है कि गठन के सात दिन के अन्दर नगर आयुक्त बैठक को बुलायेंगे, शब्द बैठक इस्तेमाल किया गया है तथा मण्डल आयुक्त या उसकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट शपथ दिलायेंगे। इसी के साथ शपथ ग्रहण की बैठक को बैठक ही माना गया है। उसी क्रम में शपथ ग्रहण की व्यवस्था नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-43(घ) में ऐसा ही प्राविधान है, क्योंकि खुद बाजपेयी जी ने कहा कि पांच वर्ष तक यह व्यवस्था चुने हुए सदस्यों की या अध्यक्षों की व्यवस्था पांच वर्ष तक बनी रहेगी। अगर ऐसा लिखा जाता तब भी पांच वर्ष तक ही होता, लेकिन उसी बात को और मजबूत करने के लिए कहा

नोट :-[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गया कि पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, रिपीटीशन पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा, यह दोबारा कहा गया और यह भी नगर निगम अधिनियम में मौजूद है कि जिस दिन शपथ ग्रहण होगा वही पहली बैठक मानी जायेगी। इसी तरह मान्यवर, यह हमारी मजबूरी है मैं जातीयतौर पर आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात के लिए बड़ी तकलीफ है कि बहुत मेहनत के बाद हमने सारा चार्ट तैयार किया था। चाहे नेता विरोधी दल हों या उस तरफ बैठे हुए एक भी माननीय सदस्य हों, जिन्हें इस बात की शिकायत हो कि रिजर्वेशन के नियमों का पालन नहीं हुआ या 700 में किसी एक जगह मैंने अपना कोई व्यक्तिगत असर इस्तेमाल किया हो। मैंने तो यहां तक कहा था कि अगर कोई जिलाधिकारी आपसे यह कह दे कि मेरा कोई एक पत्र या कोई टेलीफोन ऐसा गया हो कि इसको ऐसा कर दो तो जो सजा वह चाहे मेरे लिये तजवीज कर लें। मैंने बड़े मन से चाहा था कि ये चुनाव हो जायें, मैंने बड़ी मेहनत की थी। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरा अपना दल है, मेरे दल की सरकार है मैं चाहता हूं कि मेरे दल के लोग ज्यादा से ज्यादा चुन कर आयें और मैंने उस तरह की कोशिश की थी और जो होनी चाहिए भी। काम हो अच्छा, काम की गुणवत्ता हो और गलत काम करने वालों को उनके काम की सजा मिले और उससे एक अच्छी शक्ल बनकर मेरे विभाग की आई थी मैं चाहता था कि चुनाव हों और अच्छे नतीजे आयें। लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत कष्ट है कि वह चुनाव नहीं हो सके। अब मान्यवर, यह बाध्यता है कि चुनाव नहीं हो सके तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मैं यह भी बतला दूं कि यह वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक व्यवस्था समाप्त हो रही है और एक व्यवस्था आ रही है। वैकल्पिक व्यवस्था उसे कहेंगे कि जिस एक व्यवस्था को तोड़कर दूसरी व्यवस्था लागू करें क्योंकि पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। एक व्यवस्था समाप्त हो रही है और उसी के क्रम में एक व्यवस्था लागू हो रही है इसलिए इसे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है।

अगर प्रमोद कुमार जी की बात मान ली जाय, आपने कुछ इशारतन यह भी कहा कि हमारी सरकार में ऐसा हुआ था कि जन प्रतिनिधियों को मौका दिया गया था। अगर यह सरकार जन प्रतिनिधियों को मौका देगी तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह किन्हें मौका देगी, और, किन्हें मौका देना चाहिए ? मान्यवर, मेरी नजर में या इस सरकार की नजर में वह बात भी बहुत अच्छी नहीं होगी। शायद मुझे माफ करेंगे भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य, शायद इस अधिनियम की मुखालिफत इस बुनियाद पर भी हो रही है और समय बढ़ाने की बात इसलिए भी हो रही है कि अपने कल के गुनाहों को वाजिब करार दिया जा सके ? पांच साल को साढ़े पांच साल बनाने वाले आज इसको भी बढ़ा कर अपने उन गुनाहों को सच साबित करना चाहते हैं यह एक गलत परिपाटी होगी। मान्यवर, यह भी सही है कि वह भी इसी तरह का एक सदन है और वहां भी बजट पास होता है। वह मान्यवर, अगर हम इस व्यवस्था को लागू कर देंगे और इस व्यवस्था की हिम्मत अफजाई कर देंगे तो लोकतंत्र रह ही कहां जायेगा ? आपने अपनी ताकत के बल पर, इन दीवारों में बैठी हुई अपनी संख्या बल के बल पर पांच साल के कार्यकाल को साढ़े पांच साल कर लिया दिल्ली में बैठे हुए लोग संविधान में परिवर्तन करके 5 साल को 25 साल कर ले आपने इसका दरवाजा खोला है। क्या विधान सभा इस पर विचार करेगी कि विधान सभा के सदस्य अपना कार्यकाल बढ़ा ले और फिर उसकी सीमा क्यों हो ? पांच को साढ़े पांच क्यों करें इतना क्यों न करे कि जितना उनका जीवन

हो। इसलिए मान्यवर, यह जरूरी है कि हम परम्पराओं का भी ख्याल करें और गुजरे हुए दिनों की गलतियों को आज के दिन हम दोहराने की जुर्रत न करे। मैं अपने सभी साथियों को यह यकीन दिहानी कराके कहना चाहता हूं कि कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति से यह उम्मीद करना कि मैं इसका नाजायज फायदा उठाऊंगा यह सही बात नहीं होगी। इसलिए सभी साथियों से सहयोग चाहूंगा, मुझसे आप लोगों को कोई शिकायत नहीं रही है, और उधर के साथियों का भी मुझे सहयोग मिला है क्योंकि एक छोटी सी शिकायत भी किसी ने मुझसे नहीं की है कि किसी को भी रिवालविंग फण्ड से या सूडा से पैसा नहीं दिया गया है। मेरे सामने बर्खास्तगी के मामले आये थे, बी0जे0पी0 के अध्यक्ष को इसलिए भी बर्खास्त नहीं किया कि फलां तारीख से अगर फलां पार्टी के शख्स को बर्खास्त नहीं किया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं किया जायेगा।

मान्यवर, जहां इतने खुले मन से जिस व्यक्ति ने काम किया हो और जिसके बारे में एक भी शिकायत नहीं हो कि कहीं कोई पक्षपात किया है। मान्यवर, आप रिवालविंग फण्ड की लिस्ट उठाकर देख लें एक ऐतिहासिक निर्णय उसमें हुआ है तकरीबन सवा छह सौ नगर निकायों को रिवालविंग फण्ड से पैसा दिया गया है। मैं अपने को इस सदन का वरिष्ठ सदस्य समझता हूं, गलत हो सकता हूं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को भी पहले नहीं मालूम था कि रिवालविंग फण्ड का भी कोई पैसा होता है। यह ऐसा धन होता था जो या तो मंत्री को मालूम होता था या उनके नवरत्नों को। लेकिन मेरे मंत्री रहते हुए नवरत्नों को नहीं बल्कि सवा छह सौ रत्नों को मालूम है कि यह धन दिया जाता है। आप लोगों से अनुरोध है कि इसमें हमें सहयोग दें और बगैर किसी विरोध के इसे पास हो जाने दें।

(व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं पहले से खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल खड़े हैं।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इनको शिष्टाचार सिखाइये, मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप भी नेता विरोधी दल रहे हैं कुछ तो मर्यादा रखिये। मौर्य जी, ये खड़े हैं .तो आपको नहीं बोलना चाहिए।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं फिर यह आग्रह करता हूं माननीय नगर विकास मंत्री से कि इसको एक प्रवर समिति के पास भेज दीजिए विस्तार के साथ इसका अध्ययन हो जाय उसका समय चाहे एक सप्ताह ही रखें। उस बीच में इसके ऊपर विचार हो जायेगा कि इसमें बहुत से पेच हैं और वह आपके खिलाफ ही जायेंगे यह प्रोसीडिंग में बात आयेगी तो आप पढ़ेंगे कि मैंने जो बताया है वह आपके खिलाफ जाने वाला है। आप एक तलवार ऐसी दे रहे हैं जिससे आपकी गर्दन भी काटी जा सकती है अगर आप मेरे

इस अनुरोध को नहीं स्वीकार करते हैं तो इस सदन में मेरा इतना अच्छा वक्त खराब करने से कोई लाभ नहीं है, मैं सदन का त्याग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी नहीं जाना चाहते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी, आप पीठ पर आक्षेप न करिये। आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आप सब जानते हैं आप पीठ पर आक्षेप न करिये।

यह अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ही सारी बात जानते हैं आप ही सारा संविधान पढ़े हुए हैं। पीठ पर क्यों आक्षेप करते है पीठ से क्या मतलब है । यह कुछ लिखा नहीं जायेगा, बाजपेयी जी का कुछ लिखा भी नहीं जायेगा ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(मद संख्या-16 पुकारे जाने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरी पीड़ा को सुन लें आप, जिस बात को लेकर नेता विरोधी दल ने वाकआउट किया है और जिस बात को लेकर आप दुखी हुए हैं उनका तो यह काम ही है मान्यवर, अगर आप इतने दुखी होंगे तो यहां पर जो पहले साहब बैठते थे वह यही हाई ब्लडप्रेशर डाउन करने की दवा लेते थे तो इसमें आप ज्यादा वह न हो, आप हल्के से इसको ले। नेता विरोधी दल ने कहा कि कोई एक ऐसी तलवार हम न दे दें मान्यवर, कोई ऐसी तलवार नहीं दी जा रही है और जिनकी तरफ उनका इशारा है उनका हाथ वैसे भी हमारी गर्दन तक आने के काबिल नहीं है। तो जब होगा तब तलवार के बारे में सोंचेंगे। इस वक्त तो सहयोग की दरख्वास्त है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

खण्ड-2 से खण्ड-3, तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 कहा जायेगा।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 10-क का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 10-क में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अथवा जनहित में किसी नगर पालिका का उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व गठन हेतु निर्वाचन कराया जाना व्यावहारिक न हो, वहां ऐसी नगरपालिका के विधिवत गठित होने तक नगरपालिका की समस्त शक्तियों, कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का प्रयोग एवं कार्यान्वयन, जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो उप जिलाधिकारी के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा किया जायेगा तथा ऐसा जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारी, प्रशासक कहलायेगा और ऐसे प्रशासक को विधिक रूप में नगरपालिका, अध्यक्ष या समिति जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो समझा जायेगा।

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 8 का संशोधन

4-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 8 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अथवा जनहित में किसी

नगर निगम के उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, गठन हेतु निर्वाचन कराया जाना व्यावहारिक न हो, वहां ऐसे नगर निगम के विधिवत गठित होने तक निगम उसके महापौर, उप महापौर, वार्ड समिति कार्यकारिणी समिति विकास समिति और धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की समस्त शक्तियां कृत्य एवं कर्त्तव्य, विनिर्दिष्ट दिनांक से जिला मजिस्ट्रेट जिसे प्रशासक कहा जाएगा में निहित हो जायेंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन किया जायेगा और ऐसे प्रशासक को विधि सम्मत रूप से निगम, महापौर उप महापौर वार्ड समिति कार्यपालक समिति विकास समिति या अन्य समिति जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो समझा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मान्यवर, यह विधेयक पेश हो गया यह लोकतंत्र का काला दिवस है इसलिए बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 नवम्बर, 2005 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री वीरेद्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री प्रदीप माथुर तथा श्री राम इकबाल सिंह की प्रदेश के किसानों को डी0ए0पी0 उर्वरक खाद की आपूर्ति न किये

जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की बुन्देलखण्ड में सूखे की भीषण स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में श्री जसवन्त सिंह को गोली मारकर की गयी हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की जनपद जालौन के क्षेत्रीय सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा को पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमें में फंसाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री ओ0पी0सिंह, श्री रामहेत भारती, श्री राजेश कुमार की जनपद मिर्जापुर के ग्राम मुजेहरा के श्री गुलाब को जलाने एवं एक महिला को जलाकर मारने की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के ग्राम पित्थौरपुर के श्री नारदराम की दबंगों द्वारा की गयी हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। सातवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की टिहरी बांध से भागीरथी जल रोकने के कारण गंगा जल प्रभावित होने एवं प्रदेश के लाखों लोगों की भावना पर कुठाराघात होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पलिहुरा की विधवा मिथिलेश कुमारी की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है और नवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की जनपद सुल्तानपुर निवासी श्री रामकेवल की चुनाव ड्यूटी से गायब होने की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने के सम्बन्ध में हैं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुयीं, अतः अस्वीकृत हुयी। डा0 विनोद तिवारी, श्री कौशल किशोर, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री राम प्रताप सिंह, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मस्तिष्क ज्वर के सम्बन्ध में इसका वक्तव्य आयेगा और छठी सूचना श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह की है। इन पर वक्तव्य लगा है, उसमें पूछ लीजियेगा।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

वह मैंने पढ़ा है, जब आयेगा, तब देखेंगे।

(श्री राम इकबाल सिंह के खड़े होने पर)

वह भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है।

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, यहां की 80-90 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर करती है और इसमें रबी की फसल इसलिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही एक ऐसी फसल है, जिससे कैश क्राप के रूप में किसान को कुछ न कुछ अर्जित होता है। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में इतना गल्ला नहीं होता था, तब दूसरे प्रदेशों पर इसके लिये हमारी निर्भरता होती थी, जैसे पंजाब, हरियाना आदि से हम अनाज मंगवाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के किसानों, वैज्ञानिकों को और तत्कालीन सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व स्वर्गीय इन्दिरा जी कर रही थी, जिनकी वजह से कृषि आधारित क्रान्ति के रूप में देश में और इस प्रदेश में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

परिवर्तन आया। उत्तर प्रदेश जो कल तक भूखा था, जो दूसरों पर निर्भर करता था, वही आज सरप्लस स्टेट हो गया है। लेकिन आज एक ऐसी विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है, इस ओर मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि यह एक ऐसी समस्या है जो उत्तर प्रदेश के पूरे किसानों की समस्या है। इस पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें और कदम उठायें। आज हालत यह है कि डी0ए0पी0 खाद, जो पैदावार बढ़ने का मुख्य कारण थी, रबी की बुवाई के समय डी0ए0पी0 प्रयोग होती है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। आज उत्तर प्रदेश में जो 3 गुना 4 गुना फसल का उत्पादन बढ़ा है, उसमें डी0 ए0 पी0 रासायनिक खादों का बहुत महत्व है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक तरफ सरकार का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में डी0 ए0 पी0 की कमी नहीं है, यह मैं सहमत हूं। लेकिन सरकार को इस बात से भी सहमत होना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में खाद तो है, पर किसानों को मिल नहीं रही है।

मान्यवर, इसका मुख्य कारण यह है कि प्रदेश की सहकारी समितियां लगभग पंगु हो गयी है। जिनके माध्यम से इन चीजों का वितरण होता था, वह संस्थाएं पूरी तरह से अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रही हैं। इसका कारण यह है कि एक प्रकार से कृत्रिम संकट पैदा हो गया है, एक आर्टिफिशियल संकट पूरे प्रदेश में पैदा हो गया है। इस समय आलू की बुवाई चल रही है, लगभग 63 प्रतिशत बुवाई हो चुकी है और अभी भी खाद नहीं मिल पा रही है, जनपद की समितियां निष्क्रिय हो गयी हैं और जिन लोगों की इसे खरीदने की जिम्मेदारी थी, वह भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं।

(इस समय 1 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पीठासीन हुए।)

मैं कह सकता हूं कि चाहे सरकार की तरफ से कोई भी दावा किया जाए लेकिन प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर आदि जिलों में किसानों को डी0ए0पी0 खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की कमी प्रदेश में नहीं है लेकिन किसानों को नहीं मिल पा रही है, तो कहीं न कहीं वितरण व्यवस्था में दोष है। वही किसान जब सहकारी समिति में जाता है तो उससे कहा जाता है कि डी0ए0पी0 खाद नहीं है और जब वह बाजार में जाता है तो उसे दुगने दामों में खाद मिल रही है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ब्लैक से खाद है लेकिन सरकार का जो आश्वासन था कि वह सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध करायेगी, वह काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस विधान सभा के पांच सदस्यों की एक समिति बना दें तो वहां जाकर किसानों से पूछे कि क्या उनको डी0ए0पी0 खाद मिल रही है ? मैं चाहता हूं कि इसे एक चुनौती के रूप में लिया जाए, इसे किसानों की समस्या के रूप में लिया जाए। मैं एक उदाहरण प्रतापगढ़ जनपद का प्रस्तुत कर रहा हूं, परसों मैंने इस सन्दर्भ में प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के कुछ हिस्सों में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि किसानों को डी0ए0पी0 खाद नहीं मिल पा रही है और जब मैंने समितियों से जानकारी प्राप्त की तो बताया गया कि हमें ऊपर से डी0ए0पी0 खाद नहीं मिल पा रही है, यही हालत अन्य जगहों पर भी है। इसी प्रकार से मिट्टी का तेल बाजारों में तो मिल रहा है लेकिन जो सरकार के क्रय-विक्रय केन्द्र हैं उनमें मिट्टी का तेल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी केन्द्र के बगल में ही 18 रुपए और 20 रुपए में मिट्टी का तेल मिल रहा है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मिट्टी का तेल 40 रुपए प्रति लीटर तक ब्लैक में बिकता है।

श्री प्रमोद कुमार-

हम तो 18-20 रुपए प्रति लीटर बता रहे थे, लेकिन माननीय सदस्य बलिया में 40 रुपए प्रति लीटर का रेट बता रहे हैं। मान्यवर, यह कैसी व्यवस्था है कि जो सरकारी केन्द्र हैं उन पर सामान नहीं मिलता है और वही सामान बाजार में ऊंचे दामों में मिल जाता है, तो इस बात का सीधा आशय यह है कि डी0ए0पी0 खाद की कहीं कमी नहीं है, कमी है तो हमारी वितरण-प्रणाली में कमी है। इनमें भ्रष्टाचार घर कर गया है, इन कार्यों में कहीं न कहीं सरकार से जुड़े लोग भी लगे हुए हैं जो कि ब्लैक-मार्केटिंग के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस प्रदेश की पूरी अर्थ-व्यवस्था कृषि पर निर्भर हो और अगर वहां पर डी0ए0पी0 खाद नहीं मिलेगी तो रबी का उत्पादन कम हो जाएगा और प्रदेश के सामने खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विषय पर गम्भीरता से ध्यान देते हुए एक विशेष कदम उठाकर सप्ताह या 15 दिन का एक कार्यक्रम बना लें, और इसके कारणों की जांच कराये और यह कहें कि जिस स्तर पर भी डी0ए0पी0 खाद नहीं मिलेगी, उस स्तर के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाही की जाएगी। मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं।

* श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, विशेष रूप से ऐसे समय में जब पिछले दिनों वर्षा से फसल मारी गयी, उससे पहले सूखा पड़ गया, इन कारणों से किसान पहले ही तबाह हो चुका है। इस समय बुआई का सीजन चल रहा है और पूरे प्रदेश के किसानों के सामने डी0ए0पी0 खाद का संकट उत्पन्न हो गया है तो वह अपने खाद्यान्न को कैसे बढ़ा पायेंगे ? अगर फसल उत्पादन पर असर पड़ेगा, तो प्रदेश के सामने भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। आलू की बुआई चल रही है और लगभग 50 प्रतिशत बुआई का काम पूरा हो चुका है लेकिन उसे डी0ए0पी0 खाद नहीं मिल पा रही है। इसी तरह से गेहूं के फसल का सवाल है, दूसरे रबी के फसल हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डी0ए0पी0 के रहते हुए भी उसका वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है और कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिल रहा है और किसान मजबूर होकर मंहगे दाम पर खरीदकर उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर बुआई पिछड़ जायेगी तो उत्पादन पर फर्क पड़ेगा, किसान की सारी चीज फसल पर निर्भर करती है। पढ़ाई, शिक्षा स्वास्थ्य ये सारी चीजें उसकी फसल पर निर्भर करती है। इसलिए यह गम्भीर प्रश्न है इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी कीमत पर डी0ए0पी0 मिले और इसकी व्यवस्था एक हफ्ते के अन्दर हो जाए तो निश्चित रूप से बुआई की जा सकेगी और उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा और यह प्रदेश के किसानों के हित में होगा तथा विकास के दर को बढ़ाने में सहायक होगा। इसलिए इस गम्भीर प्रश्न पर सरकार चर्चा कराने का कार्य करे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को विश्वास दिलायें कि डी0ए0पी0 की कमी और वितरण में धांधली नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस लोक महत्व के गम्भीर प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। 80 प्रतिशत लोग खेती पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्भर हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं, बच्चे की फीस, बेटे-बेटियों की शादी करते हैं, हमारे प्रदेश की पैदावार दूसरे प्रदेशों और देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचती है, हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो कुछ लोग जरूर पहुंचाते है। इराक से गेहूं बेचकर तेल ले आ रहे हैं। कालाबाजारी में लाभ मिल रहा है। पैदावार कम होगी तो चौतरफा घाटा होगा। किसान मर रहे हैं, बार-बार यह बात आती है कि किसानों की हितैषी सरकार है। यह आश्चर्य की बात है कि माननीय कृषि मंत्री जी डा0 अशोक बाजपेयी साहब उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि बलिया में डाई खाद गयी है लेकिन वह बलिया के किसानों को नहीं मिली। बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल और बांगलादेश पहुंच गयी, मंत्री जी ने कहा कि बलिया में पिछले साल से ज्यादा डाई खाद भेजी गयी है लेकिन किसानों के घर नहीं गयी। आज श्रीमन्, पूरे प्रदेश में डाई खाद के लिए हाहाकार मचा है। 5 तारीख को 24,720 बोरे डाई और 12,290 बोरे एन0के0पी0 का रैक बलिया स्टेशन पर उतरता है और नम्बर-दो के दुकानदारों, फर्जी फर्मों को दे दिया जाता है और वह सारी की सारी खाद बिहार के रास्ते से पश्चिम बंगाल और बांगलादेश तक पहुंच जाती है। इसकी एफ0आई0आर0 भी हुई, बलिया पुलिस भी इसमें संलिप्त है। इसमें एक चौकीदार और जिला प्रबन्धक को निलम्बित कर दिया गया है। इसमें बड़े लोगों का हाथ है। मान्यवर, यह एक गम्भीर समस्या है।

अगर सरकार चाह ले तो एक बोरा खाद भी ब्लैक नहीं हो सकता है। आज किसान 800 रुपये बोरी खाद खरीद रहा है। जो किसान 800 रुपये में खरीदेगा तो उसको क्या मिलेगा ? उसे मजदूरी भी नहीं मिल पायेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर इस समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से किसानों की जो कमर टूट गयी है, वह और टूट जायेगी। आज किसानों को बिजली मिलती नहीं, तेल का जिक्र किया गया वह 40 रुपये लीटर बिक रहा है। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है, कोटे की दुकानों से अनाज गायब है। वह अनाज आपको बाजार भाव से मिल जायेगा। अन्त्योदय और अन्नपूर्णा तथा एस0जे0आर0वाई0 का अनाज जो सबसे अन्तिम आदमी के लिए है वह अनाज आज बिहार के रास्ते से पश्चिम बंगाल और यहां तक कि बांगलादेश जा रहा है। गरीब लोगों को जो 10 किलो राशन मुफ्त मिलता था वह भी नहीं मिल रहा है। चार-चार महीने में थोड़ा सा अनाज मिलता है और कह दिया जाता है कि उठान नहीं है। सारा खाद्यान्न बिहार होकर बंगलादेश जा रहा है। सरकार सी0बी0सी0आई0डी0 जांच करा रही है लेकिन आज तक यह पता नहीं चला कि खाद्यान्न कहां गया और कौन उसकी तस्करी करा रहा है। जो तस्करी कराने वाले लोग हैं वह मजबूत लोग हैं, उन पर हाथ डालने का प्रयास नहीं हो रहा है। सरकार सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच आहिस्ता-आहिस्ता करा रही है। यह खाद्यान्न पश्चिम बंगाल और बांगलादेश को बिहार के रास्ते जा रहा है। बिहार में जो अराजकता थी वह खत्म हो गयी है, बिहार स्मगलिंग का रास्ता बन गया था। बलिया में जो 37010 बोरी खाद की तस्करी हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाय कि ऊपर के लोग इसमें कहां तक शामिल हैं। इसके अलावा मेरी मांग है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

कृषि (कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात को छोड़कर) एवं धर्मार्थ कार्य (डा0 अशोक बाजपेयी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बड़ी गम्भीर समस्या की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट कराया। गेहूं की बुआई प्रदेश में चल रही है। डी0ए0पी0 की आवश्यकता पूरे प्रदेश में है। मैं सदन को

अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में डी0ए0पी0 की आपूर्ति 20 प्रतिशत अधिक सभी जनपदों को करायी गयी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एकाएक गेहूं की बुआई नवम्बर और दिसम्बर में तेजी से प्रारम्भ हो गयी। डी0ए0पी0 की मांग तेजी से हुयी इसको दृष्टिगत रखते हुये पूरे प्रदेश में डी0ए0पी0 उपलब्ध कराने की रणनीति तैयार की गयी और सभी जिलों में रैक पहुंच रहे हैं उनका मूवमेंट जारी कर दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की खाद बिहार जाती थी उसके लिये कृषि विभाग को कड़े निर्देश कर दिये गये हैं कि जगह-जगह छापे मारे जायं। जहां प्रदेश से बाहर स्मगलिंग होती थी उसको रोकने के लिये तत्काल कार्यवाही की गयी है। आप स्वयं अवगत होंगे कि पिछले वर्षों में शिकायतें मिली थीं कि खाद वगैरह नेपाल चली जाती है तो बार्डर के तमाम लाइसेंस निरस्त कर दिये गये थे। जैसा आपने कहा उस पर प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही की गयी है। एक कठिनाई यह है कि रासायनिक उर्वरक सहकारी समितियों के माध्यम से उनके वितरण की व्यवस्था है। सहकारी आन्दोलन बीच में प्रभावित होने की वजह से बहुत सी साधन सहकारी समितियां डिफेक्ट हो गयीं। इसलिये कठिनाई हो रही है। इसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। एग्रो और दूसरी समितियों के माध्यम से वितरण की व्यवस्था की गयी है कि कहीं पर डी0ए0पी0 की कमी न होने पाये। जिन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है विशेष रूप से उनको संज्ञान में लेकर कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा उसको सम्भवतः मंत्री जी ने नहीं सुना, [* * *] मैंने यह नहीं कहा है कि डी0ए0पी0 की कमी है। मैंने कहा है कि वह क्रय केन्द्रों पर नहीं मिल रही है और खाद ब्लैक में मिल रही है। जो आपने 20 प्रतिशत बढ़ाने की बात कही उसको मैं स्वीकार करता हूं लेकिन 20 प्रतिशत भ्रष्टाचार भी जो बढ़ा होगा। डी0ए0पी0 मिल रही है लेकिन जिस दर पर सरकार ने देने का वायदा किया था और जिन केन्द्रों पर मिलनी चाहिये वहां पर नहीं मिल रही है। मैं चुनौती देना चाहता हूं आज मंत्री जी मेरे साथ प्रतागढ़ चलें, अभी चलें, दोनों अपना इस्तीफा देकर चलते हैं अगर क्रय केन्द्रों पर खाद मिल जायगी तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें अन्यथा मंत्री जी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे दें लेकिन गलत बयानी न करें। यह आज परम्परा बन गयी है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल लगाने की जगह सदन में उनको डिफेंड करते हैं मेरा कहना यह है डी0ए0पी0 खाद है लेकिन यह खाद उचित दर पर केन्द्रों से नहीं मिल रही है। इसमें सरकार की ओर से यह आश्वासन आ जाय कि अगले एक सप्ताह या 10 दिन तक हम एक सघन अभियान चलाएंगे और अगर ब्लैक में खाद कोई बेचता पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। लेकिन मंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही हम जनप्रतिनिधि क्षेत्रों में बड़ा कष्ट सह रहे हैं। क्या इसी प्रकार से अपराधियों एवं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जायेगा तो फिर मुझे दुख के साथ कहना पड़ सकता है कि जिस तरह से दो रुपये प्रति बोरा धान और गेहूं कि खरीद के समय लिया गया था उसी तरह की साजिश खाद में भी रची गयी है। मैं इस पर सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि सरकार किसानों को डी0ए0पी0 समुचित रूप से उपलब्ध कराये इसका वचन दे अन्यथा यह गम्भीर प्रश्न है किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है मुझे सदन को बाधित करने पर मजबूर न करें।

नोट :- [ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 अशोक बाजपेयी-

अधिष्ठाता महोदय सदस्य का स्वभाव है कि प्रश्न उपस्थित करके सदन से चले जाना मैंने स्पष्ट रूप से कहा था लेकिन सदस्य ने उसको सुना नहीं कि प्रदेश में डी0ए0पी0 की आपूर्ति जिसे स्वयं सदस्य ने स्वीकार किया पिछले वर्षों की तुलना में अधिक की गई है। सरकार ने यह प्रयास किया कि प्रदेश में कहीं पर डी0ए0पी0 की कमी न आए। जहां तक वितरण की बात है यह सारा वितरण साधन सहकारी समितियों के माध्यम से होता था लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में साधन सहकारी समितियों के डिफेक्ट होने के कारण वितरण में कुछ कठिनाई आई है। साधन सहकारी समितियों को वितरण के लिए जितनी भी उर्वरक की आवश्यकता थी वह उपलब्ध कराई गई। जहां तक भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने की बात कही गई है किसी भी प्रकार से भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया इस तरह के अनर्गल आरोपों का कोई मतलब नहीं होता यह किसानों की सरकार है इस सरकार के समय में किसानों के हित सर्वोच्च हैं किसानों के लिए जो कुछ भी करना होगा उसको करने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी किसी भी स्तर पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की कोई लिप्तता पायी जाएगी उसे बख्शा नहीं जायेगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी सभी जिला प्रशासन को इसके लिए चौकस कर दिया गया है सजग कर दिया गया है किसी भी जिले में अगर डी0ए0पी0 या एन0पी0के0 के वितरण में गड़बड़ियां होती हैं तो स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। जहां तक इस्तीफा देने की बात है मैं नहीं जानता जो प्रश्न सदन में उपस्थित किया गया सरकार उसके निराकरण के लिए कृतसंकल्प है। यह कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं बनता है। अनुरोध है कि इसे निरस्त किया जाय।

श्री राम नरेश यादव-

मैं यह चाहता हूं सरकार यह सुनिश्चित करके बताए कि किसानों को उचित दर पर डी0ए0पी0 उपलब्ध होगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब इस पर काफी हो गया है।

श्री प्रमोद कुमार-

अधिष्ठाता महोदय इस पर अभी अपनी व्यवस्था न दें क्योंकि उससे मुझे बाद में बोलने में परेशानी होगी।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अधिष्ठाता महोदय क्योंकि यह प्रश्न दो विभागों से जुड़ा हुआ है यहां पर कोआपरेटिव सोसायटी के मंत्री जी बैठे हुए हैं वह इसे स्पष्ट कर सकेंगे।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदा नन्द अंचल)-

अधिष्ठाता महोदय, पिछली सरकार के जमाने में करीब 75 प्रतिशत साधन सहकारी समितियां डिफेक्ट हो गयी थीं। श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद पूरा का पूरा प्रयास किया गया कि वह सहकारी समितियां चल जायं। साधन सहकारी समितियां किसानों को खाद बीज और ऋण देती हैं हमने यह व्यवस्था कर दी कि जो समितियां डिफेक्ट हैं उनके बगल की समितियों से खाद

बीज और ऋण की सुविधा किसानों को मिले। यह आरोप बिल्कुल गलत है कि डी0ए0पी0 खाद की दिक्कत है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश के अन्दर 10 लाख मी0 टन डी0ए0पी0 खाद की आपूर्ति की गई जबकि पिछली सरकार के समय कभी भी 7 लाख मी0 टन से ज्यादा खाद की आपूर्ति नहीं की गई थी।

(इस समय 1 बजकर 39 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मुलायम सिंह यादव की सरकार ने पूरा प्रयास करके किसानों को खाद देने का काम किया और पूरी की पूरी खाद सघन सहकारी समितियों के माध्यम से, सहकारी संघों के माध्यम से, क्रय विक्रय केन्द्रों के माध्यम से सहकारी समितियों के माध्यम से, पी0सी0एफ0 के माध्यम से इफको के द्वारा संचालित किसान क्रय केन्द्रों के माध्यम से दी जाती है। यह बात मिथ्याजनक है, [× × ×] सत्य से परे है कि सघन सहकारी समितियों और क्रय केन्द्रों को न देकर दूसरी जगह ब्लैक में दी जा रही है। ब्लैक करने वाले जानते हैं कि किस तरह से ब्लेक की जाती है यह पिछली सरकार के समय में ब्लैक करने के काम में लगे हुए थे इसलिये जानते हैं। अब इनको ब्लेक करने का काम नहीं मिल रहा है इसलिये यह आरोप लगा रहे हैं। मान्यवर, अन्य वैकल्पिक वितरण के माध्यम से किसानों को ज्यादा से ज्यादा खाद दी जा रही है। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में 70 फीसदी खाद किसानों को दी जा रही है इनके जमाने में 30 प्रतिशत ही दी जाती थी हमारे जमाने में 70 प्रतिशत दी जा रही है। करीब-करीब 42 प्रतिशत डी0ए0पी0 देश के अन्दर उत्पादन में से उ0प्र0 में आती है जो कि पूरी तरह से किसानों को दी जाती है। जहां कहीं शिकायत आती है जिला प्रशासन को जांच करने के लिये कहा जाता हैं। सहकारी समितियों के निबन्धक को जांच के लिये कह दिया गया है। अगर कहीं कोई शिकायत आती है जो जांच करके उसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद-164(2) में दिया है कि मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। मान्यवर, एक मंत्री का कथन निश्चित रूप से सरकार का कथन होता है। अभी माननीय कृषि मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूं कि कोआपरेटिव में चूंकि सहकारिता आन्दोलन कमजोर हुआ है इसलिए सहकारिता के माध्यम से नहीं बेची जा रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रमोद जी आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। बात को तोड़ मरोड़ कर मत करिये।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

दिखवा लेंगे लेकिन हमारे कान और बुद्धि है। कृषि मंत्री जी ने मात्र इतना कहा था कि कुछ सहकारी समितियां डिफेक्ट हो गई हैं इसलिए यह व्यवधान पैदा हो रहा है।

नोट :- [ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं भी वही कह रहा हूं जो उन्होंने कहा। मान्यवर, आप कार्यवाही मंगा लें। पढ़ लें माननीय मंत्री जी ने कहा कि सहकारी आन्दोलन कमजोर पड़ गया। आप कार्यवाही मंगवा लें। कुछ देर के लिये व्यवधान रोक दें। मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

शान्त हो जायं, प्रमोद जी को कह लेने दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जो कृषि मंत्री ने कहा वही कोआपरेटिव मंत्री ने कहा और वही मैं कह रहा हूं। क्या अन्तर हुआ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जो मैंने सुना है वही कार्यवाही में अंकित है। आप कार्यवाही मंगा कर देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी कमी आ रही है वह इसलिये कि कोआपरेटिव की जो इकाइयां हैं वह कुछ डिफेक्ट हो गयी है। माननीय अंचल जी ने जो कहा, मुझे लगा कि वे बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमी नहीं है। मैं मानता हूं कि कमी नहीं है। कमी सहकारी समितियों में नहीं है। कमी तो यह है कि किसानों की खाद की बाजार में ब्लैक मार्केटिंग में बेची जा रही है। मान्यवर, अलग-अलग ब्यान दिये जा रहे है। 264(क) के सिद्धान्त का अनुपालन नहीं हो रहा है इसलिये मैं मौखिक रूप से माननीय कृषि मंत्री को सदन को गुमराह करने और विभाग के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये जो गलतबयानी कर रहे हैं उसके लिये विशेषाधिकार हनन की नोटिस देता हूं और लिखित रूप में आपको भेज दूंगा।

माननीय मुलायम सिंह जी का नाम बदनाम न करें। सरकार का नाम बदनाम न करें। सरकार अगर ठीक काम कर रही है अगर एक-दो मंत्री भ्रष्ट हैं तो पूरी सरकार को बदनाम करना छोड़ दें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

अनर्गल आरोपों का कोई मतलब नहीं होता है पूरी खाद का उर्वरक का वितरण का काम केवल सहकारिता विभाग करता है। कृषि विभाग का वितरण में मान्यवर कही कोई फंग्शन नहीं है। सारा सहकारी समितियों के माध्यम से खाद का वितरण होता है और बिना तथ्यों को जाने हुए, मान्यवर, जो मैंने कहा, सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत कहा कि कुछ हमारी कोआपरेटिव सोसायटियां डिफेक्ट हो गईं। लेकिन मान्यवर अनर्गल आरोप लगाने का अधिकार किसी को नहीं। मेरी इस पर गम्भीर आपत्ति है और जो इन्होंने इस तरह की टीका-टिप्पणी की है उसको कार्यवाही से निकाला जाए। इनके जैसे वरिष्ठ सदस्य को इस तरह नहीं कहना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार-

यदि मंत्री जी में साहस है तो यह अपने विभाग की कार्यरत व्यक्ति से पिछले 6 महीने का जांच करा लें। [×××] मान्यवर।

नोट :- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अशोक बाजपेयी-

किसी से भी जांच करा लें। यह क्या करेंगे सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। इनको क्या अधिकार, नैतिक अधिकार। मैं तो मान्यवर कहता हूं 6 महीने का नहीं एक वर्ष का कार्यकाल की जांच करा ली जाए।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, खाद्य विभाग में जब यह खाद्य मंत्री थे....

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद कुमार जी आपका हो गया अब मुझे व्यवस्था देने दें।

श्री प्रमोद कुमार-

[× × ×]

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट)

श्री अध्यक्ष-

हो गई बात, मैं दिखवा लूंगा। अगर कुछ अनर्गल बात है तो उसको निकलवा दूंगा।

श्री आलम बदी-

हम लोगों को यहां बैठाकर [× × ×] दिखाते हैं यहां हम लोगों के आने का मतलब क्या है। (हंसी) क्या हम लोग यहां [× × ×] देखने आते हैं। न यहां पर जनता की बात होती है। यहां पर बैठकर व्यक्तिगत रूप से जो कीचड़ उछाला जा रहा है हम इसलिए सदन में आए हैं ? यह माहौल ठीक नहीं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, यह प्रश्न किसानों से और उनको खाद दिए जाने से सम्बन्धित था उसका रुख कड़वा हो गया। प्रमोद कुमार जी ने जो प्रश्न रखा उसका जवाब कृषि मंत्री जी ने दिया और कुछ हिस्से का जवाब कोआपरेटिव मिनिस्टर ने दिया। दोनों जवाब एक दूसरे से मेल खाने वाले थे। यह माना, दोनों मंत्रियों ने माना, मैं भी मान रहा हूं कि कोआपरेटिव सोसायटी डिफेक्ट हो गई है। उसके कारण भी बता दिए गए किन कारणों से है। इस बात में बिल्कुल इन्कार किया गया, इसका ब्लैक नहीं हो रहा है विशेषाधिकार हनन का जबानी नोटिस दिया है प्रमोद कुमार जी ने। वह तो बहुत खुशमिजाज सदस्य हैं वह इस तरह क्यों अपने साथी के साथ कर रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार-

आप कहते हैं तो मैं वापस ले लेता हूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

धन्यवाद, आपने वापस लिया। मैं मान्यवर, अनुरोध करना चाहूंगा मंत्री जी कहीं ऐसी कोई शिकायत मिलती है, आपने कहा है हमने रजिस्ट्रार को इस बात के लिए निर्देशित कर दिया है कि कहां से भी कोई शिकायत आए। यह शिकायत प्रमोद कुमार जी ने खासतौर से अपने क्षेत्र के बारे में शिकायत की है। इसके लिए विशेष रूप से दिखवा लें इसमें जांच करा लें।

श्री प्रमोद कुमार-

सिद्धार्थनगर, बस्ती, आजमगढ़ का दिखवा लें। आपकी बात पर मैंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया लेकिन भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हैं। जो भ्रष्टाचार है मैं कहूंगा, बार-बार कहूंगा। जोर-जोर से कहूंगा।

(शोर)

श्री राम इकबाल सिंह-

पुलिस उसकी जांच नहीं कर पाएगी। 37 हजार 10 बोरे खाद की। मैंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।

श्री अध्यक्ष-

और भी बहुत से नियम 56 हैं।

श्री शारदा नन्द अंचल-

जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा नहीं हो रही है। ग्राह्यता पर हो रहा है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मैं उच्च स्तरीय जांच की बात कर रहा हूं। लीपापोती की नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करें।

श्री राम इकबाल सिंह-

उच्च स्तरीय जांच करा दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कुमार जी को सुना, राम इकबाल जी को सुना, कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री जी को सुना। इस खाद वाले पर, माननीय कृषि मंत्री जी, जब सदन आगे चले तो एक पूरा वक्तव्य आ जाए कि किन जिलों में कितनी गई, एक अच्छी बात हो जायेगी।

दूसरी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की है।

*श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, मैं आभारी हूं, बुन्देलखण्ड में इस समय सूखे की जो परिस्थिति चल रही है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, बुन्देलखण्ड एक ऐसा क्षेत्र है और पहाड़ी इलाका है, वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इस साल वर्षा कम होने के कारण जो थोड़ी-बहुत बुवाई हुई थी वह सारी फसलें सूख रही है और इस वक्त कुओं में पानी का तल भी नीचे चला गया है, हैण्डपम्प भी सूख गये हैं। वहां पर फसलें सूखने के साथ-साथ पेयजल का भी संकट गहरा गया है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में 3-4 वर्ष से कभी वर्षा के कारण फसलें नष्ट हुई और कभी ओलों के कारण नष्ट हुई और कभी सूखे से। इस साल भी वहां घोर सूखा है, वहां का किसान बिल्कुल मोहताज हो गया है। कहीं-कहीं थोड़ा-बहुत पानी है लेकिन समय से खाद और बीज नहीं मिल पाया जिससे वहां भी बुवाई नहीं हो पाई। मान्यवर, आप दिखवा लें, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में झांसी के मऊरानीपुर विधान सभा में लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, कुएं सूख गए हैं, हैण्डपम्पों के पानी का जल स्तर नीचे चला गया है और पेयजल का बहुत बड़ा संकट वहां आने वाला है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सूखे की इस समस्या को देखते हुए उस पर चर्चा करा लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, सूखे पर आप जवाब देंगे या कृषि मंत्री जी देंगे। राजस्व मंत्री भी नहीं हैं। इनका कहना है कि बुन्देलखण्ड में सूखा है।

* श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

माननीय सदस्य, बुन्देलखण्ड में जो सूखे की स्थिति है, उस गम्भीर विषय को रख रहे थे और सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मुझे खेद है। माननीय सदस्यों को भी ख्याल होना चाहिए कि माननीय संसदीय कार्य-मंत्री को भी उन्हें सुनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि जितना सम्भव है, पानी की व्यवस्था करें।

अगली सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की है।

श्री मुंशी लाल गौतम-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-56 की ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, आपके अनेक प्रयासों के बावजूद भी प्रशासन का यह बड़ा दुर्भाग्य है, मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं, मेरी विधान सभा में अभी 13 नवम्बर को दोपहर साढ़े बारह बजे का वाकया है, सरायं छबीला से इस्माइला वाले रास्ते पर आम का एक बाग है जो घना नहीं है, राहगीरों को वहां से दिखता है। वहां पर एस0 ओ0 जी0 पुलिस ने अपने ही एक साथी श्री शकील, निवासी एटा की, हत्या कर दी जिसका लेनदेन के ऊपर आपस में कई महीनों से विवाद चल रहा था, मार देते है। यह बात परिवारीजनों ने पत्रकारों व अधिकारियों को भी अवगत कराया था। उस रास्ते से ठाकुर यसवन्त पुत्र स्व0 श्री इन्द्रजीत सिंह, निवासी गांव इस्माइला थाना-औरंगाबाद जा रहा था, यह कृत्य उसने देख लिया इसलिए उसको भी वहां से खींच कर गोलियों से भून डाला गया। मान्यवर, वह चीनी, दाल और घर का सामान लेकर सरांय छबीला से अपने गांव इस्माइला जा रहा था। वह निर्दोष मारा गया यह पुलिस अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है। जब पुलिस वाले उसे मार रहे थे तो लोगों ने सोचा कि बदमाशों में मुठभेड़ हो रही है क्योंकि उस समय पुलिस की टीम ने ड्रेस नहीं पहन रखी थी। गांव वाले जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचे तो एस0 ओ0 जी0 के जवान उस लड़के को सीधे बाबू बनारसी दास चिकित्सालय ले गये और वहां नगर कोतवाली में एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी। लेकिन यह मामला औरंगाबाद थाने का बनता था। मान्यवर, यह गम्भीर विषय है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसमें आप जांच करा लें और मरने वालों के परिवारीजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की मैं आपसे मांग करता हूं क्योंकि उसकी मां श्रीमती राजवती बेवा है और पत्नी सीमा जिस पर एक बेटी है कम उम्र की है इसलिए उनके भरण-पोषण के लिए मुख्य मंत्री कोष से आर्थिक सहायता दिलाई जाए। मान्यवर, एक घटना और है 14 तारीख को 17 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 400 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गई। गांव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सैदपुरा थाना औरंगाबाद के ग्रामीणों द्वारा अपनी मांग के लिए जिसमें सुबह से कुछ लोगों को थाने में बिठा रखा था उसे छुड़ाने हेतु बुलन्दशहर-स्याना रोड पर जाम लगाए हुए थे। तो एस0डी0एम0, सिकन्दराबाद, श्री देवेन्द्र कुमार के ड्राइवर ने प्रदर्शनकारियों को गाड़ी से रौंद दिया जिसमें तोहफा सिंह पुत्र श्री केहर सिंह के सीने तथा कंधे में फ्रैक्चर हो गया तथा श्री शिवम पुत्र श्री जितेन्द्र की बाजू टूट गई तथा एक दर्जन अन्य व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये और उन्हीं के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखी गई। अतः मैं मांग करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाये तथा घायलों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाये तथा असली दोषियों को दण्डित किया जाये। इसलिए मैं इस अति लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

एक बार में एक ही घटना का संज्ञान लिया जाएगा। माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी यह घटना गम्भीर है इसमें एक लड़के को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मार दिया गया है। संसदीय कार्य-मंत्री जी इसे आप दिखवा लें और गम्भीरता को देखते हुए आवश्यक हो तो जांच भी करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी मान्यवर, दिखवा लेंगे।

*डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, हमारे जनपद जालौन में 14-23 अक्टूबर के मध्य जिला पंचायत के चुनाव हुए। मान्यवर, जनपद जालौन में पुलिस के अधिकारियों ने सत्ता पक्ष के साथ मिलकर और पेशेवर अधिकारियों के साथ मिलकर जिस तरह का कृत्य किया है वह वास्तव में लोकतंत्र की हत्या है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में श्री भानु प्रताप वर्मा जी सांसद हैं और इस सदन के भी सदस्य रह चुके हैं। 20 अक्टूबर को उन्हें बूथ कैप्चरिंग की सूचना मिली तो उन्होंने वह सूचना डी0एम0 को दी कि इस तरह की घटना हो रही है। उनके कहने के बाद जब सांसद जी क्षेत्र में जाते हैं तो डी0 एम0 उनके साथ होते हैं और कोंच के गेस्ट हाउस में बैठकर चाय पीते हैं और 5-6 बजे तक चाय पीते हैं। उसके बाद सांयकाल-रात्रि में सांसद जी के विरुद्ध 9-9 मुकदमें दर्ज किए जाते हैं। मुकदमा संख्या-407/05, धारा-307 जिसके वादी श्री शिशुपाल सिंह यादव हैं जो कि झांसी सांसद श्री चन्द्रपाल सिंह यादव के भाई हैं। एस0 डी0 एम0 कोंच के द्वारा मुकदमा संख्या-408 से 415/2005 विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत 135/2, 188, 171-च के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किए जाते हैं। जबकि सांसद जी डी0 एम0 के साथ 5-6 बजे तक चाय पी रहे थे। उसके बाद उनके उत्पीड़न की कार्यवाही शुरू हो जाती है। आरोप यह लगता है कि सांसद महोदय ने मतपेटियों में स्याही डाली है। यदि पानी और स्याही डाली गयी तो क्यों ? मतलब बूथ कैप्चरिंग की गयी थी। जिन्होंने बूथ कैप्चरिंग की उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है ? लेकिन श्री भानु प्रताप वर्मा जी के विरुद्ध 9-9 मुकदमें दर्ज होते हैं। दूसरी घटना को उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा। बबीना क्षेत्र के अन्तर्गत मतदान होना था। मान्यवर, मैं सिर्फ पुलिस की भूमिका के तहत इसको कह रहा हूं, तो जिस दिन मतदान होता है, मैं बी0जे0पी0 का विधायक हूं मुझे जाने की अनुमति नहीं दी, कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात नहीं लेकिन जो बी0जे0पी0 प्रत्याशी के इलेक्शन एजेन्ट हैं उसको भी डिटेन किया। जो बीएसपी के प्रत्याशी शोहराब खां थे उनको भी रोका और फिरउनके विरुद्ध फर्जी मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया। हम लोग चिल्लाते रह गये। वहीं दूसरी ओर आठ गाड़ियों में अपराधी असलाहा लेकर घूम रहे थे। साढ़े चार बजे हमने बहुत अनुरोध एस0 ओ0, कदोरा से किया जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के जुर्म में एस0ओ0, कदोरा को तत्काल निलम्बित कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप चाहते क्या हैं, यह बतायें ?

डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि जो फर्जी मुकदमें प्रत्याशी के विरुद्ध दायर किये गये हैं सांसद भानु प्रताप वर्मा व प्रत्याशी के विरुद्ध कौंच व बबीना क्षेत्र में, उन सब मुकदमों को वापस लें और जो अपराधी पकड़े गये हैं अवैध असलहा लिए हुए उनका राजनैतिक कनेक्शन देखा जाय कि कहां इनका कनेक्शन है। मैं इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हम इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

पांचवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक अति संवेदनशील विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के सत्तावन साल बीत गये लेकिन आज भी प्रदेश में महिलायें जलायी जाती हैं जबकि हमारी देश की संस्कृति रही है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे प्रदेश और देश में आज भी महिलाएं जलायी जाती हैं। इसका जीता जागता नमूना 20/21 अक्टूबर की मध्य रात्रि में मुजरहा गांव जनपद मिर्जापुर के थाना चील में प्रभावती देवी का है। उसका दोष केवल इतना था कि व दलित समाज में पैदा हुई थी और बी0डी0सी0 का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बन गयी थी। इस पर प्रभावशाली लोगों को नागवार गुजरा कि कैसे यह हमारे विरुद्ध खड़ी हो गयी, उन्हें अच्छा नहीं लगा और इसी का नतीजा यह हुआ कि 20/21 की मध्य रात्रि को दो तीन लोग आये। वह बाहर मुड़हे पर सो रही थी। उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिन्दा जला दिया। मान्यवर, इसी तीन नवम्बर को जिला अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी क्योंकि वह भयंकर रूप से जल गयी थी। आज भी वे लोग जिन्होंने जिन्दा जलाया था, निर्भीक होकर घूम रहे हैं और परिवारजनों को आज भी वह जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वह कहते हैं कि यदि मेरे खिलाफ कोई बात भी आपने कही तो आपका भी वही हस्र होगा जो प्रभावती देवी का हुआ है। मान्यवर, यह घटना इस प्रदेश सरकार पर भी कलंक है, मानवता पर भी कलंक है। आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज खुलेआम इस तरह की घटनायें हो रही हैं। सरकार इसको गम्भीरता से ले, साथ ही हमारी यह मांग है कि पीड़िता के परिवारजनों को सुरक्षा देते हुये अपराधी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे। जिन लोगों ने यह कुकृत्य किया है उन लोगों के

खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाय साथ ही साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का काम यह सरकार करे। मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और मिर्जापुर में इसकी वजह से जनाक्रोश है, अतः सदन की सारी कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराने की मैं आपसे मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपके संज्ञान में है, मैंने इस प्रश्न को आपके समक्ष आते ही इसे मैंने उसी वक्त इसको गम्भीरता से लिया था। यह गम्भीर भी और बड़ी शर्मनाक है। जो महिला खुद अपने ऊपर तेल छिड़क कर जल कर मर जाती है उसके लिये भी दोषी उन्हीं लोगों को मानना चाहिये जो उन हालात को पैदा करने वाले हैं जिनकी वजह से वह जल कर मरे। इसमें आपने कहा कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, तो जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और आगे ऐसा न हो इसके लिये समाज में इस तरह का माहौल बनायें, जिससे इस तरह की घटनायें न हों। कोई सरकार या कोई पुलिस ऐसे वाकयात को कानूनी-तौर से सजा तो दिला सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज का माहौल अच्छा बने घरों के माहौल अच्छे रहें ऐसे लोगों की समाज में कोई इज्जत न हो जो इस तरह के पाप करते हों। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है कि हम भी इसमें सहयोग करें। जहां तक सरकार का पक्ष है, कानून का पक्ष है, इसमें जितनी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है, वह कार्यवाही की जायेगी।

* डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम के पुण्य क्षेत्र से विधायक चुना जाता हूं। मान्यवर, हमारे देश के अन्दर करोड़ों लोग मां गंगा को पुण्यदायिनी, पापनाशिनी कहते हैं। मान्यवर, हम सब अवगत हैं कि गंगा जी में मन्दाकिनी, अलकनन्दा और भागीरथी से जल आता था। मान्यवर, टिहरी के अन्दर टिहरी बांध, बांध दिया गया है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है और इसके बांध का जो रिजर्वायर है वह 42 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी कैपीसिटी 3500 मिलियन क्यूसेक है। मान्यवर, अभी तक टिहरी बांध का जो दूसरा चैनल है इसको बन्द कर देने से भागीरथी जल लगभग रुक सा गया है। मान्यवर, हमारे जन मानस के अन्दर विशेष रूप से हिन्दुओं में मान्यता है कि गंगा जल में भागीरथी जल की पवित्रता प्रवाहित होती है और जब तक गंगा जल में भागीरथी जल नहीं होगा तब तक वह पवित्र नहीं होगा। मान्यवर, जब तक दूसरा चैनल बन्द नहीं था, एक हजार क्यूसेक पानी का प्रवाह इसमें था, अब यह बन्द हो जाने के कारण मात्र 02 क्यूसेक/सेकेण्ड भागीरथी में जल रहा है तो देश के करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं पर कुठाराघात हो रहा है। मान्यवर, हमारा देश धर्म प्रधान देश है और भारतीय संस्कृति में पांच मंत्रों को माना गया है गंगा, गीता, गायत्री, गोविन्द और गणेश। मान्यवर, हममें से बहुत लोग अभी माघ का मेला होने वाला है, अगर वहां पर भागीरथी जल नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसका असर हर एक की भावनाओं पर पड़ेगा। मान्यवर, भागीरथी का जल रोक देने के कारण से, प्रवाह रोक देने के कारण से आज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद के अन्दर, वाराणसी के अन्दर और हरिद्वार के अन्दर पूरे प्रदेश के अन्दर कई स्थानों पर आन्दोलन हो रहा है। इलाहाबाद के अन्दर कुछ छात्रसंघ आमरण अनशन पर बैठे थे, वहां पर क्रमिक अनशन चल रहा है। मान्यवर, मैं यह भी स्थिति बताना चाहूंगा तीन नवम्बर को जल का स्तर वहां पर 659 मीटर था जिसे सात सौ मीटर होने में कम से कम 02 महीने लग जायेगा, लेकिन मान्यवर उससे विद्युत के उत्पादन के लिये 740 मीटर तक होने में पांच महीने लगेंगे अर्थात् पांच महीने तक भागीरथी का जल गंगा नदी में नहीं आयेगा।

मान्यवर, माघ मेला आने में केवल डेढ़ महीने का समय शेष रह गया है। वर्ष 2003 में माघ मेले के दौरान गंगा का जल मैला हो गया था और वहां सन्यासी आदि लोग आन्दोलित थे। जिसको लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गयी थी जिसमें न्यायालय ने 3 फरवरी, 2003 को नरोरा बांध से पर्याप्त पानी छोड़ने का आदेश दिया था। नरौरा बांध से पर्याप्त पानी गंगा नदी में छोड़ा भी गया। यह निर्णय अभी भी स्टैण्ड कर रहा है। इस सारे प्रकरण पर 7 नवम्बर को प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य मंत्री, उत्तरांचल तथा नेता प्रतिपक्ष को पत्र भी भेजा है। उत्तरांचल सरकार द्वारा दूसरा टनल बंद कर देने के कारण भागीरथी का जल नहीं आ रहा है। डेढ़ महीने बाद इसको लेकर गम्भीर समस्या आयेगी। मान्यवर, इस प्रश्न से करोड़ों-करोड़ों हिन्दुओं की भावनायें और आस्थायें जुड़ी हुई हैं। सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय में केन्द्र सरकार और उत्तरांचल सरकार से वार्ता करके कोई हल निकलवायें और भागीरथी का जल कम से कम इतना अवश्य वहां छोड़ा जाय जिससे लोगों की भावनाये प्रभावित न हों। मान्यवर, मैं इस पर तत्काल चर्चा की मांग करता हूं।

श्री मो0 आजम खां-

मान्यवर, यह चर्चा योग्य तो विषय नहीं है मान्यवर, गंगा हिन्दुओं के लिये पवित्र है, वह सभी हिन्दुस्तानियों के लिये बड़ी पवित्र है। अल्लामा इकबाल ने कहा था-

'ऐ अबरूए गंगा वो दिन है याद तुझको
उतरा तेरे कनारे जब कारवां हमारा।'

गंगा से वजू करके जहाज से हम वहां जाते हैं जहां हज होता है। तो हमारी गंगा इतनी पवित्र है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मैं आपको माघ मेले में स्नान के लिये आमंत्रित करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो उसमें कमियां होंगी उसको दूर किया जायेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से बात करे।

श्री अध्यक्ष-

यह केन्द्र सरकार और उत्तरांचल सरकार से संबंधित मामला है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमने कहा है कि जो कमियां होंगी, उसे दूर किया जायेगा।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है वह श्रीमती मिथलेश कुमारी, पत्नी स्व0 श्री राम कृपाल निवासी ग्राम पलिहुरा, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर से संबंधित है। जिसका पति लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व मर गया था। उसकी जो जमीन है गाटा संख्या 137 रकबा 1.026 हे0 उस पर पिछली बार भी कब्जा हो गया था। जब मैंने इस मामले को विधान सभा में उठाया और वह नोटिस वहां पहुंची तो तत्काल पुलिस अधीक्षक से लेकर सभी लोगों ने उस पर कार्यवाही की और वह कब्जा हट गया। जबकि उससे पहले उसके बूढ़े ससुर ने तमाम कोशिशें की थीं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष-

फिर यह नोटिस वहां पहुंचेगी फिर कब्जा हट जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

91 वर्ष के बुजुर्ग उसके ससुर हैं। डेढ़ साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गयी। कब्जा करने वाले कहते हैं कि उसके पति ने पैसा लिया था कर्जा के रूप में और वह वापस नहीं किया है। मान्यवर, जब उसका हसबैंड मरा तो एक महीने दो महीने के अन्दर उस कर्जे की किसी ने कोई बात नहीं की। जब पुलिस के लोग पूछते कि कोई सबूत दिखाओ या गवाही दिखाओ कि उसने पैसा कर्जा के रूप में लिया था तो कोई कागज नहीं दिखाता। केवल दबंगई के आधार पर कब्जा किये जाने की कोशिश की गयी है। मैं इस सूचना के माध्यम से मान्यवर आपसे मांग करता हूं कि न केवल शासन का इस पर ध्यान आकृष्ट किया जाय बल्कि उस जमीन पर से कब्जा हटवाकर उस पीड़ित परिवार को कब्जा दिलवाया जाय। और दुबारा उस जमीन पर कब्जा न हो यह भी सुनिश्चित करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय सदस्य की जिज्ञासा है दोनों चीजें अलग-अलग हैं कोई कहता है कि उसका पैसा है तो उसके लिये अलग कानून है। लेकिन जमीन पर कब्जा कर लेना वाजिब नहीं है मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी का सीधा निर्देश हो गया है, अवैध कब्जा बना रहे यह मुमकिन नहीं है जो वैध कब्जा है वह रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश जी, आप भी दिये हैं, बोल लीजिये ड्यूटी से गायब हैं, आपकी नोटिस है, आप नहीं दिये हैं क्या ? आप बोलिये क्या आपकी नोटिस है ?

*श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी नोटिस है ?

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

मान्यवर, जूनियर हाई स्कूल में जो शिक्षक हैं उनके विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं है, यह है तो इसकी जांच होगी कोई ड्यूटी पर गया मिला नहीं उसकी जांच होगी, आप अभी चले आये क्या सुल्तानपुर से।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

नहीं मान्यवर, यह और बाराबंकी का है बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं आपको खुद नहीं ज्ञान है कि आप क्या दिये हैं। अब इसको छोड़ो, अब यह नहीं लिया जायेगा।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आज यह स्वीकार नहीं हो पाई है, दूसरे दिन दे दीजियेगा, इसमें कोई बाधा नहीं है। आपका नहीं आया है।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, पश्चिम से कोई बोल ही नहीं पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैं कहां कहता हूं, आप बोलो ? अब मेरा क्या दोष है आप विषय उठाओ और मैं न मानूं तब है ? इसमें यह है कि आप नियमों के अन्तर्गत जब देंगे तो स्वाभाविक रूप से स्वीकार हो जायेगा, आप दीजिएगा फिर दीजिएगा। हमारे पास आपकी नोटिस है यह नोटिस है उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा 80 लाख 44 हजार 381 रुपये 50 पैसे बरामदगी में घोटाला तथा दोषी। इसको 51 में दीजिए तो पूरा वक्तव्य आ जायेगा जांच आ जायेगी यहां कहने से कुछ नहीं होगा आप इसको नियम-51 में दीजिए और इसमें वक्तव्य मांग लीजिए तो सरकार की तरफ से पूरा तथ्य आ जायेगा।

अब दो संकल्प हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसको जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

जारी नहीं रहेंगे कभी खत्म भी होंगे ?

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, रामजन्म भूमि के ऊपर से हेलीकाप्टर उड़कर चला गया और आज तक उसका सरकार को पता नहीं है किसी अधिकारी को पता नहीं है कि कहां से आया था किसका था ?

श्री अध्यक्ष-

अखबार में छपा है। सरकार संज्ञान लेगी आपने कह दिया सरकार संज्ञान लेगी।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गरीब किसानों की फसलों को दबंग व्यक्तियों द्वारा नष्ट करने की पुष्टि होने पर उन्हें हानि का मुआवजा ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर उन्हें दिलाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाये" सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा

(मद संख्या-18 पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, चर्चा के जारी रहने से इसका महत्व बढ़ जायेगा। कौशल भाई से आग्रह करूंगा कि यह जारी रहे आज अंतिम दिन है लोग जाना चाहते हैं घर, ट्रेन छूट रही है।

श्री कौशल किशोर-

मान्यवर, यह संकल्प जो लगातार जारी है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसको जारी रखा जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको जारी रखा माना जायेगा।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में सुचारु पेय जलापूर्ति बनाये रखने हेतु जल संस्थान, वाराणसी के भदेनी रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन तथा भेलूपुर क्लीयर वाटर पम्पिंग स्टेशन को कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु एक 5 एम0 वी0 ए0 ट्रांसफारमर अलग से स्थापित कर अनवरत विद्युत आपूर्ति की जाये" सम्बन्धी संकल्प

श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगा, इस पर मैं थोड़ी ही चर्चा करूंगा और थोड़ी ही चर्चा से ही मेरे द्वारा जो उपलब्धि होनी चाहिए वाराणसी के नागरिकों को वह हो जायेगी, मुझे आशा है। इसलिए कि इस पूरे विषय का संज्ञान माननीय नगर विकास मंत्री जी जो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और काशी के प्रति विशेष रूप से कृपालु हैं उनके संज्ञान में है। मान्यवर, मैंने विद्युत कटौती से पेयजल आपूर्ति के व्यवधान के विषय में कई बार इस माननीय सदन में इस विषय को उठाया और यह मांग की कि पेयजल आपूर्ति को नियमित विद्युत कटौती से मुक्त कर दिया जाय। मुझे कहने में खुशी है कि इसकी शुरूआत हुई। माननीय नगर विकास मंत्री ने मुझे एक पत्र भेजा और उन्होंने यह बताया कि आपका नियम-311 की जो सूचना थी पेयजल के अभाव के सम्बन्ध में पत्र मैं नहीं पढ़ रहा हूं। वह पत्र है अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-2475 दिनांक 25 अक्टूबर, 2004 का। इसमें जो आखिरी पोरशन है उसमें उन्होंने बताया है।

श्री अध्यक्ष-

इसको आगे भी जारी रखें क्योंकि यह बहुत महत्वचूर्ण है, और इसमें लोग बोलेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, यह खाली वाराणसी से ही संबंधित है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अब आप स्थगित कर दें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, केवल पांच मिनट बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपके दल के सदस्य भी तो नहीं हैं, मतदान कैसे करायेंगे ?

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मुझे मतदान कराना ही नहीं है। मुझे नगर विकास मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरूआत की थी और वही इसका समापन भी करेंगे। उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि इसका समाधान एक अलग से सेपरेट लाइन कर देने से हो जाएगा और इसके लिए पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को निर्देश दे दिये गये हैं। उसके बाद मैंने नियम-301 में उस आपरेटिंग पोर्शन को कार्यान्वित करने के लिए उठाया था, जिसके उत्तर में मुझे माननीय नरेश अग्रवाल जी का उर्द्धशासकीय पत्र मिला, जिसकी संख्या-1508/2005/24-03, दिनांक 06 मई, 2005 थी। इस पत्र में मुझे यह बताया गया कि इस लाइन को सेपरेट करने के लिए और विद्युत आपूर्ति की कटौती से मुक्त रहते हुए जलापूर्ति सुचारु रहे, इसलिए भदैनी जो सबस्टेशन है वहां पर एक 5 एम0 वी0 ए0 का अलग से ट्रांसफारमर स्थापित किया जाएगा और उसको कनेक्शन दिया जाएगा 132 के0 वी0 सबस्टेशन जो मडुआडीह में है, 33 हजार की एक लाइन उसको दी जाएगी और उस 5 एम0 वी0 ए0 टांसफारमर से 11 के0 वी0 की एक लाइन दिया जाएगा रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन को और एक लाइन दे दी जाएगी क्लियर वाटर पम्पिंग स्टेशन को और इसके लिए पावर कारपोरेशन से अनुमति ले ली जाएगी। इस पर कुल लागत 01 करोड़ 18 लाख रुपए आयेगी। मैं इस सम्बन्ध में बहुत समय से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और माननीय नगर विकास मंत्री महोदय से निवेदन करता आ रहा हूं। जिन्होंने उम्मीद जतायी थी कि यह कार्य सम्भव हो सकता है। उसके बाद मुझे कल एक पत्र और मिला, जिसमें मुझे यह बताया गया कि इसकी लागत बढ़ करके अब 01 करोड़ 45 लाख रुपए हो गयी है। मैं अन्त में यही कहूंगा कि इसकी शुरूआत माननीय नगर विकास मंत्री जी ने की है और उन्होंने कई बार कहा है कि धार्मिक नगरी काशी के लिए उनके दिल में स्थान है और उसके विकास के लिए वह कुछ करना चाहते हैं और एक-दो बार उन्होंने इसका परिचय भी दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्य केवल मेरी विधान सभा से सम्बन्धित नहीं है बल्कि यह समस्या पूरी काशी की समस्या है। मान्यवर, आपने जो योजना बनायी है, उसको अगर आप करा देंगे और एक 5 एम0 वी0 ए0 का ट्रांसफारमर लगवा देंगे और उससे दो पोषक लाइन 11 हजार की, एक रा-वाटरके लिए और एक क्लियर वाटर के लिए करा देंगे तो यह वहां की जनता के लिए बहुत बड़ा उपकार हो जायेगा। मान्यवर, अब इसे छोटा मत कीजिएगा, दिल बड़ा करके इसको कर दीजिएगा, मेरा आपसे यह निवेदन है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

चौधरी साहब ने जो समस्या रखी है, वह गम्भीर भी है और इस काम को होना भी चाहिए। मेरी तरफ से जो अपने स्तर की कार्यवाही थी, वह पूरी की गई है और विद्युत विभाग की तरफ से जो जवाब आया है, वह आपने रखा है। यदि हम दोनों इसमें सहयोग करें तो बात बन सकती है। आप

अपनी विधायक निधि से 45 लाख रुपयए दीजिए, मैं 01 करोड़ की व्यवस्था रिवाल्विंग फण्ड से कर दूंगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं 45 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से दे दूंगा, बस केवल आप इतना बता दें कि हमें इसके लिए क्या करना होगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप जिलाधिकारी को लिख करके दे दें और मैं नगर आयुक्त को 01 करोड़ रुपए की सिफारिश आज ही भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, अब आप इसे वापस लेंगे ?

श्री श्याम देव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग तो पूरी हो गई, मैं इसे वापस ले लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि वाराणसी में सुचारु पेय जलापूर्ति बनाये रखने हेतु जल संस्थान वाराणसी के भदैनी रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन को कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु एक 5 एम0 वी0 ए0 ट्रांसफारमर अलग से स्थापित कर अनवरत विद्युत आपूर्ति की जाये। सम्बन्धी संकल्प को वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा ली जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ तथा संकल्प वापस हुआ)

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में खेती की पैदावार को आधुनिकतम तकनीक से बढ़ाने हेतु कारगर एवं नई प्रोत्साहन नीतियां अपनायी जायें तथा कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान कराया जाये" सम्बन्धी संकल्प का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य के अनुरोध पर मद संख्या-20 स्थगित की जाती है।

(डा0 अजय कुमार का संकल्प स्थगित किया गया)

उ0प्र0 विधान सभा की वर्ष 2005-2006 की 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' में सदस्यता के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों के नाम-निर्देशन करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है जिसमें नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों के हस्ताक्षर हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 24 नवम्बर, 2005 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2005-2006 की 'प्रदेश के

स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति' में सदस्यता के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समिति की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त समिति में वर्ष 2005-2006 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समिति में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में समय-समय उपर्युक्त समिति में आकस्मिक रिक्तियों, यदि कोई हों, की पूर्ति के लिए भी सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समिति में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2005-2006 की 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति' में सदस्यता के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समिति की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त समिति में वर्ष 2005-2006 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समिति में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में समय-समय उपर्युक्त समिति में आकस्मिक रिक्तियों, यदि कोई हों, की पूर्ति के लिए भी सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समिति में संबंधित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 नवम्बर, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 43 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार की जनपद लखीमपुर में इण्डियन आयल के अधिकारी श्री मंजू नाथ की हत्या के संबंध में है। इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दूसरी सूचना श्री राम करन आर्य की जनपद-बस्ती के बहादुरपुर ब्लाक के देवराव में कुआनों नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में है। इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। तीसरी सूचना श्री आलम बदी की जनपद-आजमगढ़ के बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सामग्री एवं मिट्टी का तेल बांटने में धांधली करने के संबंध में है। इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। चौथी सूचना श्री राम किशुन की जनपद-चंदौली के मिल्कीपुर पम्प कैनाल को बिजली आपूर्ति न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। पांचवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की जनपद-गाजीपुर में सैकड़ों विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन वर्ष 2004-2005 में कक्षा 9 व 11 के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लेट जमा होने के कारण छात्र-छात्राओं को परीक्षा से वंचित किये जाने के संबंध में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। छठी सूचना श्री परमेश्वर दयाल की जनपद-सोनभद्र के घाघरा मुख्य नहर की सफाई न किये जाने के संबंध

में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। सातवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों रिक्त पदों पर बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित छात्रों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। आठवीं सूचना श्री अलगू प्रसाद चौहान की महिला विद्यालय इण्टर कालेज, अमीनाबाद, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्व0 सुन्दर लाल की पत्नी को देय अवशेष धनराशि एवं पारिवारिक पेंशन जारी कराये जाने के संबंध में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। नवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद-गोतमबुद्धनगर के नोयडा में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आबादी की जमीन को छोड़कर किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दसवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद-बरेली के थाना-आंवला में पप्पन सिंह की हत्या की रिपोर्ट पुलिस द्वारा न लिखने एवं नगर भाजपा के महामंत्री के साथ अभद्रता किये जाने के संबंध में है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। 11 वीं सूचना श्री रामहेत भरती की जनपद-सीतापुर में खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अधिकारियों द्वारा खाद्यान्न घोटाला किये जाने एवं उनका स्थानान्तरण न किये जाने के संबंध में है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। बारहवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की नगर-कानपुर के थाना-नोबस्ता में मु0अ0स0 439/05 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के संबंध में है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। तेरहवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद-कौशाम्बी में बालू खनन पट्टा दिये जाने में शासनादेशों का उल्लंघन किये जाने के कारण लाखों मजदूरों की बेरोजगारी के संबंध में है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। चौदहवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की जनपद-आजमगढ़ में घाघरा नदी में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान को देखते हुए किसानों को आवासीय भूमि की व्यवस्था एवं उनके खेतों की बुआई हेतु बीज की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। पंन्द्रहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद-जौनपुर के जलालपुर में हुए नरसंहार के मृतकों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया गया है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम हैं श्री सदल प्रसाद, चौधरी महेन्द्र सिंह, श्री राम बिशुन आजाद, श्री जियाउद्दीन रिजवी (दो सूचनाएं प्राप्त), श्री कौशल किशोर, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री विश्राम सिंह यादव, डा0 सुशील चौधरी, श्री राजेश कुमार, डा0 राधामोहनदास अग्रवाल, श्री प्रभु दयाल बाल्मीकी, डा0 पूर्णमासी देहाती, श्री श्यामदेव राय चौधरी, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री राम मगन, श्री अमर सिंह परमार, श्री मुंशीलाल गौतम, श्री द्वारिका प्रसाद, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डा0 विनोद तिवारी, श्री राम इकबाल सिंह, डा0 राम बाबू हरित, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री समरपाल सिंह तथा श्री रवीन्द्र पुण्डीर।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, 301 की सूचनाओं के समय मैं दवा लेने चला गया था इसलिए वह कैंसिल हो गयी। इस पर विचार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे दिन दे दीजियेगा।

जनपद-गोरखपुर तथा उसके आस-पास फैल रही नई बीमारी काक्सेकी-बी इन्सेफ्लाइटिस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, काक्सेकी विषाणु.....

[इन्टेरो वायरस समूह का विषाणु है जिसकी बहुत सी प्रजातियां मनुष्यों में विशेषकर बच्चों में संक्रमण करती है। इस विषाणु के संक्रमण से शरीर के अधिकांश आन्तरिक अंगों में सूजन आ जाती है जैसे मुंह, आंत, हृदय, यकृत, गुर्दे और कभी-कभी मस्तिष्क भी संक्रमित हो जाता है जिससे झटके और बेहोशी भी आ जाती है। यह विषाणु पानी, भोजन, हाथ के मल द्वारा प्रदूषित होने से फैलता है।

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के बाल रोग विभाग में सम्भावित मस्तिष्क ज्वर के अधिकांश रोगियों में जे0ई0 विषाणु की उपस्थिति पाई गयी। कुछ रोगियों में जे0ई0 विषाणु जनित मस्तिष्क ज्वर से भिन्न लक्षण पाये गये जिसकी सूचना अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गोरखपुर मण्डल को अक्टूबर माह में ही दे दी गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्युनिकेबिल डिजिसेज, नई दिल्ली ने 18 नवम्बर, 2005 तक ऐसे 100 रोगियों के रक्त के नमूने संकलित किये गये हैं जिसकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। कतिपय रोगियों द्वारा स्वेच्छा से इस रोग के संबंध में जांच कराई गयी जिसमें 15 रोगियों में काक्सेकी विषाणु की उपस्थिति के संकेत पाये गये। इस रोग के संबंध में बाल रोग विभाग मेडिकल कालेज प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को सम्पूर्ण जानकारी है तथा पूरी तरह से सचेत भी है। इस प्रकार के रोगियों का तत्परता से निःशुल्क उपचार किया जा रहा है तथा इससे बचाव के तरीके भी मरीजों को बताये जा रहे हैं।

इसके छिट-पुट रोगी देश के अधिकांश भागों में पाये जाते हैं परन्तु इसके जांच की सुविधा हर जगह नहीं है। चूंकि यह विषाणु जनित रोग है। अतः यह स्वतः ही ठीक होता है और इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। रोग के लक्षणों के अनुसार इसका उपचार किया जा रहा है। इस तरह के रोगी विगत कई वर्षों से आते रहे हैं।]

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या इस बीमारी की जांच की सुविधा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में है। आज मैंने नियम-56 में दिया था लेकिन आपने कहा कि नियम-51 की बहस पर प्रश्न पूछ लीजियेगा। मान्यवर, इन्सेफलाइटिस के बारे में सरकार ने सदन में घोषणा की थी। यह बीमारी सुअरों द्वारा फैलती है। हमारे देश की नार्थ ईस्ट स्टेट में इस बीमारी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने सुअरों के मांस की जांच करायी और उसमें वायरल इंसेफलाइटिस के जीवाणु पाये गये। वहां पर सुअरों को प्रतिबंधित कर दिया गया।

नोट :-[[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जो सुअर पाले जाते हैं उनके अन्दर वायरस के कीटाणु कितने हैं उनकी तीव्रता की जांच कराकर उनके टीकाकरण की योजना सरकार बनाएगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस समस्या का मेरे विभाग से भी थोड़ा सम्बन्ध है इस बात की कोशिश की गई व पाबन्दी लगाई गई है कि ऐसी बस्तियों के सुअर बाहर न निकलें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मेरा प्रश्न इतना है कि परीक्षण कराकर सुअरों की जांच कराकर उनका टीकाकरण कराया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरे पास फीगर तो है नहीं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मेरा आग्रह है कि इसे किसी दूसरे दिन रख लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसकी जरूरत नहीं है। सरकार इसको गम्भीरता से ले रही है यह बात सही है कि इससे कई किस्म की बीमारियां फैलती है सबसे ज्यादा सुअर तो नगरों में हमारे आपके बीच रहते हैं। उनका इलाज होना चाहिए। जहां तक टीकाकरण की बात है, टीकाकरण का तरीका क्या होगा कैसे होगा, इस पर विचार चल रहा है ? जो भी हो सकता है सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

सुअरों का टीकाकरण क्या किया जायेगा ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अगर सुअरों को बाहर किया जायेगा तो कहीं पर तो वह रहेंगे ही वैसे पशुपालन विभाग सुअरों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाता है।

मेरा दूसरा यह प्रश्न है कि क्या गोरखपुर और उसके आस पास के जिलों में विभाग द्वारा टीकारण का अभियान चलाया जायेगा। मैं चिकित्सा विभाग गया था वहां पर स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न सचिवों से मिला था उनसे बातचीत के बाद जो मुझे अनुभव हुआ है उससे तो लगता है कि अभी 4-6 महीने तो टीके के इम्पोर्ट में ही लगेंगे। यह क्षेत्रों में कब लगने शुरू होंगे अभी तय नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जवाब में आया है कि छिटपुट रोगी इसके पाए गए हैं।

श्री अध्यक्ष-

डा0 पी0 के0 राय साहब खड़े हैं वह भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय मैंने इस प्रश्न को नियम-56 में भी लगाया था उस समय आपने कहा था कि नियम-51 के समय पूछ लें।

श्री अध्यक्ष-

आप डाक्टर हैं आप जानते होंगे कि मस्तिष्क ज्वर का इलाज हिन्दुस्तान में सम्भव नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

टीकाकरण से 100 प्रतिशत सम्भव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह टीकाकरण वास्तव में कब से शुरू होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जब भारत सरकार देगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में टीकाकरण कराने की घोषणा की थी और सदन में कहा जा रहा है कि भारत सरकार जब देगी। क्या यह छल नहीं है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कोई छल नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप बैठ जाएं। आप इतने छोटे हैं कि पता ही नहीं चलता कि आप बैठे हैं या खड़े हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसमें कोई छल की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर जाकर जो बात कही है वही बात सदन में भी कही गई है। इसे लगवाएगी तो प्रदेश सरकार ही लेकिन यह उपलब्धता पर निर्भर करता है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में जो बात कही है कि उत्तर प्रदेश सरकार नवम्बर से गोरखपुर और उसके आस-पास के जिलों में टीकाकरण शुरू कर देगी। लेकिन अब बताया जा रहा है जब भारत सरकार टीके देगी तो लगाया जायेगा, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। अर्थात् यह सरकार कह रही है कि भारत सरकार नहीं देगी तो हम टीका नहीं लगायेंगे। हम इसको मान लेते हैं।

(श्री पी0 के0 राय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आपकी बात आ गई। राय साहब को भी पूछ लेने दीजिये। दूसरा प्रश्न हो जाने दीजिये। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, ठीक है, अगला प्रश्न कर लूं। इनकी बात मैं मान गया कि इनका कहना है कि यदि भारत सरकार हमको नहीं देगी तो हम नहीं लगायेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिस वायरल रिसर्च सेन्टर की स्थापना की घोषणा की गई थी। जिस संस्थान ने उसका पूरा प्रोजेक्ट बनाया। उसने बी0आर0डी0 मेडिकल में काम करने वाले बच्चों के डाक्टरों से, बच्चों के विभाग से कोई राय नहीं ली

गई ? सरकार के अधिकारियों ने आपस में बैठ कर अपने आप स्कीम बना ली। जिसे वास्तव में लड़ना है इस बीमारी से उससे कोई राय नहीं ली गई उनसे पूछ कर कोई स्कीम नहीं बनाई गई। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यह वायरल रिसर्च सेन्टर गोरखपुर में कब से काम करने लगेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यथाशीघ्र।

श्री अध्यक्ष-

राय साहब आपको तो कुछ नहीं पूछना है ?

(किसी सदस्य द्वारा कोई प्रश्न न करने पर)

बिहार के जहानाबाद के नक्सलियों का वाराणसी, चन्दौली , सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में प्रवेश कर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय विधायक श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" द्वारा दिनांक .....

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[22-11-05 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में बिहार के जहानाबाद में दिनांक 13-11-2005 के नक्सलियों द्वारा जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ायें जाने की घटना के दृष्टिगत रखते हुए जनपद वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र व मिर्जापुर में गहन छानबीन कराये जाने व संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल बढ़ाने व आधुनिक हथियारों से लैस करने एवं मिर्जापुर व वाराणसी जेलों में बन्द नक्सल अपराधियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने तथा जनता में निर्भयता बढ़ाये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है।

2-बिहार में घटित घटनाओं के दृष्टिगत शासन स्तर से पुलिस महानिदेशक, अन्य पुलिस अधिकारियों, मण्डलायुक्त मिर्जापुर/वाराणसी तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, चन्दौली/सोनभद्र/मिर्जापुर को विशेष सतर्कता बरतने,नक्सली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने एवं समुचित सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित कराने के निर्देश शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर, 2005 द्वारा दिए गये हैं।

3-नक्सल प्रभावित जनपदों में पहले से ही समुचित मात्रा में नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक से लेकर आरक्षी एवं पी0ए0सी0 कर्मी सहित कुल 4,113 पुलिस कर्मी तैनात हैं। इन क्षेत्रों में 06 कम्पनी सी0आर0पी0एफ0 भी तैनात है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-नक्सल विरोधी अभियान में लगाये गये पुलिस बल को अत्यधिक आधुनिक हथियार उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

बुलेटप्रूफ/माइन प्रोटेक्टेड वाहन, बी0 पी0 जिप्सी, बी0 पी0 टाटा-407, बी0 पी0 ट्रैक्टर, बुलेटप्रूफ जैकेट/हेल्मेट, 7.62 एमएम एसएलआर, 9 एमएम कारबाइन, एके-47, 5.56 इन्सास रायफल, ग्लाक पिस्टल, नाइट विजन डिवाइसेज।

5-उत्तर प्रदेश में चिन्हित शीर्ष नक्सलियों में श्री मनोहर उर्फ पग्गल पुत्र दुलारे, डिप्टी कमान्डर, एम0 सी0 सी0, निवासी भरदुआ, थाना नौगढ़, जनपद चन्दौली वाराणसी जेल में तथा राम अवध उर्फ बोस जी गैंग लीडर एम0 सी0 सी0, निवासी ग्राम बोदलपुर, थाना नौगढ़, जनपद चन्दौली एवं श्री राजू गौड़ एरिया कमाण्डर एम0 सी0 सी0 निवासी चपकी, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर जेल में निरुद्ध हैं।

6-प्रदेश के कारागारों की सुरक्षा के संबंध में समस्त जिलामजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों एवं जिला कारागार के अधिकारियों को शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर, 2005 द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं।

7-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस/प्रशासनिक उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण करके लोगों के समस्याओं का समाधान करने एवं उनमें नई आशा का संचार करने के निर्देश मुख्य सचिव एवं सचिव, गृह के हस्ताक्षर से जारी शासनादेशों में दिये गये हैं।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-'आई' एवं 'जे' के आवासीय भू-खण्डों के आवंटित भू-स्वामियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अक्षयवर लाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। मंत्री जी एक लाइन तो पढ़ दें।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना की नोटिस 22-11-2005 में माननीय सदस्य विधान सभा ने उल्लेख किया है....

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-आई एवं जे के आवासीय भूखण्डों का आवंटन लाटरी के माध्यम से दि0 31-8-2004 को रजिस्ट्रेशन कराने के कई वर्षों के उपरान्त किया गया है और आवंटन पत्र जारी कर आवंटियों से भूखण्डों का पूरा मूल्य प्राधिकरण कोष में जमा करा लिया गया है किन्तु अब लखनऊ नगर निगम द्वारा उक्त भूमि पर अपना

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्वामित्व दर्शाया जा रहा है। उक्त भूमि पर प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों को माह-अक्टूबर, 2004 में रुकवा दिया गया है। जिसके कारण हजारों आवंटियों के भूखण्डों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है । कुछ आवंटियों ने प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति के आधार पर बैंकों से आवासीय ऋण लिये हैं, इसलिए बैंकों द्वारा आवंटित भूखण्ड को बंधक करने हेतु रजिस्ट्री की मांग की जा रही है। आवंटियों के पास रहने के लिए भवन न होने के कारण वे परेशान है और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त विवाद को निपटाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है।

2-लखनऊ विकास प्रधिकरण की आख्यानुसार अवगत कराना है कि कानपुर रोड योजना के सेक्टर-आई, जे में दि0 31-8-04 को 100 भूखण्डों का आवंटन लाटरी द्वारा किया गया था, उनका अनुमानित विक्रय मूल्य 13,36,64,000.00 है, जिसके विरुद्ध 90 प्रतिशत धनराशि आवंटियों द्वारा जमा कर दी गयी है।

लखनऊ विकास प्रधिकरण की आख्या में यह भी अवगत कराया गया है कि सेक्टर-आई, जे में स्थित ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा गया था जिसमें अम्बेडकर मैदान स्थित ग्राम-हसनापुर एवं भदरूख की 22.825 हेक्टे0 भूमि एवं प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना भाग-3 में स्थित ग्राम-भदरूख की 3.718 हेक्टे0 भूमि के पुर्नग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी, [illegible]ऊ द्वारा अम्बेडकर मैदान स्थित ग्राम-हसनापुर एवं भदरूख की 22.825 हेक्टे0 भूमि का पुर्नग्रहण [illegible]रते हुए राज्य सरकार के आवास विभाग को ग्राम-समाज की भूमि का हस्तान्तरण किया गया था, परन्तु प्राधिकरण की योजना में स्थित 3.718 हैक्टे0 भूमि के पुर्नग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर पर अभी भी लम्बित है। इस संबंध में ग्राम समाज की भूमि को नगर निगम के स्थान पर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा-117(6) के अन्तर्गत प्राधिकरण में निहित किये जाने का अनुरोध किया गया था एवं ग्राम समाज की भूमि को नगर निगम के स्थान पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित करने का अनुरोध भी किया गया था। पुर्नग्रहण की प्रत्याशा में ऐसी भूमि को अन्य अर्जित भूमि के साथ सम्मिलित करते हुए प्राधिकरण द्वारा नियोजन की कार्यवाही की गयी तथा आवंटियों को भूमि का आवंटन किया गया।

3-इस संबंध में शासन स्तर पर राजस्व विभाग के परामर्शानुसार नगर विकास विभाग के साथ समन्वय कर प्रकरण के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम से भी ग्राम-समाज की भूमि के संबंध में विवाद के निस्तारण हेतु पत्राचार किया जा रहा है ताकि लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में विकास कार्य से अवरोध हटाया जा सके तथा आवंटियों को कब्जा दिया जाना सम्भव हो सके।

4-उल्लेखनीय है कि ग्राम समाज की प्रश्नगत भूमि के लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में पुर्नग्रहण एवं ग्राम समाज का समस्त भूमि के लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित करने के सम्बन्ध में पत्रावली राजस्व विभाग को संदर्भित की गयी थी राजस्व विभाग ने इस प्रकरण में नगर विकास विभाग के सा[illegible] समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही कराने का परामर्श दिया है। तद्नुसार पत्रावली नगर विकास विभाग को संदर्भित है। यह भी उल्लेखनीय है कि कानपुर रोड योजना के सेक्टर-आई एवं जे के आवंटियों को प्रश्नगत भूखण्डों का कब्जा देने के संबंध में विधान सभा की मा0 आश्वासन समिति के समक्ष एक आश्वासन भी विचाराधीन है।

5-उक्त अंकित स्थिति से स्पष्ट है कि लखनऊ विकास प्रधिकरण एवं शासन स्तर से भी प्रकरण के निस्तारण का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण में हुए विवाद के समाधान के उपरान्त आवंटियों को कब्जा दिया जाना सम्भव हो सकेगा।]

जनपद फतेहपुर के ग्राम भदोकीपुर में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत भदोकीपुर वाया करनपुर मार्ग को डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-25 मंत्री जी ने स्वयं स्थगित की थी।

प्रदेश के कृषि विविधीकरण योजना (यू0पी0 डास्प) के तहत जनपद जौनपुर में निर्मित मार्गों के रख-रखाव के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री जगदीश नारायण राय, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा 22-11-2005 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह...

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[उल्लेख किया गया है कि जनपद जौनपुर विकास खण्ड धर्मापुर, बक्सा में कृषि विविधीकरण योजना (यू0पी0 डास्प) के तहत निम्नलिखित 4 मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण हुए लगभग 9 वर्ष हो गए हैं :-

(1) मुफ्तीगंज-रामपुर से गौरा बादशाहपुर मार्ग।

(2) गजना-नयनसन्ड-गौरा बादशाहपुर मार्ग।

(3) धर्मापुर-सरैया-पौना-सेवईनाला मार्ग।

(4) केराकत रोड से चौकिया धाम मार्ग।

2-उपरोक्त सभी मार्ग बहुत ही उच्च गुणवत्ता के बनाए गए हैं। अब इन सभी मार्गों पर आवागमन अधिक बढ़ जाने के कारण वर्षा आदि से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यदि मरम्मत नहीं हुई तो सारे मार्ग ध्वस्त हो जायेंगे। यू0पी0 डास्प योजना जनपद जौनपुर से समाप्त हो गई है। इन मार्गों की देख-रेख हेतु कोई विभाग नामित नहीं हुआ है। उपरोक्त सभी मार्ग लोक निर्माण विभाग में समाहित हो जाए तो इसकी देख-रेख निरन्तर होती रहेगी। मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त कार्य के महत्व को देखते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग की गई, जिसे मा0 अध्यक्ष द्वारा केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार कर लिया गया है।

नोट :- [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि विश्व बैंक पोषित, कृषि विविधीकरण (यू0पी0 डास्प) परियोजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, डिपाजिट कार्य के रूप में सम्पादित किया गया था। जनपद जौनपुर में निम्नलिखित मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। निर्मित मार्गों का वास्तविक नाम एवं लम्बाई निम्नवत् है :-

(1) गौरा बादशाहपुर से रामपुर	8.10 कि0मी0
(2) गजना से गौरा बादशाहपुर	7.48 कि0मी0
(3) धर्मापुर से सेवईनाला	7.20 कि0मी0
(4) चौकिया मोड़ से भगौतीपुर मोड	2.40 कि0मी0

(4) उपरोक्त मार्गों के रख-रखाव हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर को हस्तान्तरित कर दिया गया है। कृषि विविधीकण परियोजना के अन्तर्गत जनपद जौनपुर में निर्मित मार्गों के अनुरक्षण, मरम्मत आदि कार्यों के लिए व्यवस्था विभाग द्वारा पूर्व में ही निर्धारित है।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते है। 5 तारीख को 11.00 बजे पुनः बैठेंगें।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 40 मिनट पर सोमवार दिनांक 5 दिसम्बर, 2005 को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 24 नवम्बर, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0-30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर।)

उ0 प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में चयनित कुल विकास खण्डों की सूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्तमान में आच्छादित विकास खण्डों के नाम
1	लखनऊ	1-काकोरी, 2-माल, 3-मलिहाबाद, 4-मोहनलाल गंज, 5-बक्शी का तालाब 6-चिनहट
2	सहारनपुर	1-गंगोह, 2-पुवारका, 3-नकुड, 4-सिढौली कदीम, 5-ननौता
3	बस्ती	1-बहादुरपुर, 2-कप्तानगंज, 3-रूधौली, 4-साउघाट, 5-सल्औवा गोपालपुर
4	संतकबीरनगर	1-खलीलाबाद, 2-हैसरबाजार, 3-मेंहदावल, 4-सोथा
5	जौनपुर	1-खुटहन, 2-धर्मापुर, 3-बक्सा 4-शाहगंज, 5-मुगला बादशाहपुर
6	वाराणसी	1-चिरईगांव, 2-अराजी लाइन, 3-बड़ागांव, 4-सेवापुरी, 5-हरऔवा
7	झांसी	1-बांगरा, 2-बड़ागांव, 3-चिरगांव, 4-मऊरानीपुर
8	अलीगढ़	1-अतरौली, 2-इग्लास, 3-गंगीरी, 4-खैर, 5-जवां
9	हाथरस	1-हसायन, 2-सासनी, 3-हाथरस, 4-सिकन्दराराव
10	बहराइच	1-चित्तौरा, 2-बल्लाह, 3-कैसरगंज, 4-फकरपुर, 5-तजवापुर 6-महसी
11	श्रावस्ती	1-जप्पुआ, 2-गिलौला, 3-इकौना, 4-पयागपुर
12	इलाहाबाद	1-फूलपुर, 2-कोरांव, 3-हण्डिया, 4-मेजा, 5-करछना
13	कौशाम्बी	1-चायल, 2 मूरतगंज, 3-नेवादा
14	इटावा	1-सैफई, 2-महेवा, 3-जसवन्तनगर, 4-चक्रनगर, 5-भरथना
15	औरैया	1-अजितमल, 2-ऐरवाकटरा, 3-औरैया
16	कन्नौज	1-कन्नौज, 2-हसेरन, 3-छिबरामऊ
17	फर्रुखाबाद	1-कमालगंज, 2-शमसाबाद, 3-मोहम्मदाबाद, 4-कायमगंज
18	बदायूं	1-उगत, 2-बिसौली, 3-वजीरगंज, 4-आसफपुर, 5-ओसांव
19	मेरठ	1-जानी, 2-माछरा, 3-मेरठ, 4-खरखोदा, 5-सरधना
20	बागपत	1-पिलाना, 2-छपरौली, 3-बड़ौत, 4-खेकड़ा, 5-बागपत, 6-बिनौली
21	गोण्डा	1-मेलसर, 2-परसपुर, 3-हलधरमऊ, 4-करनैलगंज, 5-नवाबगंज
22	महाराजगंज	1-लक्ष्मीपुर, 2-नौतनवां, 3-निचलौल, 5-मिठौरा, 5-सिसवां, 6-पनीयरा

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्तमान में आच्छादित विकास खण्डों के नाम
223	गोरखपुर	1-जंगल कौड़िया, 2-खोराबार, 3-कैम्पियरगंज, 4-पाली, 5-गोला, 6-बड़हलगंज
24	कुशीनगर	1-दुदही, 2-पडरौना, 3-तारा, 4-खड्डा, 5-कसया
25	बाराबंकी	1-बंकी, 2-देवा, 3-दरियाबाद, 4-हैदरगढ़, 5-त्रिवेदीगंज, 6-सिद्धौर
26	जालौन	1-कोंच, 2-माधौगढ़, 3-नदीगांव, 4-डकोर, 5-रामपुरा
27	आगरा	1-बाह, 2-जैतपुर, 3-पिनहट, 4-फतेहपुर सीकरी, 5-एत्मादपुर
28	प्रतापगढ़	1-मंगरौरा, 2-सेंड़वा चण्डिका, 3-शिवगढ़, 4-पट्टी, 5-आसपुरा देवसरा 6-गौरा
29	मुजफ्फरनगर	1-थाना भुवन, 2-कॉंडला, 3-शामली, 4-पुरकाजी, 5-बघरा, 6-कैराना, 7-जानसठ
30	गाजियाबाद	1-सिम्भावली, 2-लोनी, 3-मुरादनगर, 4-हापुड़, 5-गढ़मुक्तेश्वर
31	मैनपुरी	1-मैनपुरी, 2-घिरौर, 3-बेवर, 4-भौगांव, (सुल्तानगंज)
32	बरेली	1-फरीदपुर, 2-बिघरी चैनपुर, 3-भझगवां, 4-नवाबगंज, 5-भुता
	कुल योग	157 विकास खण्ड

पी0एस0यू0पी0-एल0 408 विधान सभा (632)-22-3-2006-813 (कम्प्यूटर)।